घटती घटना

सत्य के साथ...जनहित में बात...

www.ghatatighatana.com अम्बिकापुर, वर्ष 22, अंक - 357- शनिवार 31- अक्टूबर 2026,पृष्ठ - 8 मूल्य 2 रूपये RNI Reg.No.- CHHHIN/2004/15050,डाक पंजीयन. क्रं. 13/Surguja DN/ 2026-2028

प्रधानमंत्री ने बनासकांठा को 14 हजार करोड़ से अधिक की विकास परियोजनाओं की दी सौगात

बनासकांठा का आलू विश्व प्रसिद्ध,यहां आकर कोई नहीं कहता कि इससे सोना बनाएंगे : पीएम मोदी

पीएम किसान सम्मान निधि की 24वीं किस्त जारी, देशभर के किसानों को मिली आर्थिक सहायता

बनासकांठा,30 अक्टूबर 2026। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को गुजरात के बनासकांठा में कहा कि यहां का आलू दुनियाभर में मशहूर है। उन्होंने तंज कसते हुए कहा...बनासकांठा में आकर कोई नहीं कहता कि आलू से सोना बनाएंगे,क्योंकि यहां के लोग पहले ही आलू से सोना बना रहे हैं। मोदी की सभा में किसानों के बैठने के लिए कुर्सियों की जगह चारपाइयां बिछाई गई थीं। इस पर उन्होंने कहा कि देश के लोगों के लिए यह अजूबा होगा कि एक सभा में सभी लोग चारपाई पर बैठे हैं। बनासकांठा के लोगों ने गांवों की इस पुरानी परंपरा को जिंदा रखा है। अगर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड वालों को बुलाया होता तो यह रिकॉर्ड में दर्ज हो जाता। इस दौरान पीएम ने किसान सम्मान निधि की 24वीं किस्त जारी की। इसके तहत 9.34 करोड़ से ज्यादा किसान परिवारों को 18,690 करोड़ से अधिक की रकम मिलेगी। उन्होंने 14 हजार करोड़ से ज्यादा की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। साथ ही दो नई ट्रेन सेवाओं को हरी झंडी दिखाई।

पीएम बोले...आईवीएफ की मदद से पशुओं की नस्ल सुधरेगी

पीएम ने कहा...राष्ट्रीय गोकुल मिशन से देसी नस्लों को संरक्षण और बढ़ावा दिया जा है। बनासकांठा में बना नया रिसर्च सेंटर इस मिशन को मजबूती देगा। यहां मुर्रा जाफराबादी जैसी नस्लों का संरक्षण होगा। ये देश में ऐसी पहली सुविधा है। यदि किसी किसान के पास अच्छी नस्ल की गाय है जो ज्यादा दूध देती है और कम खर्च में स्वस्थ रहती है तो वो चाहेगा कि गाय की आने वाली पीढ़ी में भी ये गुण बने रहे। आईवीएफ इसमें मदद करते हैं। इसका सीधा लाभ पशुपालकों को मिलेगा। मोदी ने कहा...किसानों के लिए मौसम में हो रहा बदलाव बहुत बड़ी चुनौती है। बीते सालों में बीजों की करीब 3 हजार नई किस्में किसानों को दी गई। बीते दशक में भी पशुपालन और डेयरी सेक्टर में भी विज्ञान और टेक्नोलॉजी पर जोर दिया है। पशुओं की नस्ल बेहतर होगी तो दूध उत्पादन बढ़ेगा। 4 गाय से मिलने वाला दूध एक ही गाय से मिले। समय पर टीकाकरण इलाज समय पर मिलेगा तो बीमारी से होने वाला नुकसान कम होगा। यानी पशु स्वस्थ होगा तो मेरे पशुपालक भाई बहनों की कमाई भी बढ़ेगी।

खेती के तरीकों में आधुनिकता आई

मोदी ने कहा...पहले किसान को पता लगाने में मुश्किल होती थी कि उसके खेत को कौन सी खाद चाहिए। आज 26 करोड़ से ज्यादा सॉइल हेल्प कार्ड देश के किसानों के पास हैं। इनसे खेती के तरीकों में आधुनिकता आई है। मोदी ने कहा...5 योजनाओं से देश के किसानों को 50 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई है। इससे देश के किसानों की आय बढ़ाई और खेती का सामर्थ्य बढ़ाया है। एग्रीकल्चर इज अवर कल्चर। पीएम किसान सम्मान निधि के 4.50 लाख करोड़ छोटे किसानों के खातों में पहुंचे। आजादी के बाद कभी इन छोटे किसानों की जरूरतों को नहीं समझा गया। कभी उन्हें पूछा नहीं गया। जबकि देश में छोटे किसानों की संख्या 85% से ज्यादा है। ऐसे छोटे किसानों की हमारी सरकार ने चिंता की उन्हें पीएम किसान सम्मान से मदद की।

150 करोड़ टीके पशुओं को लगाए जा चुके

मोदी ने कहा...पशुओं को बीमारियों से बचाना भी हमारी प्राथमिकता है। इसलिए हमने मुफ्त टीकाकरण शुरू किया। इसलिए करीब 150 करोड़ टीके पशुओं को लगाए जा चुके है। 8 करोड़ से ज्यादा किसानों के पशुओं को मुफ्त टीके लगे हैं। इससे उनका पैसा बचा है। इससे दूध उत्पादन बढ़ा है। 2013-14 में एक गाय-भैंस से 5 लीटर से भी कम दूध मिलता था। आज वह बढ़कर 8 लीटर हो गया है। भारत में दूध उत्पादन बढ़ने की गति सबसे तेज है। भारत दूध उत्पादन में नंबर वन है।

मोदी बोले...हमें पानी-बिजली बचाना

पीएम ने कहा...जीवन के अंतिम क्षण तक आपकी सेवा में जुटा रहूंगा। आपको पुरानी बातें याद होंगी। 25 साल पहले यहां बिजली पानी की समस्या थी। मैं कहता था हमें बिजली पानी बचाना होगा। लोग विरोध करते थे मोदी कौन होता है जो ये बोलता है। मैं आपसे लड़ता रहा और देखिए हम कहां पहुंच गए। मैं आज फिर से कहूंगा पानी बिजली बचाना है। बनासकांठा का आलू आज विश्व प्रसिद्ध है। कोई बनास कांठा वाले को आकर नहीं कहेगा कि आलू का सोना बनाऊंगा वो पहले से सोना बना रहे हैं।

हमारा सीफूड निर्यात 2 गुना हुआ

मोदी बोले- मछली पालन के क्षेत्र में विस्तार हुआ है। भारत का सीफूड निर्यात 2 गुना हो गया है। मधुमक्खी पालन से शहद का उत्पादन 12 सालों में 2 गुना हो गया है। हमारा देश प्राकृतिक शहद का दूसरा सबसे बड़ा निर्यातक बन गया है।

गोबर से किसानों की कमाई बढ़ाएंगे

पीएम ने कहा...हम चाहते हैं कि किसानों की गोबर से भी कमाई बढ़े। गोबर और खेती के अवशेषों से बायोगैस, बायो सीएनजी और जैविक खाद बनाने के लिए इन्फ्रास्ट्रक्चर भी बढ़े। इसलिए यहां 2 बायो सीएनजी प्लांट का शिलान्यास हुआ है।

पीएम बोले...आईवीएफ की मदद से पशुओं की नस्ल सुधरेगी

पीएम ने कहा...राष्ट्रीय गोकुल मिशन से देसी नस्लों को संरक्षण और बढ़ावा दिया जा है। बनासकांठा में बना नया रिसर्च सेंटर इस मिशन को मजबूती देगा। यहां मुर्रा जाफराबादी जैसी नस्लों का संरक्षण होगा। ये देश में ऐसी पहली सुविधा है। यदि किसी किसान के पास अच्छी नस्ल की गाय है जो ज्यादा दूध देती है और कम खर्च में स्वस्थ रहती है तो वो चाहेगा कि गाय की आने वाली पीढ़ी में भी ये गुण बने रहे। आईवीएफ इसमें मदद करते हैं। इसका सीधा लाभ पशुपालकों को मिलेगा। मोदी ने कहा- किसानों के लिए मौसम में हो रहा बदलाव बहुत बड़ी चुनौती है। बीते सालों में बीजों की करीब 3 हजार नई किस्में किसानों को दी गई। बीते दशक में भी पशुपालन और डेयरी सेक्टर में भी विज्ञान और टेक्नोलॉजी पर जोर दिया है।

प्रधानमंत्री मोदी ने कहा...सेवा करते हुए 25 साल पूरे किए...

पीएम ने कहा...कुछ दिन पहले 7 अक्टूबर को मुझे सेवक के रूप में काम करते हुए 25 साल पूरे हुए। 7 अक्टूबर 2001 को जब मैंने शपथ ली तो आपने प्रेम दिया। एक एक गुजराती ने मुझे बहुत कुछ सिखाया। मैं सामान्य परिवार से निकला जिसके परिवार ने कभी गांव का मुखिया बनने का सपना भी नहीं देखा था उसको आपने लायक समझा। पहले गुजरात फिर देश की सेवा की जिम्मेदारी दी। जनसेवा से राष्ट्रसेवा और गुजरात के विकास से देश का विकास। कैसे करना है कैसे आगे बढ़ना है ये आपने मुझे सिखाया।

स्वदेशी आईएनएस विक्रांत पर उतरा राफेल मरीन

पहली ही कोशिश में मिली सफलता नौसेना की ताकत बढ़ाने की तैयारी

पणजी,30 अक्टूबर 2026। भारतीय नौसेना के लिए समुद्री सुरक्षा और रक्षा क्षमताओं के लिहाज से एक अहम उपलब्धि सामने आई है। नौसेना के स्वदेशी विमानवाहक पोत आईएनएस विक्रांत पर राफेल मरीन लड़ाकू विमान ने पहली ही कोशिश में सफल लैंडिंग की। यह परीक्षण 29 अक्टूबर 2026 को किया गया। यह राफेल मरीन फ्रेंच नेवी का लड़ाकू विमान है। इसे फ्रेंच पायलट उड़ा रहे थे। इन ट्रायल्स से भारतीय नौसेना में राफेल मरीन विमान को ऑपरेशनल बनाने की प्रक्रिया शुरू होगी। भारत को अभी तक राफेल मरीन मिला नहीं है। इस सफल परीक्षण के साथ ही राफेल मरीन विमान को भारतीय नौसेना में ऑपरेशनल यानी परिचालन रूप से शामिल करने की दिशा में शुरुआती कदम बढ़ा दिया गया है। इस परीक्षण को विमानवाहक पोत पर इसकी क्षमता परखने की प्रक्रिया का महत्वपूर्ण हिस्सा माना जा रहा है। भारत ने 28 अप्रैल 2025 को फ्रांस के साथ 26 राफेल मरीन लड़ाकू विमान खरीदने के लिए करीब 63,000 करोड़ रुपये का रक्षा समझौता किया था। इस सौदे में 22 एकल-सीट वाले और चार दोहरी-सीट वाले विमान शामिल हैं। यह भारत की ओर से राफेल के नौसैनिक संस्करण की पहली खरीद है। इस समझौते में विमानों के अलावा पायलटों का प्रशिक्षण, फ्लाइट सिम्युलेटर,हथियार, जरूरी उपकरण और लंबे समय तक रखरखाव से जुड़ी सहायता भी शामिल है। समझौते के तहत भारतीय वायुसेना के पास पहले से मौजूद राफेल विमानों के लिए अतिरिक्त उपकरण भी उपलब्ध कराए जाने हैं।

दिल्ली समेत 6 राज्यों में एसआईआर की समयसीमा बढ़ी

नई दिल्ली,30 अक्टूबर 2026। चुनाव आयोग ने दिल्ली, महाराष्ट्र, हरियाणा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और नगालैंड में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) कार्यक्रम की समयसीमा बढ़ा दी है। आयोग ने इन राज्यों और केंद्रशासित प्रदेश में दावे-आपत्तियां दाखिल करने, उनके निस्तारण और अंतिम मतदाता सूची के प्रकाशन की तारीखों में संशोधन किया है। संबंधित मुख्य चुनाव अधिकारियों से मिले अनुरोधों और परिस्थितियों की समीक्षा के बाद संशोधित कार्यक्रम जारी किया गया है। चुनाव आयोग के अवर सचिव संदीप कुमार और सचिव पवन दीवान की ओर से जारी निर्देशों में संबंधित राज्यों के मुख्य चुनाव अधिकारियों को संशोधित कार्यक्रम का विभिन्न प्रचार माध्यमों से व्यापक प्रचार-प्रसार कराने को कहा गया है। साथ ही सभी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों को भी संशोधित समय-सारिणी की लिखित जानकारी देने के निर्देश दिए गए हैं,ताकि पात्र मतदाता निर्धारित समयसीमा में अपना पंजीकरण करा सकें।

बद्रीनाथ से देहरादून आ रहा हेलिकॉप्टर क्रैश

पायलट समेत 6 यात्रियों की मौत

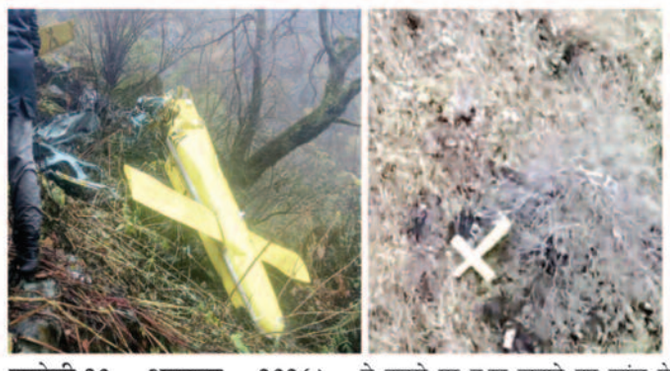

चमोली,30 अक्टूबर 2026। उत्तराखंड में शुक्रवार को बद्रीनाथ से देहरादून आ रहा एक प्राइवेट कंपनी का हेलिकॉप्टर जोशीमठ के पास क्रैश हो गया। हादसे में पायलट समेत 6 लोगों की मौत हो गई। सभी के शव बरामद कर लिए गए हैं। हेलिकॉप्टर ने दोपहर करीब 1:14 बजे बद्रीनाथ से देहरादून के सहस्त्रधारा के लिए उड़ान भरी थी। जोशीमठ घाटी के ऊपर उड़ान के दौरान उसका संपर्क टूट गया। इसके बाद ट्रैकिंग सिस्टम पर भी उसकी लोकेशन मिलनी बंद हो गई। यह घटना ऐसे समय हुई है, जब उत्तराखंड के कई इलाकों में खराब मौसम बना हुआ है। राज्य के कई हिस्सों में बारिश और बर्फबारी हो रही है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हादसे पर दुःख जताते हुए जांच के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि मृतकों के परिवारों को हर संभव मदद दी जाएगी। केंद्र सरकार के मुताबिक, 2016 और 2026 के बीच उत्तराखंड में 13 हेलीकॉप्टर हादसे हुए, जिनमें 27 लोगों की मौत हुई। आपदा प्रबंधन अधिकारी नंदकिशोर जोशी के मुताबिक, जेपी डैम के ऊपर जंगल में सफेद रंग की किसी चीज में आग लगने की सूचना मिली थी।

इसकी जांच के लिए दो हेलिकॉप्टर भेजे गए थे। लापता हेलिकॉप्टर ट्रांस भारत एविएशन प्राइवेट लिमिटेड का था। इसमें पायलट कैप्टन हिमांशु के अलावा 5 यात्री सवार थे। इनमें प्रतापा, अरुण, शंकर गौड़ा, सुधीर के. और एचएस नटराज शामिल हैं।

सोमनाथ मंदिर के पास नॉनवेज बेचने पर रोक नहीं : हाईकोर्ट

नई दिल्ली,30 अक्टूबर 2026। हाईकोर्ट ने शुक्रवार को सोमनाथ मंदिर के आसपास नॉन-वेज बेचने पर लगी रोक को हटा दिया। कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि स्थानीय प्रशासन ने अपनी गलत शक्तियों का इस्तेमाल किया। गुजरात सरकार ने इस साल अगस्त में नोटिफिकेशन जारी किया था कि सोमनाथ मंदिर के 500 मीटर दायरे और मंदिर जाने वाले 6 मुख्य रास्तों पर नॉनवेज बनाना-बेचना पूरी तरह बैन होगा। इस फैसले के खिलाफ 7 रेस्टोरेंट मालिक ने याचिका लगाई थी। सरकार अब इस फैसले के खिलाफ डिवीजन बेंच या सुप्रीम कोर्ट में जा सकती है, लेकिन फिलहाल के लिए बैन खत्म है।

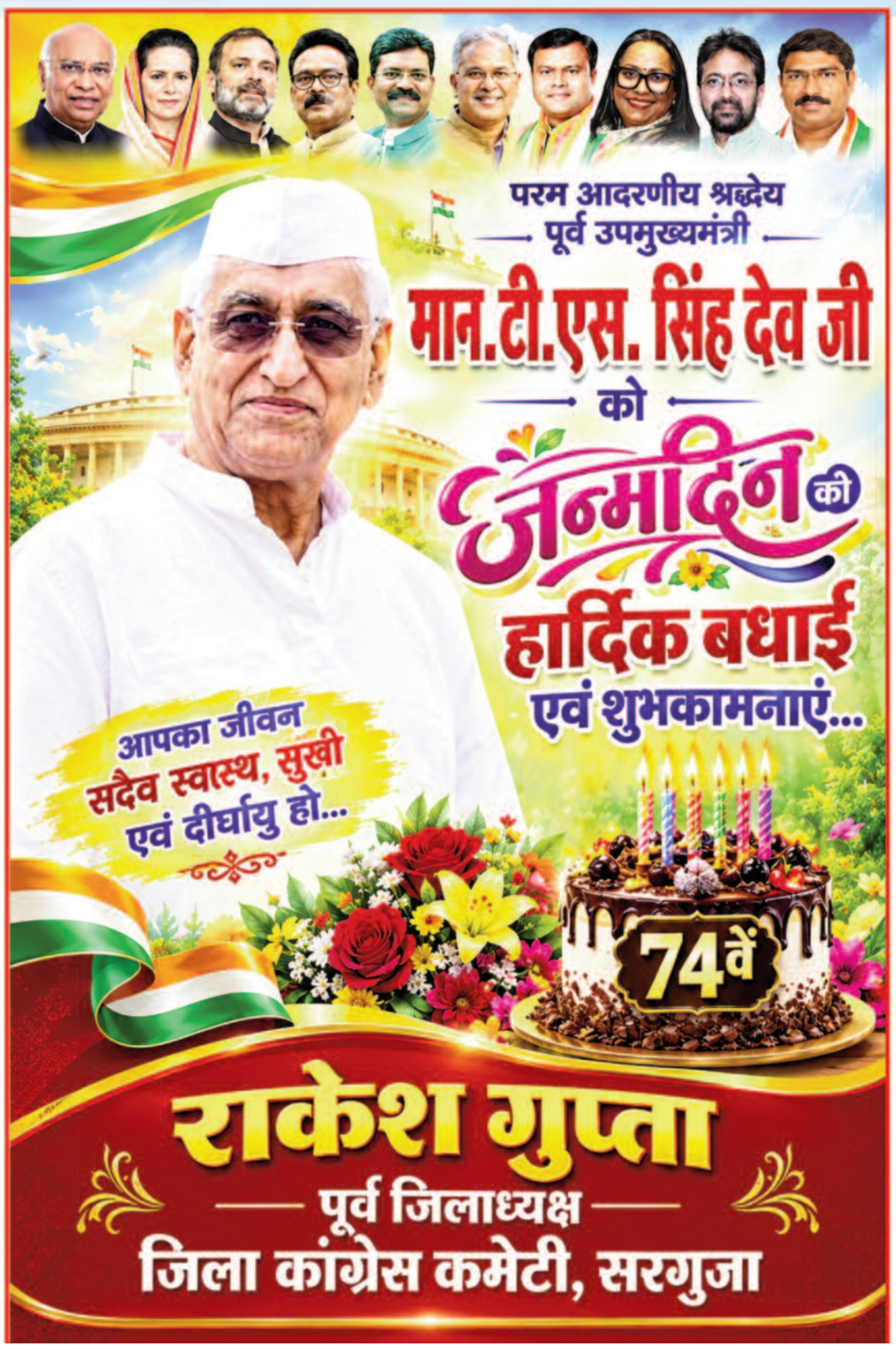

संपादकीय

साइबर ठगी पर सख्ती

सुप्रीम कोर्ट की यह टिप्पणी सराहनीय है कि यदि साइबर धोखाधड़ी के मामलों में बैंकों की गलती या लापरवाही पाई जाती है तो उन्हें पीड़ित व्यक्ति को भरपाई करनी होगी। यह निराशाजनक है कि बैंक असामान्य लेनदेन को भांप पाने में नाकाम हैं,जबकि उन्हें इसके प्रति अतिरिक्त सतर्कता बरतनी चाहिए,क्योंकि साइबर धोखाधड़ी के मामले थमने का नाम नहीं ले रहे हैं और यह धोखाधड़ी बैंकों के माध्यम से ही हो रही है। साइबर अपराधी फर्जी पुलिस, कस्टम,सीबीआइ,ईडी अथवा आयकर अधिकारी के रूप में लोगों को डिजिटल अरेस्ट का भय दिखाकर ठगने में लगे हुए हैं। उनके झांसे में आकर कोई व्यक्ति जैसे ही उनकी ओर से बताए गए खाते में धनराशि ट्रांसफर करता है,वैसे ही वह एक के बाद एक दूसरे खातों में स्थानांतरित होती जाती है और अधिकांश मामलों में अपराधियों तक पहुंच पाना कठिन हो जाता है। अनेक मामलों में तो यह सामने आया है कि साइबर छल के जरिये हासिल की गई राशि विदेश पहुंच गई।साइबर अपराधी डिजिटल अरेस्ट का भय दिखाकर तो लोगों को ठगने का काम कर ही रहे हैं, उन्हें लालच देकर अथवा बहकाकर भी ठगी कर रहे हैं। इस ठगी में भी बैंक ही माध्यम बनते हैं। इसकी अनदेखी नहीं की जा सकती कि साइबर धोखाधड़ी के कुछ मामलों में बैंक अधिकारियों और कर्मचारियों की मिलीभगत पाई गई है। ऐसे कुछ कर्मचारियों-अधिकारियों की गिरफ्तारी भी हुई है। एक विडंबना यह भी है कि बैंक म्यूल खातों की पहचान और निगरानी नहीं कर पा रहे हैं,जबकि साइबर ठगी के लिए ऐसे ही खातों का इस्तेमाल होता है।

इससे संतुष्ट नहीं हुआ जा सकता कि कुछ मामलों में साइबर अपराधी पकड़ में आ जाते हैं और चंद लोगों को छल-छद्म से हड़पी गई राशि भी वापस हो जाती है,लेकिन सच्चाई यही है कि साइबर अपराधियों का दुःस्साहस और उनका दायरा बढ़ता चला जा रहा है। अधिकांश मामलों में लोगों को उनकी राशि कभी वापस नहीं मिल पाती।साइबर अपराधी किस तरह बेलगाम हो गए हैं और वे किस बड़े पैमाने पर लोगों को ठगने का काम कर रहे हैं,इसका पता कुछ माह पहले सामने आए इस आंकड़े से लगता है कि अभी तक 54 हजार करोड़ रुपये की साइबर धोखाधड़ी हो चुकी है। यह राशि कुछ राज्यों के बजट से भी अधिक है। यह अच्छा है कि सुप्रीम कोर्ट साइबर धोखाधड़ी के मामलों के प्रति लगातार कठोर रुख अपना हुए है और गत दिवस उसने रिजर्व बैंक के प्रस्तावित केवाईसी संशोधन निर्देशों की समीक्षा करने की भी बात कही,लेकिन उचित यह होगा कि सरकारी एजेंसियां भी अपनी सक्रियता दिखाएं,क्योंकि अभी तक तो साइबर अपराधी उनसे दो हाथ आगे ही नजर आ रहे हैं। यह स्थिति डिजिटल लेनदेन की व्यवस्था पर लोगों का भरोसा कम करने वाली है।

अपराधियों के लिए कानून का भय क्यों नहीं?

सौरभ वार्ष्णेय
उत्तमनगर,नई दिल्ली

प्रतीकात्मक: दैनिक घटती-घटना

डिजिटल तकनीक ने जीवन को जितना सरल बनाया है,उतना ही साइबर अपराधियों के लिए ठगी के नए रास्ते भी खोल दिए हैं। कभी बैंक अधिकारी बनकर लोगों की जमा पूंजी लूटी जाती है,तो कभी पुलिस, सीबीआई, प्रवर्तन निदेशालय या अन्य जांच एजेंसियों का अधिकारी बनकर लोगों को भयभीत किया जाता है। वीडियो कॉल पर फर्जी वर्दी, सरकारी कार्यालयों जैसी पृष्ठभूमि और गिरफ्तारी के कथित आदेश दिखाकर किसी व्यक्ति को घंटों या कई दिनों तक मानसिक दबाव में रखना तथा उससे धन हस्तांतरित करवाना इसी नए अपराध का खतरनाक रूप है। इसे आम बोलचाल में डिजिटल अरेस्ट'कहा जाता है। वास्तव में यह न तो कोई वैधानिक गिरफ्तारी है और न ही कानून की निर्धारित प्रक्रिया,बल्कि भय,भ्रम और तकनीक के दुरुपयोग से की जाने वाली संगठित ठगी है।सुप्रीम कोर्ट द्वारा डिजिटल अरेस्ट के जरिए होने वाली साइबर ठगी को डिजिटल डकैती की संज्ञा देना इस अपराध की गंभीरता को रेखांकित करता है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने जिस तरह ऐसे अपराधों पर कठोर रुख अपनाने की आवश्यकता जताई है, उससे स्पष्ट है कि अब इस समस्या को केवल सामान्य ऑनलाइन धोखाधड़ी मानकर नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। यह नागरिकों की आर्थिक सुरक्षा के साथ-साथ उनकी मानसिक शांति, सामाजिक प्रतिष्ठा और कानून-व्यवस्था पर विश्वास से जुड़ा गंभीर विषय है। डिजिटल अरेस्ट की सबसे चिंताजनक विशेषता यह है कि इसमें अपराधी पीड़ित की कमजोरी,सामाजिक प्रतिष्ठा और कानून के प्रति सम्मान का फायदा उठाते हैं। किसी व्यक्ति को फोन या वीडियो कॉल के माध्यम से बताया जाता है कि उसके नाम से अवैध पार्सल भेजा गया है,बैंक खाते का इस्तेमाल मनी लॉन्ड्रिंग में हुआ है अथवा वह किसी गंभीर आपराधिक मामले में संदिग्ध है। इसके बाद फर्जी पुलिस अधिकारी या जांच एजेंसी का प्रतिनिधि बनकर उसे गिरफ्तारी,जेल और परिवार की बदनामी का भय दिखाया जाता है। पीड़ित को किसी से बात न करने,घर में ही रहने और लगातार वीडियो कॉल पर बने रहने का निर्देश दिया जाता है। अंततः कथित जांच, सत्यापन या जमानत के नाम पर उससे लाखों रुपये तक वसूल लिए जाते हैं।

यह अपराध केवल धन की चोरी नहीं है। इसमें व्यक्ति को मानसिक रूप से इस सीमा तक भयभीत कर दिया जाता है कि वह अपनी वर्षों की बचत,सेवानिवृत्ति के बाद मिला पैसा और कभी-कभी परिवार की आर्थिक सुरक्षा तक अपराधियों के हवाले कर देता है। कई मामलों में पीड़ित अपनी समझ और विवेक से निर्णय लेने की स्थिति में भी नहीं रह जाता। यही कारण है कि डिजिटल अरेस्ट को केवल तकनीकी अपराध के बजाय मनोवैज्ञानिक दबाव के माध्यम से की जाने वाली संगठित आर्थिक लूट के रूप में समझना आवश्यक है।इस अपराध में बुजुर्गों को निशाना बनाए जाने की घटनाएं विशेष चिंता का विषय हैं। जीवनभर की कमाई सुरक्षित रखने वाले वरिष्ठ नागरिक अक्सर कानून और सरकारी संस्थाओं के प्रति गहरा विश्वास रखते हैं। जब कोई व्यक्ति स्वयं को पुलिस अधिकारी बताकर गिरफ्तारी की धमकी देता है, तो अनेक बुजुर्ग घबराकर उसकी बातों पर विश्वास कर लेते हैं। अपराधी इसी भय का

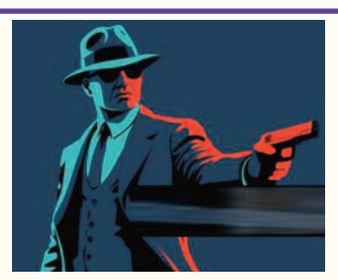

लाभ उठाते हैं।समाज में यह धारणा मजबूत करनी होगी कि किसी भी वास्तविक जांच एजेंसी को वीडियो कॉल पर गिरफ्तारी का नाटक करके किसी नागरिक से निजी बैंक खाते में पैसा जमा कराने का अधिकार नहीं है। न ही कोई वैध अधिकारी किसी व्यक्ति को मनमाने ढंग से ऑनलाइन हिरासत में रखकर धन हस्तांतरित करने के लिए बाध्य कर सकता है। सरकारी संस्थाओं का नाम लेकर भय पैदा करना उनकी प्रतिष्ठा पर भी हमला है। इसलिए ऐसे अपराधियों के विरुद्ध कार्रवाई का उद्देश्य केवल धन की बरामदगी नहीं, बल्कि नागरिकों के मन से कृत्रिम भय को समाप्त करना भी होना चाहिए।सुप्रीम कोर्ट के समक्ष गौरव कुमार साहा और निधि भंडारी की याचिका में 12 राज्यों में दर्ज 35 साइबर अपराध मामलों को एक स्थान पर लाने की मांग की गई थी। उपलब्ध विवरण के अनुसार,आरोप है कि उनकी कंपनी के बैंक खाते का इस्तेमाल ठगी की रकम जमा करने और आगे भेजने के लिए किया गया। याचिकाकर्ताओं ने दावा किया कि वे स्वयं धोखाधड़ी के शिकार हैं और उनकी जानकारी के बिना उनके खाते का इस्तेमाल हुआ। यह मामला एक महत्वपूर्ण कानूनी प्रश्न भी उठाता है। साइबर ठगी की रकम अक्सर कई बैंक खातों से होकर गुजरती है। अपराधी दूसरों के खातों, कंपनियों और फर्जी पहचान का इस्तेमाल करते हैं, जिससे वास्तविक लाभार्थियों तक पहुंचना कठिन हो जाता है। ऐसे में किसी खाते में संदिग्ध धन आने मात्र से उसके संचालक को स्वतः दोषी मान लेना उचित नहीं होगा। यह भी जरूरी है कि जांच एजेंसियां खाते के वास्तविक उपयोगकर्ता, धन के स्रोत,लेन-देन की प्रकृति,डिजिटल साक्ष्य और संबंधित व्यक्ति की भूमिका की निष्पक्ष जांच करें। दूसरी ओर,केवल यह दावा कर देना कि खाते का इस्तेमाल जानकारी के बिना हुआ,किसी व्यक्ति को स्वतः दोषमुक्त करने के लिए पर्याप्त नहीं हो सकता। जांच में सहयोग,उपलब्ध साक्ष्यों की पड़ताल और धन के प्रवाह का पता लगाना आवश्यक है। सुप्रीम कोर्ट की यह टिप्पणी कि आरोपियों की सुविधा के लिए पीड़ितों को दिल्ली नहीं बुलाया जा सकता और अलग-अलग राज्यों में चल रही जांच को प्रभावित नहीं किया जा सकता,न्याय के एक महत्वपूर्ण सिद्धांत की ओर संकेत करती है। न्यायिक प्रक्रिया का उद्देश्य आरोपियों की सुविधा से अधिक पीड़ितों के हितों की रक्षा और निष्पक्ष जांच सुनिश्चित करना है। हालांकि,मामलों को एक साथ जोड़ने या अलग-अलग राज्यों की जांच के समन्वय का प्रश्न तथ्यों और लागू कानून के आधार पर तय होना चाहिए। सख्ती का अर्थ यह नहीं कि किसी आरोपी को अपना पक्ष रखने का अवसर न मिले। कठोर कार्रवाई और निष्पक्ष न्याय एक-दूसरे के विरोधी नहीं, बल्कि प्रभावी न्याय व्यवस्था के दो आवश्यक आधार हैं।

डिजिटल ठगी के मामलों में समय सबसे महत्वपूर्ण कारक है। जैसे ही ठगी की रकम एक खाते से दूसरे खाते में पहुंचती है, उसे कई स्तरों पर स्थानांतरित करके निकाल लिया जाता है। यदि जांच एजेंसियां समय रहते संदिग्ध धन पर रोक नहीं लगातीं, तो पीड़ित के लिए अपनी राशि वापस पाना अत्यंत कठिन हो जाता है। इस दृष्टि से ठोस साक्ष्यों के आधार पर संदिग्ध संपत्ति या खातों को कानून के अनुरूप फ्रीज करने की कार्रवाई महत्वपूर्ण हो सकती है।

लेकिन इस शक्ति का इस्तेमाल स्पष्ट कानूनी आधार, पर्याप्त सामग्री और आवश्यक प्रक्रिया के अनुसार होना चाहिए। किसी निर्दोष व्यक्ति या वैध कारोबार का खाता बिना उचित आधार के लंबे समय तक बंद रहने से गंभीर आर्थिक नुकसान हो सकता है। इसलिए कार्रवाई के साथ समयबद्ध समीक्षा,प्रभावित व्यक्ति को उपलब्ध कानूनी उपाय और जांच में पारदर्शिता भी जरूरी है। संपत्ति फ्रीज करना जांच का प्रभावी साधन होना चाहिए, न कि बिना सुनवाई के किसी व्यक्ति को दंडित करने का विकल्प। इसी संदर्भ में मुकदमे से पहले दंडित करने की किसी भी व्यवस्था को लेकर विशेष सावधानी आवश्यक है। अपराध से अर्जित धन को रोकना, संपत्ति को सुरक्षित करना और किसी व्यक्ति को दोषी ठहराकर सजा देना अलग-अलग कानूनी प्रक्रियाएं हैं। संविधान और विधि के शासन के तहत अंतिम दंड का आधार विधिसम्मत प्रक्रिया और न्यायिक निर्णय होना चाहिए। अपराध की गंभीरता के बावजूद निर्दोष होने की धारणा और निष्पक्ष सुनवाई के सिद्धांतों की रक्षा की जानी चाहिए। डिजिटल अरेस्ट को अलग अपराध के रूप में परिभाषित करने और उसके लिए कठोर सजा निर्धारित करने पर विचार करने की आवश्यकता महत्वपूर्ण है। मौजूदा कानूनों के अंतर्गत धोखाधड़ी, प्रतिरूपण,आपराधिक धमकी,पहचान के दुरुपयोग और साइबर अपराध से संबंधित प्रावधानों के माध्यम से कई मामलों में कार्रवाई की जा सकती है।

सरदार पटेलः नये भारत के शिल्पकार और स्वप्नद्रष्टा युगपुरुष

ललित गर्ग
पटपड़गंज,नई दिल्ली

किसी राष्ट्र का निर्माण केवल स्वतंत्रता प्राप्त कर लेने से नहीं होता,बल्कि स्वतंत्रता को एकता, अखंडता,सुरक्षा और सामूहिक संकल्प की शक्ति में बदलने से होता है। भारत की स्वतंत्रता के बाद यह सबसे बड़ी चुनौती थी। देश के सामने रियासतों का बिखराव था, विभाजन की पीड़ा थी,सांप्रदायिक तनाव था,सीमाओं पर असुरक्षा थी और नवजात लोकतंत्र के सामने अनेक राजनीतिक एवं प्रशासनिक संकट थे। ऐसे कठिन समय में यदि किसी एक व्यक्तित्व ने भारत को भौगोलिक ही नहीं,बल्कि राजनीतिक और राष्ट्रीय दृष्टि से एक सूत्र में पिरोने का ऐतिहासिक दायित्व निभाया, तो वे थे सरदार वल्लभभाई पटेल। उनकी 151वीं जयंती पर मनाया जाने वाला राष्ट्रीय एकता दिवस केवल एक महापुरुष का स्मरण नहीं, बल्कि भारत की सामूहिक शक्ति,राष्ट्रीय स्वाभिमान और दूरदर्शी नेतृत्व के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराने का अवसर है। सरदार पटेल का व्यक्तित्व उस चट्टान की तरह था,जिस पर कठिन से कठिन परिस्थितियों की लहरें टकराकर लौट जाती थीं। स्वतंत्रता आंदोलन में उनकी दृढ़ता,संगठन क्षमता और जन नेतृत्व ने उन्हें राष्ट्रीय राजनीति में विशिष्ट स्थान दिलाया था। खेड़ा सत्याग्रह और बारडोली आंदोलन ने उन्हें किसानों के संघर्ष का नायक बनाया। बारडोली की महिलाओं द्वारा दिया गया 'सरदार' संबोधन आगे चलकर उनके व्यक्तित्व की राष्ट्रीय पहचान बन गया। लेकिन उनकी वास्तविक ऐतिहासिक भूमिका स्वतंत्रता के बाद सामने आई, जब भारत को एक राष्ट्र के रूप में संगठित करना सबसे बड़ी आवश्यकता थी।

उस समय देश में 562 से अधिक रियासतें थीं। अनेक रियासतों के शासक स्वतंत्र अस्तित्व बनाए रखने अथवा भारत से अलग रहने की आकांक्षा रखते थे। ऐसी स्थिति में भारत का राजनीतिक मानचित्र खंडित हो सकता था। सरदार पटेल ने अपनी राजनीतिक दृढ़ता,असाधारण कूटनीति और व्यावहारिक बुद्धिमत्ता से इस चुनौती का समाधान किया। उन्होंने जहां आवश्यकता हुई वहां संवाद का सहारा लिया, जहां जरूरी हुआ वहां दृढ़ता दिखाई और जहां राष्ट्रीय हित सर्वोपरि था वहां किसी दबाव के सामने झुकने से इनकार कर दिया। हैदराबाद का भारत में विलय इसका उल्लेखनीय उदाहरण है। यह केवल रियासतों का विलय नहीं था,बल्कि एक आधुनिक राष्ट्र की आधारशिला रखने वाला ऐतिहासिक अभियान था। पटेल की सबसे बड़ी विशेषता यह थी कि वे राजनीति को सत्ता प्राप्ति का माध्यम नहीं,राष्ट्र निर्माण का दायित्व मानते थे। उनके लिए राष्ट्रीय हित किसी दल, विचारधारा, क्षेत्र अथवा समुदाय से ऊपर था। वे जानते थे कि स्वतंत्रता की रक्षा केवल भावनात्मक नारों से नहीं हो सकती। इसके लिए मजबूत प्रशासन, अनुशासित शासन,स्पष्ट विदेश नीति और आंतरिक सुरक्षा की ठोस व्यवस्था आवश्यक है। पाकिस्तान की नीतियों,कश्मीर के प्रश्न और सीमावर्ती क्षेत्रों की चुनौतियों को लेकर उनकी चिंताएं इसी राष्ट्रीय सुरक्षा दृष्टि का प्रमाण थीं। चीन की तिब्बत संबंधी नीति को लेकर उन्होंने तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को 7 नवंबर 1950 को लिखे पत्र में जिस प्रकार आगाह किया था,वह उनकी सामरिक दूरदृष्टि

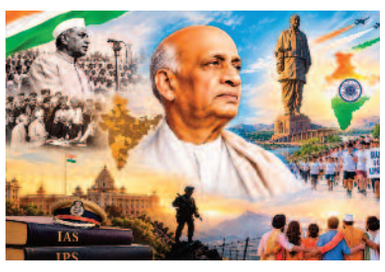

का महत्वपूर्ण दस्तावेज है। उन्होंने पड़ोसी देशों के साथ संबंधों में सद्भावना के साथ-साथ सतर्कता और राष्ट्रीय हितों की रक्षा को भी अनिवार्य माना। सरदार पटेल की दूरदर्शिता का एक और महत्वपूर्ण पक्ष भारतीय प्रशासनिक व्यवस्था का निर्माण था। स्वतंत्रता के बाद अनेक लोग अंग्रेजों की बनाई प्रशासनिक सेवाओं को समाप्त करने के पक्ष में थे, लेकिन पटेल ने इनके महत्व को समझा। उन्होंने भारतीय प्रशासनिक सेवा और भारतीय पुलिस सेवा जैसी अखिल भारतीय सेवाओं को मजबूत आधार प्रदान किया। उनका मानना था कि देश की एकता और प्रशासनिक स्थिरता के लिए ऐसी संस्थाएं जरूरी हैं, जो राजनीतिक परिवर्तन के बावजूद राष्ट्र के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभाती रहें। उन्होंने अधिकारियों में यह विश्वास पैदा किया कि अब उनकी निष्ठा किसी विदेशी शासन के प्रति नहीं, बल्कि स्वतंत्र भारत और उसके नागरिकों के प्रति होनी चाहिए। इसीलिए उन्हें भारतीय प्रशासनिक सेवाओं का संरक्षक भी कहा जाता है। उनकी राजनीतिक दृष्टि में दृढ़ता थी,लेकिन वह हठधर्मिता नहीं थी। वे जानते थे कि राष्ट्र केवल कानून और प्रशासन से नहीं,बल्कि सामाजिक विश्वास और नागरिक उत्तरदायित्व से भी मजबूत होता है। वे राष्ट्रीय एकता को विविधताओं के निषेध के रूप में नहीं,बल्कि विविधताओं के बीच साझा राष्ट्रीय चेतना के विकास के रूप में देखते थे। भारत की भाषाएं,संस्कृतियां,परंपराएं और आस्थाएं अलग-अलग हो सकती हैं, लेकिन राष्ट्र के प्रति निष्ठा और संविधान के प्रति सम्मान सबको एक सूत्र में बांधते हैं। आज जब समाज में वैचारिक मतभेद, क्षेत्रीय आग्रह, जातीय विभाजन और राजनीतिक कटुता की प्रवृत्तियां दिखाई देती हैं, तब पटेल का यह संदेश और अधिक प्रासंगिक हो जाता है।

आज जब भारत वर्ष 2047 तक विकसित, आत्मनिर्भर,समृद्ध और विश्वशक्ति के रूप में स्थापित होने का संकल्प लेकर आगे बढ़ रहा है, तब सरदार वल्लभभाई पटेल के विचार,दृष्टि और राष्ट्र निर्माण की भावना पहले से कहीं अधिक प्रासंगिक हो उठती है। उन्होंने जिस अखंड भारत की कल्पना की थी,उसकी मजबूती का आधार केवल भौगोलिक एकता नहीं, बल्कि राष्ट्रीय एकात्मता, सामाजिक समरसता,प्रशासनिक दृढ़ता और सामूहिक उत्तरदायित्व था। आज भारत के सामने आर्थिक प्रगति,तकनीकी आत्मनिर्भरता, सामाजिक समानता,आंतरिक सुरक्षा,सुशासन और वैश्विक नेतृत्व की जो चुनौतियाँ एवं संभावनाएँ हैं,उनके समाधान में पटेल की राष्ट्रनिष्ठा,दृढ़ इच्छाशक्ति और व्यावहारिक नेतृत्व दृष्टि मार्गदर्शक बन सकती है। विकसित भारत का सपना तभी साकार होगा,जब देश की विविधता उसकी शक्ति बने,राष्ट्रीय हित सर्वोपरि रहे और प्रत्येक नागरिक राष्ट्रनिर्माण में अपनी सक्रिय भूमिका निभाए। इस दृष्टि से सरदार पटेल केवल इतिहास के महानायक नहीं,बल्कि 2047 के भारत की दिशा और दशा निर्धारित करने वाले प्रेरणास्रोत हैं। सरदार वल्लभभाई पटेल का व्यक्तित्व अदम्य साहस,लौह इच्छाशक्ति, अनुशासन,स्पष्टवादिता,संगठन क्षमता, प्रशासनिक दक्षता और अटूट राष्ट्र भक्ति का विलक्षण समन्वय था। वे दृढ़ संकल्प के धनी होने के साथ-साथ अत्यंत व्यावहारिक,दूरदर्शी और निर्णय लेने में असाधारण क्षमता रखने वाले राजनेता थे। वे केवल स्वतंत्रता संग्राम के सेनानी या देश के प्रथम उपप्रधानमंत्री एवं गृहमंत्री ही नहीं थे,बल्कि ऐसे राष्ट्रशिल्पी थे जिन्होंने भारत की एकता और अखंडता को स्थायी आधार प्रदान किया। उनका जीवन हमें सिखाता है कि महान राष्ट्रों का निर्माण केवल संकल्पों से नहीं,बल्कि चरित्रबल, अनुशासन,कर्मनिष्ठा,त्याग और सामूहिक प्रतिबद्धता से होता है। यही वे शाश्वत गुण हैं, जिनकी आज के भारत और आने वाली पीढ़ियों को सर्वाधिक आवश्यकता है। आज भारत आर्थिक महाशक्ति बनने, वैश्विक नेतृत्व की भूमिका निभाने और विकसित राष्ट्र बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। लेकिन विकास की इस यात्रा की सबसे बड़ी शर्त आंतरिक एकता और राष्ट्रीय सुरक्षा है। आर्थिक समृद्धि तभी स्थायी हो सकती है,जब देश सामाजिक रूप से संगठित,राजनीतिक रूप से स्थिर और सामरिक रूप से सुदृढ़ हो। सरदार पटेल का जीवन हमें यही सिखाता है कि राष्ट्र की शक्ति उसके संसाधनों से अधिक उसके संकल्प,नेतृत्व और एकजुट नागरिक चेतना में निहित होती है।

सरदार पटेल का निधन 15 दिसंबर 1950 को हो गया,लेकिन उनका राष्ट्रवादी चिंतन आज भी भारत की राष्ट्रीय चेतना का आधार है।

हिंदी कवितायें

आजादी के मायने

डॉ.राजीव डोगरा
कांगड़ा
हिमाचलप्रदेश

अरे !अब तुम क्या करोगे
देश को आजाद
तुम तो ढूंढते हो
इंस्टा और फेसबुक पर
सच्चा प्यार।

कभी ढूंढ लेते
तुम उन विचारों को
जो जगा देते
तुम्हारी सोइ हुई
अंतर आत्मा को।

कभी जला लेते
सीने में दफन
दहकते अंगारों को
शायद दिख जाती
स्वतंत्रता की पक्की नींव।

व्यंग्य : ऊपर वाले मालामाल,नीचे वाले बेहाल!

भ्रष्टाचार की भी अपनी एक व्यवस्था है। यहाँ ईमानदारी पद देखकर नहीं, पद की ऊँचाई देखकर शर्माती है। सिपाही,क्लर्क और चौकीदार की अलमारी से निकले नोट सुर्खियाँ बन जाते हैं,लेकिन बड़े साहबों की तिजोरियों तक पहुँचते वही नोट प्रतिष्ठा, प्रभाव और रसूख की चादर ओढ़ते हैं। गजब का न्याय है! छोटा कर्मचारी पकड़ा जाए तो भ्रष्टाचारी,बड़ा अधिकारी पकड़ा जाए तो जाँच जारी। नीचे वाले के घर से नकदी मिले तो अपराध का प्रमाण,ऊपर वाले के यहाँ करोड़ों की संपत्ति मिले तो यह किसी की साजिश तो नहीं! सवाल सीधा है-मामूली पद पर बैठा कर्मचारी करोड़ों की संपत्ति का मालिक बन सकता है,तो ऊँची कुर्सियों पर बैठे लोगों की संपत्ति का हिसाब कौन करेगा? लोकायुक्त,सीबीआई व ईडी जैसी संस्थाएँ छापे मारती हैं, फाइलें खुलती हैं,तस्वीरें छपती हैं और जनता कुछ दिन तक व्यवस्था के सुधरने की उम्मीद पालती है। फिर अचानक खबर आती है कि जाँच जारी है। हमारी व्यवस्था में जाँच भी सरकारी नौकरी जैसी है-आराम से चलती है, समय पर पूरी नहीं होती और कभी-कभी सेवानिवृत्ति के बाद भी चलती रहती है! सबसे दिलचस्प कार्रवाई अक्सर वहीं तेज दिखाई देती है, जहाँ आरोपी का राजनीतिक संरक्षण कमजोर हो। जिनके पीछे सत्ता का साया है,उनके लिए कानून की धूप भी छनकर आती है। आम आदमी के लिए नियम पत्थर की लकीर हैं,जबकि रसूखदारों के लिए उन्हीं नियमों में कई दरवाजे बने होते हैं। यहाँ भ्रष्टाचार की सफाई भी बड़ी अनोखी है। नीचे की गंदगी साफ करने के लिए झाड़ू उठाई जाती है,लेकिन ऊपर की गंदगी तक झाड़ू पहुँचाने की नौबत आए तो अचानक झाड़ू की डंडी छोटी पड़ जाती है! सरकार यदि भ्रष्टाचार मिटाना चाहे,तो उसे चपरासी की जेब से पहले बड़े साहब की तिजोरी तक पहुँचना होगा। संपत्ति का हिसाब पद देखकर नहीं,प्रमाण देखकर होना चाहिए। जाँच की धार छोटी मछली और बड़ी मछली के लिए अलग-अलग नहीं हो सकती। क्योंकि भ्रष्टाचार की असली बीमारी रिश्वत लेने वाले छोटे हाथ नहीं,बल्कि वे बड़े हाथ हैं जो उन हाथों को संरक्षण देते हैं।

संजय एम तराणेकर
इन्दौर मध्यप्रदेश

सूचना

समाचार पत्र में छपे समाचार एवं लेखों पर सम्पादक की सहमति आवश्यक नहीं है। हमारा ध्येय तथ्यों के आधार पर सटिक खबरें प्रकाशित करना है न कि किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना। सभी विवादों का निपटारा अम्बिकापुर न्यायालय के अधीन होगा।

सम्पादक

यूपी में अखिलेश के पीडीए के खिलाफ शाह का यूसीसी दांव

संजय सक्सेना,
लखनऊ, उत्तरप्रदेश

उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी के पीडीए यानी दलित-पिछड़ा-अल्पसंख्यक की काट के लिए भारतीय जनता पार्टी यूसीसी मतलब समान नागरिक संहिता का मुद्दा लेकर आ गई है। इस बात का संकेत गृह मंत्री अमित शाह ने लखनऊ दौरे के दौरान दिया। शाह ने दो टूक कहा कि उत्तर प्रदेश का 2027 विधानसभा चुनाव केवल सत्ता बचाने की लड़ाई नहीं होगा,बल्कि वैचारिक मुद्दों, सामाजिक समीकरणों और विकास के दावों का बड़ा मुकाबला बनेगा। शाह ने लखनऊ में कार्यकर्ताओं के बीच कहा कि 2027 में तीसरी बार भाजपा सरकार बनते ही प्रदेश में समान नागरिक संहिता (यूसीसी) लागू कर दिया जाएगा। ऐसा लगता है कि शाह यूसीसी के सहारे यूपी में चुनावी बहस का रुख बदलने की कोशिश कर रहे हैं। साथ ही समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पर तीखे हमले करके उन्होंने कार्यकर्ताओं को यह संदेश दिया कि अब चुनावी तैयारी में किसी तरह की ढिलाई बर्दाश्त नहीं होगी। राजनीति के जानकार कहते हैं कि शाह के यूसीसी लागू करने वाले बयान के पीछे एक बड़ा राजनीतिक एजेंडा छिपा है। सवाल यह भी है कि क्या भाजपा अपनी उपलब्धियों के भरोसे तीसरी बार सत्ता में लौटना चाहती है या 2024 के लोकसभा चुनाव में मिले झटके ने उसे नए सिरे से रणनीति बनाने पर मजबूर कर दिया है? बहरहाल,सपा के पीडीए के खिलाफ शाह का यूसीसी का ऐलान भाजपा की चुनावी रणनीति का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा बन सकता है। यूसीसी के सहारे भाजपा हिंदुत्व के एजेंडे को मजबूत करेगी, वहीं सपा प्रमुख के लिए यूसीसी का विरोध करना आसान नहीं होगा। उधर,यूपी में तीसरी बार सरकार बनने पर यूसीसी लागू करने वाले अमित शाह के बयान पर समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने पलटवार किया है। अखिलेश यादव ने कहा, बड़ी देर कर दी मेहरबां आते-आते।

दरअसल, उत्तर प्रदेश में यूसीसी लागू करने का वादा करके भाजपा ने अपने पुराने वैचारिक एजेंडे को फिर चुनाव के केंद्र में ला दिया है। एक तरफ शाह यूसीसी की बात कर रहे हैं, तो दूसरी ओर शाह 2017 और 2022 के विधानसभा चुनावों का जिक्र करके कार्यकर्ताओं का मनोबल भी बढ़ा रहे हैं। 2017 में भाजपा ने 403 में से 312 सीटें हासिल की थीं और करीब 39.67 प्रतिशत वोट पाए थे। 2022 में पार्टी की सीटें घटकर 255 रह गईं,लेकिन वोट प्रतिशत बढ़कर 41.29 हो गया। इन आंकड़ों से भाजपा की मजबूत चुनावी स्थिति जरूर दिखाई देती है, मगर 2024 के लोकसभा चुनाव ने इस आत्मविश्वास को चुनौती दी। उत्तर प्रदेश की 80 सीटों में समाजवादी पार्टी ने 37 और भाजपा ने 33 सीटें जीतीं। कांग्रेस को छह सीटें मिलीं। यह नतीजा बताता है कि भाजपा के सामने विपक्ष की चुनौती वास्तविक है। सपा ने सामाजिक समीकरणों और गठबंधन की राजनीति के सहारे अपनी ताकत बढ़ाई है। इसीलिए शाह का कार्यकर्ताओं से आपसी नाराजगी भुलाकर मैदान में उतरने का आग्रह महत्वपूर्ण है। शायद समय रहते शाह को कार्यकर्ताओं की नाराजगी का अहसास हो गया है। उनका चुनाव से पहले संगठन की एकजुटता पर इतना जोर देना बताता है कि पार्टी बूथ स्तर पर किसी भी कमजोरी को नजरअंदाज नहीं करना चाहती। टिकट की दावेदारी, स्थानीय नेताओं की खींचतान और जातीय समीकरण भाजपा के लिए बड़ी चुनौती बन सकते हैं। 2024 ने दिखाया कि बड़े नेताओं की लोकप्रियता के बावजूद स्थानीय असंतोष चुनावी परिणाम बदल सकता है। भाजपा को अब केवल पुराने चुनावी आंकड़ों पर निर्भर रहने के बजाय जनता के बीच अपनी पकड़ मजबूत करनी होगी।योगी सरकार की कानून-व्यवस्था को शाह ने चुनाव का प्रमुख मुद्दा बनाने की कोशिश की। उन्होंने अपराध में कमी और माफिया के खिलाफ कार्रवाई को सरकार की बड़ी उपलब्धि बताया। सरकार के उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार, 2016 की तुलना में डकैती के मामलों में करीब 90 प्रतिशत और लूट में 84 प्रतिशत की गिरावट आई है। लेकिन कानून-व्यवस्था का मूल्यांकन केवल अपराध के प्रतिशत से नहीं हो सकता। महिलाओं की सुरक्षा, आम नागरिक की थाने में सुनवाई और अदालतों में न्याय मिलने की प्रक्रिया भी उतनी ही जरूरी है। बुलडोजर कार्रवाई राजनीतिक संदेश दे सकती है, लेकिन कानून का राज निष्पक्ष जांच और संवैधानिक प्रक्रिया से ही स्थापित होता है। निवेश के मोर्चे पर भी शाह ने 50 लाख करोड़ रुपये से अधिक के निवेश प्रस्तावों और 15 लाख करोड़ रुपये के जमीन पर उतरने का दावा किया। यह प्रदेश की अर्थव्यवस्था के लिए बड़ी संभावना है, लेकिन जनता के लिए सबसे महत्वपूर्ण सवाल रोजगार का है। कितनी परियोजनाएं वास्तव में शुरू हुईं और उनसे कितने युवाओं को नौकरी मिली? निवेश सम्मेलन में हुए समझौते तभी सार्थक हैं,जब वे उद्योग,उत्पादन और रोजगार में बदलें। उत्तर प्रदेश का युवा आज भी बेहतर अवसरों के लिए दूसरे राज्यों की ओर पलायन करता है। सरकार को यह साबित करना होगा कि निवेश के बड़े दावे आम परिवारों की आर्थिक स्थिति में भी बदलाव ला रहे हैं। इसके साथ ही शाह ने वोटरों को लुभाने के लिए गरीबी के सवाल पर केंद्र सरकार की उपलब्धियां गिनाईं। नीति आयोग के जनवरी 2024 के आंकड़ों के अनुसार, 2013-14 से 2022-23 के बीच देश में 24.82 करोड़ लोग बहुआयामी गरीबी से बाहर आए। उत्तर प्रदेश में यह संख्या करीब 5.94 करोड़ बताई गई। यह महत्वपूर्ण उपलब्धि है, लेकिन हकीकत यह भी है कि गरीबी से बाहर निकलना और स्थायी आर्थिक सुरक्षा हासिल करना दो अलग बातें हैं। महंगाई, किसानों की आय, बेरोजगारी और छोटे कारोबारियों की समस्याएं अभी भी चुनावी बहस का हिस्सा रहेंगी। इन सवालों का जवाब केवल आंकड़ों से नहीं, जमीन पर दिखाई देने वाले बदलावों से देना होगा। लब्बोलुआब यह है कि भाजपा 2027 की लड़ाई में यूसीसी, कानून-व्यवस्था और विकास को एक साथ लेकर चलना चाहती है। लेकिन सत्ता की तीसरी पारी का रास्ता केवल नारों और राजनीतिक हमलों से नहीं निकलेगा। अंगद के पांव की तरह सरकार अडिग होने का दावा करने वाले शाह को भी पता है कि लोकतंत्र में अंतिम फैसला जनता करती है। भाजप

पांच साल पुराने मारपीट मामलों में तीनों आरोपियों को सजा,अदालत ने माना दोषी

नवापारा चर्च ग्राउंड में चना खाते समय विवाद के बाद लाठी,डंडे,रॉड और बेसबॉल बैट से हमले का था आरोप...

अभिषेक ताम्रकार,अतुल ताम्रकार और मंटू ताम्रकार पर लगा जुर्माना,तीन माह का साधारण कारावास भी...

-संवाददाता-
अंबिकापुर,30 अक्टूबर 2026
(घटती-घटना)।

पांच साल पुराने मारपीट के एक मामले में अंबिकापुर की अदालत ने महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए तीन आरोपियों को दोषी करार दिया है, अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट गुलापन राम यादव की अदालत ने अभिषेक ताम्रकार उर्फ अवि, अतुल ताम्रकार और मंटू ताम्रकार को भारतीय दंड संहिता की धारा 294,506 भाग-2 तथा धारा 323 सहपठित धारा 34 के तहत दोषसिद्ध किया है, अदालत ने प्रत्येक आरोपी पर अलग-अलग धाराओं में अर्थदंड लगाया है, वहीं धारा 323 सहपठित धारा 34 के तहत तीन माह के साधारण कारावास की सजा भी सुनाई है, यह फैसला 24 अक्टूबर 2026 को घोषित किया गया। न्यायालयीन दस्तावेजों के अनुसार,पूरा मामला गांधी नगर थाना क्षेत्र के नवापारा चर्च ग्राउंड का है। घटना 9 सितंबर 2021 की शाम की बताई गई है, शिकायत में उल्लेख किया गया था कि प्रार्थी अपने दोस्त सावन मित्तल के साथ नवापारा चर्च ग्राउंड में एक ठेले के पास चना खा रहा था,इसी दौरान अचानक अभिषेक ताम्रकार उर्फ अवि,उसका छोटा भाई अतुल ताम्रकार और मंटू ताम्रकार वहां पहुंचे।

आरोप था कि तीनों ने मां-बहन को लेकर अश्लील गाली-गलौज शुरू कर दी और विरोध करने पर लाठी,डंडा,रॉड तथा बेसबॉल बैट से मारपीट की,शिकायत के मुताबिक,हमले में प्रार्थी के सिर,हाथ और पैर सहित शरीर के विभिन्न हिस्सों में चोटें आई, बाएं कान में भी चोट लगने और खून बहने का उल्लेख किया गया था,आरोपियों पर जान से मारने की धमकी देने का आरोप भी लगाया गया,घटना के बाद पीड़ित ने गांधी नगर थाने पहुंचकर लिखित शिकायत दी,जिसके आधार पर 9 सितंबर 2021 को अपराध दर्ज कर पुलिस ने विवेचना शुरू की।

पुलिस ने दर्ज किए बयान, कराया चिकित्सकीय परीक्षण-मामले की विवेचना के दौरान पुलिस ने प्रार्थी और गवाहों के बयान दर्ज किए,न्यायालयीन दस्तावेजों में घायल का चिकित्सकीय परीक्षण कराए जाने तथा चोटों से संबंधित दस्तावेज प्राप्त किए जाने का उल्लेख है, मेडिकल रिपोर्ट में चोटों को सामान्य प्रकृति का बताया गया था। विवेचना पूरी होने के बाद पुलिस ने आरोपियों के विरुद्ध अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया, इसके बाद मामला न्यायालयीन सुनवाई के लिए पहुंचा।

अदालत में आरोपियों ने आरोपों से किया इनकार-न्यायालयीन कार्यवाही के दौरान तीनों आरोपियों ने अपने ऊपर लगाए गए आरोपों से इनकार किया,दस्तावेजों के अनुसार,दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के तहत उनके बयान दर्ज किए गए,जिसमें उन्होंने स्वयं को निर्दोष बताते हुए झूठा फंसाए जाने की बात कही। दूसरी ओर अभियोजन पक्ष ने घटना से जुड़े साक्ष्य और गवाहों के माध्यम से अपना पक्ष रखा,सुनवाई और उपलब्ध साक्ष्यों के परीक्षण के बाद अदालत ने तीनों आरोपियों को संबंधित धाराओं में दोषी ठहराया।

तीनों आरोपियों को अलग-अलग धाराओं में सजा...

अदालत के 24 अक्टूबर 2026 के आदेश में तीनों आरोपियों के लिए सजा का विवरण दर्ज है,आदेश के मुताबिक,प्रत्येक आरोपी को भारतीय दंड संहिता की धारा 294 के तहत 500 रुपये अर्थदंड, धारा 506 भाग-2 के तहत 1,000 रुपये अर्थदंड तथा धारा 323 सहपठित धारा 34 के तहत तीन माह का साधारण कारावास और 500 रुपये अर्थदंड से दंडित किया गया है, अर्थदंड अदा नहीं करने की स्थिति में संबंधित धाराओं के तहत 10-10 दिन के साधारण कारावास का प्रावधान भी आदेश में दर्ज है, इस प्रकार अदालत ने गाली-गलौज, आपराधिक धमकी और मारपीट से जुड़े आरोपों पर तीनों को दोषसिद्ध किया।

2021 में दर्ज हुआ था मामला, 2026 में आया फैसला- इस प्रकरण की शुरुआत 9 सितंबर 2021 को हुई थी। पुलिस ने उसी दिन शिकायत के आधार पर अपराध दर्ज कर जांच शुरू की,इसके बाद विवेचना पूरी कर 23 दिसंबर 2021 को अभियोग पत्र प्रस्तुत किए जाने का उल्लेख न्यायालयीन अभिलेख में है, 11 अप्रैल 2022 को आरोप विरचित किए जाने और 10 मई 2022 से साक्ष्य प्रारंभ होने की तारीख भी प्रकरण के दस्तावेजों में दर्ज है, अंततः 24 अक्टूबर 2026 को अदालत ने अपना निर्णय सुनाया,प्रकरण में राज्य की ओर से अभियोजन पक्ष ने पैरवी की,जबकि आरोपियों की ओर से अधिवक्ता राजेश प्रजापति उपस्थित रहे, न्यायालय के इस फैसले के साथ लंबे समय से विचाराधीन इस मामले में दोषसिद्धि का निर्णय सामने आया है, फैसले से स्पष्ट हुआ कि शिकायत से लेकर न्यायालयीन निर्णय तक साक्ष्यों की भूमिका अहम रही।

प्रमुख तथ्य

- घटना की तारीखः 9 सितंबर 2021
- घटना स्थलः नवापारा चर्च ग्राउंड, गांधी नगर थाना क्षेत्र
- अपराध क्रमांकः 454/2021
- आपराधिक प्रकरण क्रमांकः 3593/2021
- निर्णय की तारीखः 24 अक्टूबर 2026
- दोषसिद्ध आरोपीः अभिषेक ताम्रकार उर्फ अवि, अतुल ताम्रकार और मंटू ताम्रकार
- दोषसिद्धि की धाराएंः 294, 506 भाग-2, 323 सहपठित 34 भा.दं.सं.

चिरायु शिविर में 60 बच्चों की हुई ईको जांच,23 को उच्च स्तरीय उपचार के लिए किया चिन्हांकित

रायपुर के वेंकटेश मल्टीस्पेशलिटी हॉस्पिटल में शासन के प्रावधानों के तहत लेगा निःशुल्क इलाज

-संवाददाता-
अम्बिकापुर,30 अक्टूबर 2026
(घटती-घटना)।

राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम (चिरायु) के तहत शुक्रवार को 100 बिस्तरीय मातृ एवं शिशु अस्पताल,जिला चिकित्सालय अंबिकापुर में जिला स्तरीय स्वास्थ्य शिविर आयोजित किया गया। शिविर में जन्मजात हृदय रोग और अन्य गंभीर बीमारियों से पीड़ित 60 बच्चों की ईको (ईसीएचओ) जांच की गई। इनमें 23 बच्चों को उच्च स्तरीय उपचार के लिए चिन्हांकित किया गया है। इनका रायपुर स्थित वेंकटेश मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में शासन के निर्धारित प्रावधानों के तहत निःशुल्क उपचार कराया जाएगा। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के मार्गदर्शन में आयोजित शिविर में रायपुर के वेंकटेश मल्टीस्पेशलिटी हॉस्पिटल के विशेषज्ञ चिकित्सकों ने बच्चों का स्वास्थ्य परीक्षण कर उपचार संबंधी परामर्श दिया। शिविर से पहले जिले के सभी विकासखंडों में संचालित चिरायु दलों ने गंभीर बीमारियों से पीड़ित बच्चों की पहचान की थी। इसके बाद बच्चों और उनके अभिभावकों की काउंसलिंग कर उन्हें जांच के लिए शिविर में बुलाया गया। शिविर में ईको जांच के अलावा आवश्यकता के अनुसार सोनोग्राफी, ईसीजी और एक्स-रे सहित अन्य जांच भी की गईं। बच्चों को निःशुल्क दवाइयां वितरित की गईं। वहीं, विकासखंडों से जिला मुख्यालय तक आने-जाने के लिए परिवहन की व्यवस्था की गई थी। बच्चों और उनके परिजनों के लिए भोजन,नाश्ता सहित अन्य सुविधाएं भी उपलब्ध कराई गईं। शिविर में सीएमएचओ डॉ. जेएस सरूता, मेडिकल कॉलेज के डॉ. आरसी आर्या,सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक डॉ.जेके रेलवानी, वेंकटेश मल्टीस्पेशलिटी हॉस्पिटल रायपुर के हार्ट एवं वैस्कुलर सर्जन डॉ. निशांत सिंह चंदेल,आरबीएसके नोडल अधिकारी डॉ. केपी विश्वकर्मा सहित विवेक चंद्राकर,राकेश प्रजापति,प्रवेल सिंह और विभिन्न विकासखंडों के चिरायु दल के चिकित्सक एवं कर्मचारी उपस्थित रहे।

18 वर्ष तक के बच्चों का उपचार : राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम का उद्देश्य जन्म से 18 वर्ष तक के बच्चों में जन्मजात विकृतियों, बीमारियों,पोषण संबंधी कमियों और विकासात्मक विलंब की समय रहते पहचान कर उपचार उपलब्ध कराना है। इसके तहत जिले में चिरायु दल नियमित रूप से बच्चों का स्वास्थ्य परीक्षण कर रहे हैं,ताकि गंभीर बीमारियों की पहचान कर उन्हें बेहतर चिकित्सा सुविधा मिल सके।

29 अगस्त के हमले के बाद अब हत्या की साजिश का गुमनाम पत्र

कांग्रेस मंडल अध्यक्ष गुरुप्रीत सिद्धू को डाक से मिली कथित हत्या की योजना की सूचना,एसपी राजेश अग्रवाल से मिलकर सौंपा आवेदन,पुलिस ने दिया जांच का निर्देश

-संवाददाता-
अम्बिकापुर,30 अक्टूबर 2026
(घटती-घटना)।

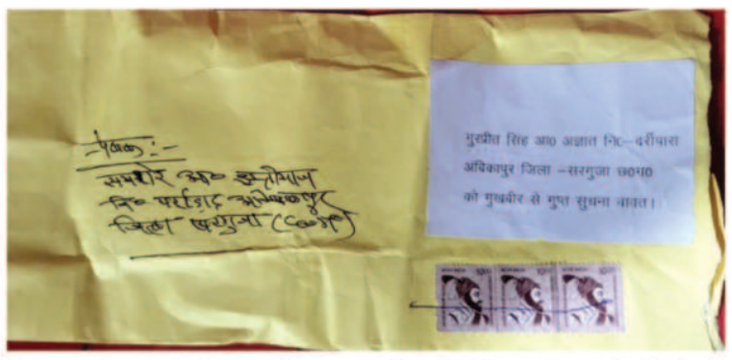

कांग्रेस मंडल अध्यक्ष गुरुप्रीत सिंह सिद्धू पर 29 अगस्त को हुए जानलेवा हमले का मामला अभी पूरी तरह सवालों से मुक्त भी नहीं हुआ था कि अब उनकी हत्या की कथित साजिश को लेकर एक नया मामला सामने आ गया है। गुरुप्रीत सिंह सिद्धू को डाक के माध्यम से एक गुमनाम पत्र मिला है,जिसमें उनकी हत्या के षड्यंत्र की जानकारी दिए जाने का दावा किया गया है। पत्र पर भेजने वाले का नाम और पता दर्ज नहीं है,हालांकि लिफाफे पर एक नाम लिखा हुआ बताया जा रहा है। इस घटनाक्रम ने पहले से चर्चित हमले के मामले को एक बार फिर गंभीर बना दिया है। मिली जानकारी के अनुसार,पत्र मिलने के बाद गुरुप्रीत सिंह सिद्धू ने पुलिस अधीक्षक राजेश अग्रवाल से मुलाकात कर पूरे घटनाक्रम की जानकारी दी और लिखित आवेदन सौंपकर मामले की जांच की मांग की। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक ने तत्काल विवेचना के निर्देश दिए हैं।

पहले घर में घुसकर हुआ था हमला,पत्नी भी हुई थीं घायल : गौरतलब है कि 29 अगस्त की रात मणिपुर थाना क्षेत्र के दरीपारा में गुरुप्रीत सिंह सिद्धू के साथ उनके घर के पास मारपीट की घटना हुई थी। आरोप है कि हमलावरों ने घर में घुसकर भी उनके साथ मारपीट की थी। बीच-बचाव करने पहुंचीं उनकी पत्नी भी घायल हुई थीं। गुरुप्रीत को गंभीर चोटें आने के बाद रायपुर के डीकेएस अस्पताल में उपचार के लिए रेफर किया गया था। मामले में पुलिस ने चार आरोपियों को गिरफ्तार किया था और घटना में प्रयुक्त बुलेट मोटरसाइकिल भी जब्त की थी।

हमले के बाद भी नहीं थमे सवाल, अब गुमनाम पत्र ने बढ़ाई चिंता : इस पूरे घटनाक्रम में सबसे गंभीर पहलू यह है कि पहले हुए हमले के बाद अब हत्या की कथित साजिश का पत्र सामने आया है। हालांकि गुमनाम पत्र में किए गए दावों की सत्यता पुलिस जांच के बाद ही स्पष्ट होगी,लेकिन पत्र मिलने की परिस्थितियों और लिफाफे पर दर्ज नाम की पड़ताल महत्वपूर्ण होगी। आखिर यह पत्र किसने भेजा? लिफाफे पर लिखे नाम का इस मामले से कोई संबंध है या नहीं? क्या यह किसी वास्तविक खतरे की सूचना है अथवा किसी को भ्रमित करने की कोशिश? इन सभी पहलुओं की निष्पक्ष जांच जरूरी है।

राजनीतिक आरोप-प्रत्यारोप के बीच निष्पक्ष जांच की चुनौती : 29 अगस्त की घटना के बाद गुरुप्रीत सिद्धू ने एक भाजपा नेता पर हमले की साजिश में भूमिका होने का आरोप लगाया था,जबकि संबंधित नेता ने आरोपों से इनकार किया था। कांग्रेस ने भी उस समय पुलिस से निष्पक्ष जांच और कथित साजिश में शामिल लोगों की पहचान करने की मांग की थी। ऐसे में नए पत्र के सामने आने के बाद पुलिस के सामने चुनौती केवल पत्र भेजने वाले की पहचान करने की नहीं, बल्कि यह पता लगाने की भी है कि इसमें लगाए गए आरोपों के पीछे कोई वास्तविक आपराधिक योजना है या नहीं। अब पुलिस की जांच से यह स्पष्ट होने की उम्मीद है कि गुमनाम पत्र के पीछे कौन है और उसमें किए गए दावों का कोई ठोस आधार है या नहीं। पत्र की लिखावट, डाक की मुहर,लिफाफे पर दर्ज नाम तथा अन्य उपलब्ध साक्ष्यों की जांच इस मामले में अहम साबित हो सकती है। सवाल सिर्फ एक पत्र का नहीं, सुरक्षा और कानून व्यवस्था पर भरोसे का भी है। किसी जनप्रतिनिधि अथवा राजनीतिक पदाधिकारी को पहले सार्वजनिक रूप से हमले का सामना करना पड़े और उसके बाद हत्या की साजिश का पत्र मिलने की सूचना सामने आए,तो इसे सामान्य घटनाक्रम मानकर नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। पुलिस को मामले की गंभीरता से जांच कर वास्तविकता सामने लानी होगी, ताकि न तो किसी निर्दोष को संदेह के आधार पर परेशान किया जाए और न ही किसी वास्तविक खतरे को अनदेखा किया जाए।

बेसहारा महिला को अनोखी सोच ने दी सम्मानजनक अंतिम विदाई,मानवता की पेश की मिसाल

परिवार में कोई नहीं था,निधन की खबर मिलते ही आगे आए संस्था के सदस्य...गंगापुर मुक्तिधाम में कराया अंतिम संस्कार

-संवाददाता-
अम्बिकापुर,30 अक्टूबर 2026
(घटती-घटना)।

इंसानियत केवल जीवित व्यक्ति की मदद करने तक सीमित नहीं होती,बल्कि किसी असहाय व्यक्ति को मृत्यु के बाद सम्मानजनक विदाई देना भी मानवता का बड़ा धर्म है। सामाजिक संस्था 'अनोखी सोच' के सदस्यों ने इसी संवेदना का परिचय देते हुए एक बेसहारा महिला के अंतिम संस्कार की जिम्मेदारी उठाई और पूरे सम्मान के साथ उन्हें अंतिम विदाई दी। जानकारी के अनुसार,स्थानीय सीएमओ कार्यालय के सामने निवास करने वाली सुश्री सुनैना मरकाम बकरी पालन कर अपना जीवनयापन करती थीं। उनका कोई पारिवारिक सदस्य नहीं था। ऐसे में उनके निधन के बाद अंतिम संस्कार की व्यवस्था को लेकर असमंजस की स्थिति निर्मित हो गई। इसकी जानकारी मिलते ही सामाजिक संस्था 'अनोखी सोच' के सदस्य तत्काल मदद के लिए आगे आए और अंतिम संस्कार की पूरी व्यवस्था में सहयोग किया। संस्था के सदस्यों के सामूहिक प्रयास से दिवंगत सुनैना मरकाम का अंतिम संस्कार गंगापुर मुक्तिधाम में पूरे सम्मान और विधि-विधान के साथ संपन्न कराया गया। जहां

अपनों का साथ और पारिवारिक सहारा नहीं था, वहां सामाजिक सरोकार से जुड़े लोगों ने आगे आकर उन्हें सम्मानजनक विदाई दी। संस्था की इस पहल ने यह संदेश दिया कि रिश्ते केवल खून से ही नहीं बनते,बल्कि संवेदना और इंसानियत भी किसी को अपना बनाने के लिए पर्याप्त हैं। इस पुनीत कार्य में सूर्य प्रकाश साहू, अभय साहू,पंकज चौधरी, चंद्र प्रताप सिंह, दिनेश गर्ग,विजय बंसल,रूपेश बेहरा,अजय ताम्रकार,भोला, बिट्टू मिश्रा, बनाफर, मिट्ठू, गुड्डू, सौरभ,अजय साहू,बाड्डू, प्रदीप,अनिल दास, चंदन,गजानंद,नीरज,मुकेश मुंडा,सावन एवं नितेश,रोहित सहित संस्था के अन्य सदस्यों ने महत्वपूर्ण सहयोग दिया। 'अनोखी सोच' संस्था जरूरतमंदों,असहायों और वंचितों की सहायता के लिए निरंतर कार्य कर रही है। संस्था का मानना है कि समाजसेवा का वास्तविक अर्थ केवल आर्थिक मदद करना नहीं।

CMYK

मनेंद्रगढ़ के बहुचर्चित हत्याकांड में प्रथम अपर सत्र न्यायालय का फैसला

एसपी चंद्रमोहन सिंह के नेतृत्व में हुई विवेचना करण हत्याकांड में 7 आरोपियों को उम्रकैद

मजबूत विवेचना और साक्ष्यों के आधार पर दोषसिद्धि से पुलिस की कार्यप्रणाली पर जगा भरोसा,मृतक के माता-पिता को मिलेगा 10 हजार रुपये प्रतिकर

-रवि सिंह-

मनेन्द्रगढ़,30 अक्टूबर 2026 (घटती-घटना)।

मनेंद्रगढ़ के चर्चित करण राठौर हत्याकांड में आखिरकार न्यायालय का महत्वपूर्ण फैसला आ गया है, प्रथम अपर सत्र न्यायालय मनेंद्रगढ़ ने मामले में सात आरोपियों को दोषसिद्ध कर आजीवन कारावास सहित अन्य दंड से दंडित किया है,इस प्रकरण की विवेचना तत्कालीन पुलिस अधीक्षक चंद्रमोहन सिंह के नेतृत्व में हुई थी, घटना के बाद पुलिस ने जांच करते हुए आरोपियों की गिरफ्तारी की और विवेचना पूर्ण कर अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया, अब न्यायालय में विचारण के बाद सात आरोपियों को दोषी ठहराते हुए सजा सुनाई गई है, इस फैसले ने एक बार फिर यह भरोसा मजबूत किया है कि गंभीर आपराधिक मामलों में पुलिस निष्पक्ष और मजबूत विवेचना करे तथा साक्ष्यों को विधिसम्मत तरीके से न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करे,तो पीड़ित परिवार को न्याय मिलना संभव है, न्यायालय ने 28 अक्टूबर 2026 को फैसला सुनाया,जिसकी जानकारी जिला पुलिस मनेंद्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर ने 29 अक्टूबर को प्रेस विज्ञप्ति जारी कर दी।

बताशा लाइन में चाकू से किया गया था प्राणघातक हमला-पुलिस के अनुसार, घटना 5 सितंबर 2025 की रात लगभग 10 से 10:30 बजे के बीच मनेंद्रगढ़ के बताशा लाइन स्थित हनुमान मंदिर के सामने गली में हुई थी,आरोपियों ने कथित तौर पर विधि विरुद्ध जमाव बनाकर घातक हथियारों से बल और हिंसा का प्रयोग किया तथा करण राठौर पर चाकू से प्राणघातक हमला किया, इस हमले में करण राठौर की मृत्यु हो गई थी, घटना की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने मामला दर्ज कर विवेचना शुरू की, तत्कालीन पुलिस अधीक्षक चंद्रमोहन सिंह के नेतृत्व में पुलिस ने प्रकरण की जांच की और आरोपियों की गिरफ्तारी की कार्रवाई की,विवेचना पूरी होने के बाद आरोपियों के विरुद्ध अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया,इसके बाद न्यायालय में मामले का विचारण हुआ और अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों एवं दस्तावेजों के आधार पर फैसला सुनाया गया।

सात आरोपियों को न्यायालय ने पाया दोषी-न्यायालयीन विचारण के दौरान अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों और दस्तावेजों के आधार पर प्रथम अपर सत्र न्यायालय ने सात आरोपियों को दोषसिद्ध पाया,दोषसिद्ध आरोपियों में रितिक मिश्रा,सचिन जैन,राशिद खान, अमन केंवट उर्फ बुटई,भावेश पाटिल, रौनिल मिश्रा उर्फ कुक्कू और मो. अकरम उर्फ अक्कू शामिल हैं,न्यायालय ने इन सभी को भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 191(3) तथा धारा 103(1)/191 के तहत दोषी ठहराया।

हत्या में आजीवन कारावास, बलवा में दो-दो साल की सजा-न्यायालय ने सातों दोषियों को बीएनएस की धारा 191(3) के तहत दो-दो वर्ष का सश्रम कारावास और 500-500 रुपये का अर्थदंड सुनाया,वहीं, धारा 103(1)/191 के तहत आजीवन कारावास और 1,000-1,000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया,न्यायालय ने दोनों सजाएं साथ-साथ चलाने का आदेश दिया है,अर्थदंड की राशि जमा नहीं करने पर आदेश के अनुसार अतिरिक्त सश्रम कारावास भुगतना होगा।

एक आरोपी को मिला संदेह का लाभ-प्रकरण में आरोपी प्रभात सोंधिया उर्फ रवि के विरुद्ध बीएनएस की धारा 249 के तहत लगाए गए आरोप को अभियोजन युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाणित नहीं कर सका,इस पर न्यायालय ने उसे संदेह का लाभ देते हुए उक्त आरोप से दोषमुक्त घोषित कर दिया,इस प्रकार मामले में सात आरोपियों को दोषसिद्ध किया गया,जबकि एक आरोपी को धारा 249 के आरोप से राहत मिली।

मृतक के माता-पिता को मिलेगा 10 हजार रुपये प्रतिकर-न्यायालय ने सातों दोषियों पर कुल 10,500 रुपये का अर्थदंड अधिरोपित किया है,आदेश के अनुसार, अर्थदंड की राशि जमा होने पर उसमें से 10 हजार रुपये मृतक करण राठौर के माता अथवा पिता को प्रतिकर स्वरूप प्रदान किए जाएंगे, शेष 500 रुपये शासन के पक्ष में जमा होंगे।

एसपी चंद्रमोहन सिंह के नेतृत्व में हुई विवेचना

इस हत्याकांड में तत्कालीन पुलिस अधीक्षक चंद्रमोहन सिंह के नेतृत्व में हुई विवेचना को महत्वपूर्ण माना जा रहा है। गंभीर आपराधिक मामलों में केवल आरोपियों की गिरफ्तारी ही पर्याप्त नहीं होती, बल्कि घटना से जुड़े साक्ष्यों का संकलन,उनकी कड़ियों को जोड़ना और न्यायालय में आरोपों को प्रमाणित करने के लिए विधिसम्मत आधार तैयार करना भी बेहद जरूरी होता है,करण राठौर हत्याकांड में तत्कालीन एसपी चंद्रमोहन सिंह के नेतृत्व में पुलिस ने जांच को आगे बढ़ाया,आरोपियों की गिरफ्तारी की और अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया,अब न्यायालय द्वारा सात आरोपियों को दोषसिद्ध कर आजीवन कारावास की सजा सुनाए जाने के बाद पुलिस की विवेचना और न्यायालयीन प्रक्रिया के बीच महत्वपूर्ण संबंध सामने आया है,इस फैसले से समाज में यह उम्मीद भी मजबूत हुई है कि यदि पुलिस गंभीर मामलों में निष्पक्षता, तत्परता और मजबूती के साथ विवेचना करे तथा साक्ष्यों के आधार पर कार्रवाई करे,तो अपराधियों को सजा दिलाने की राह प्रशस्त हो सकती है,पुलिस के प्रति आमजन का भरोसा भी ऐसी ही प्रभावी और जवाबदेह कार्रवाई से मजबूत होता है।

मजबूत विवेचना से न्याय तक पहुंचा मामला...

करण राठौर हत्याकांड का फैसला केवल सात आरोपियों को मिली सजा तक सीमित नहीं है,यह गंभीर अपराधों में पुलिस की जिम्मेदारी,विवेचना की गुणवत्ता और न्यायालय में साक्ष्यों को प्रमाणित करने के महत्व को भी सामने लाता है,तत्कालीन पुलिस अधीक्षक चंद्रमोहन सिंह के नेतृत्व में हुई जांच,आरोपियों की गिरफ्तारी और न्यायालय में प्रस्तुत अभियोजन के बाद सात आरोपियों का दोषसिद्ध होना इस मामले का महत्वपूर्ण परिणाम है,समाज में पुलिस के प्रति भरोसा तभी मजबूत होता है,जब गंभीर अपराधों में निष्पक्ष जांच हो,साक्ष्यों के आधार पर कार्रवाई की जाए और दोषियों को कानून के अनुसार सजा मिले,करण राठौर हत्याकांड में आया यह फैसला इसी उम्मीद को बल देता है कि मजबूत और तथ्यपरक विवेचना न्याय तक पहुंचने का रास्ता तैयार कर सकती है।

कर्मचारियों का सुनियोजित आर्थिक शोषण बंद करे सरकार,फिर छले गए कर्मचारी

99 माह के महंगाई भत्ते के एरियर्स का भुगतान नहीं होने से कर्मचारियों में आक्रोश,स्वास्थ्य कर्मचारी संघ ने उठाई आवाज

-संवाददाता-

अम्बिकापुर,30 अक्टूबर 2026 (घटती-घटना)।

छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा प्रदेश के कर्मचारियों एवं अधिकारियों को जनवरी 2026 के लंबित महंगाई भत्ते (डीए) में महज 2 प्रतिशत वृद्धि की घोषणा किए जाने से कर्मचारी जगत में नाराजगी बढ़ गई है। छत्तीसगढ़ प्रदेश स्वास्थ्य कर्मचारी संघ ने सरकार के इस निर्णय पर सवाल उठाते हुए इसे कर्मचारियों के साथ आर्थिक अन्याय बताया है। संघ का कहना है कि 10 महीने की देरी के बाद की गई घोषणा में पिछले महीनों के एरियर्स के भुगतान का कोई उल्लेख नहीं है। वहीं, बढ़े हुए महंगाई भत्ते को भी 1 नवंबर से लागू करने की बात कही गई है। संघ के अनुसार, वर्ष 2017 से 2026 तक अलग-अलग अवधि

का करीब 99 माह का महंगाई भत्ता एरियर्स लंबित है। इसका भुगतान नहीं होने से प्रत्येक कर्मचारी एवं अधिकारी को हजारों से लेकर लाखों रुपये तक का आर्थिक नुकसान उठाना पड़ रहा है। संघ ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार के समान निर्धारित तिथि से महंगाई भत्ता नहीं मिलने के कारण प्रदेश के कर्मचारी लगातार आर्थिक नुकसान झेल रहे हैं। संघ ने लंबित एरियर्स का ब्यौरा देते हुए बताया कि जनवरी 2017 से 10 माह, जनवरी 2018 से 12 माह, जुलाई 2018 से 8 माह,जनवरी 2019 से 7 माह, जुलाई 2021 से 10 माह, जुलाई 2023 से 8 माह, जनवरी 2024 से 9 माह, जुलाई 2024 से 8 माह, जनवरी 2025 से 8 माह, जुलाई 2025 से 7 माह तथा जनवरी 2026 से 10 माह का एरियर्स लंबित बताया गया है। इसके अलावा जुलाई 2026 से अब तक की अवधि भी इसमें शामिल है। कोरोना काल में 1 जुलाई 2020 और 1 जुलाई 2021 को मिलने वाला महंगाई भत्ता भी फ्रीज किए जाने का मुद्दा संघ ने उठाया है। स्वास्थ्य कर्मचारी संघ का कहना है कि चुनाव के पूर्व वित्त मंत्री ओपी चौधरी द्वारा वीडियो के माध्यम से केंद्र के समान प्रदेश के कर्मचारियों एवं अधिकारियों को महंगाई भत्ता देने की घोषणा की गई थी।

लेकिन व्यवहार में महंगाई भत्ते के भुगतान की निर्धारित तिथियों का पालन नहीं हो रहा है। संघ के मुताबिक,वर्ष में दो बार जनवरी और जुलाई में महंगाई भत्ता दिए जाने के बजाय भुगतान में देरी और किस्तों में बढ़ोतरी की परंपरा बन गई है। इससे कर्मचारियों को उनके वास्तविक हक से वंचित होना पड़ रहा है। संघ ने कहा कि दीपावली जैसे पर्व के समय कर्मचारी महंगाई भत्ते में राहत की उम्मीद लगाए बैठे थे, लेकिन एरियर्स को लेकर सरकार की चुप्पी से उनकी खुशियां मायूसी में बदल गईं। बढ़ती महंगाई के बीच वेतन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा माने जाने वाले महंगाई भत्ते का समय पर भुगतान कर्मचारियों की आर्थिक जरूरत है,न कि सरकार की कोई अतिरिक्त मेहरबानी।

छत्तीसगढ़ प्रदेश स्वास्थ्य कर्मचारी संघ ने सरकार की इस नीति का विरोध करते हुए मांग की है कि कर्मचारियों को केंद्र सरकार के समान प्रत्येक वर्ष जनवरी एवं जुलाई में निर्धारित तिथि से महंगाई भत्ते का भुगतान सुनिश्चित किया जाए। साथ ही वर्ष 2017 से लंबित बताए जा रहे 99 माह के एरियर्स के भुगतान की तत्काल घोषणा कर वादे को पूरा किया जाए। संघ ने प्रदेश के कर्मचारियों एवं अधिकारियों से भी अपने अधिकारों के लिए एकजुट होकर आवाज उठाने की अपील की है।

महंगाई भत्ते के 99 माह के एरियर्स की मांग,स्वास्थ्य कर्मचारी संघ ने सरकार के खिलाफ जताया आक्रोश

10 माह की देरी से 2 प्रतिशत डीए देने की घोषणा पर नाराजगी

-संवाददाता-

अम्बिकापुर,30 अक्टूबर 2026 (घटती-घटना)।

छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा कर्मचारियों और अधिकारियों को जनवरी 2026 का लंबित महंगाई भत्ता (डीए) 10 माह की देरी से 2 प्रतिशत देने की घोषणा के बाद कर्मचारी संगठनों में नाराजगी है। छत्तीसगढ़ प्रदेश स्वास्थ्य कर्मचारी संघ ने इस फैसले पर विरोध जताते हुए वर्ष 2017 से लंबित महंगाई भत्ते के एरियर्स का भुगतान करने की मांग की है। संघ का कहना है कि सरकार ने महंगाई भत्ते को 1 नवंबर से लागू करने की घोषणा की है,लेकिन पिछले 10 माह के एरियर्स के भुगतान को लेकर कोई स्पष्ट उल्लेख नहीं किया गया है। केंद्र सरकार के समान नियत तिथि से महंगाई भत्ता नहीं मिलने के कारण प्रदेश के कर्मचारियों और अधिकारियों को आर्थिक नुकसान उठाना पड़ रहा है। संघ के अनुसार,वर्ष 2017 से अब तक अलग-अलग अवधियों का करीब 99 माह का महंगाई भत्ता लंबित है, जिससे प्रत्येक कर्मचारी को लाखों रुपए का नुकसान हुआ है। संघ ने अपने ज्ञापन में जनवरी 2017 से 10 माह,जनवरी 2018 से 12 माह, जुलाई 2018 से 8 माह, जनवरी 2019 से 7 माह, जुलाई 2021 से 10 माह, जुलाई 2023 से 8 माह, जनवरी 2024 से 9 माह, जुलाई 2024 से 8 माह, जनवरी

2025 से 8 माह,जुलाई 2025 से 7 माह और जनवरी 2026 से 10 माह के एरियर्स का उल्लेख किया है। इसके अलावा कोरोना काल में जुलाई 2020 और जुलाई 2021 में महंगाई भत्ता फ्रीज किए जाने का मुद्दा भी उठाया है।

चुनावी वादे के अनुरूप डीए देने की मांग : संघ का आरोप है कि वर्ष 2017 से प्रदेश सरकार महंगाई भत्ते के भुगतान में मनमानी कर रही है। चुनाव से पहले वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने वीडियो जारी कर केंद्र के समान प्रदेश के कर्मचारियों और अधिकारियों को महंगाई भत्ता देने की घोषणा की थी,लेकिन अब तक इसका पालन नहीं किया जा रहा है। संघ ने इसे कर्मचारियों का आर्थिक शोषण बताते हुए सरकार की नीति की निंदा की है।

अवैध सागौन चिरान परिवहन में जब्त पिकअप वाहन के राजसात की कार्रवाई 30 दिनों के भीतर प्रस्तुत कर सकते हैं दावा

-संवाददाता-

अम्बिकापुर,30 अक्टूबर 2026 (घटती-घटना)।

वन परिक्षेत्र अम्बिकापुर अन्तर्गत परिक्षेत्र सहायक वृत्त अम्बिकापुर में 03 मार्च 2023 को वन कर्मचारियों के गश्ती के दौरान प्रातः 09:15 बजे आर.एफ. 2581 गाड़ाघाट मगरडोडा के पास अवैध रूप से सागौन चिरान 40 नग 0.567 घ.मी. लोड कर अवैध रूप से वगैर वैद्य दस्तावेज के परिवहन करते हुए महिन्द्रा पिकप वाहन (सफेद रंग) क्र. सीजी 13वाई 2651 को वन कर्मचारियों द्वारा जप्ती कर भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा 26 (1),धारा 41 नियम 24 काष्ठ चिरान अधिनियम 1984 अभिवहन धारा 05 (1) में दर्शित धाराओं के अन्तर्गत वन अपराध प्रकरण 03 मार्च 2023 पंजीबद्ध किया जाकर जप्त वाहन को काष्ठागार डिपो अम्बिकापुर में सुरक्षित रखा गया। प्रस्तुतकर्ता अधिकारी वन परिक्षेत्राधिकारी अम्बिकापुर द्वारा कार्यालयीन पत्र क्रमांक 2105 21 सितम्बर 2023 के माध्यम से जप्त वाहन को मय वनोपज शासन के पक्ष में राजसात किये जाने बावत् अनुशंसा कर प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है। जप्त वाहन के राजसात कार्यवाही की प्रक्रियों के तहत् अभियोजन साक्ष्य गवाहों के बयानों का प्रतिपरीक्षण हेतु वाहन स्वामी को नियमित कार्यालयीन पत्र क्रमांक 37 12 जनवरी 2024,क्र. 442, 14 मई 2024, क्र.778, 22 जुलाई 2024, क्र. 1199,18 नवम्बर 2024, क्र. 134, 14 फरवरी 2025 तथा क्र.516, 26 मई 2025 के माध्यम से सूचना पत्र प्रेषित कर अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष उपस्थित होने बावत् लेख किया गया, जिसकी विधिवत पावती अभिस्वीकृति प्राप्त है। प्रकरण में जप्त वाहन के वाहन स्वामी उपरोक्त सूचना पत्र प्राप्त करने के उपरांत भी प्राधिकृत अधिकारी के समक्ष उपस्थित नहीं हुए। जिसके फलस्वरूप प्रकरण में आगामी कार्यवाही बावत् सूचना पत्र इश्तहार के माध्यम से जारी किया जा रहा है।

गैस सिलेंडरों से भरी पिकअप टायर फटने से बिजली खंभे से टकराई

विशुनपुर में महाकाल ढाबा के पास हादसा,चालक समेत चार बच्चे सुरक्षित

-संवाददाता-

अम्बिकापुर,30 अक्टूबर 2026 (घटती-घटना)।

थाना क्षेत्र के ग्राम विशुनपुर में महाकाल ढाबा के पास शुक्रवार को बड़ा हादसा टल गया। गैस सिलेंडरों से भरी टाटा इंट्रा पिकअप का अचानक टायर फटने से वाहन अनियंत्रित होकर बिजली के खंभे से जा टकराया। हादसे के दौरान वाहन में चालक के साथ चार बच्चे भी सवार थे। गनीमत रही कि सभी सुरक्षित बच गए। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार,पिकअप का टायर अचानक फटने से चालक वाहन पर नियंत्रण नहीं रख सका और वाहन सड़क किनारे लगे बिजली के खंभे से टकरा गया। टक्कर से बिजली का खंभा टूट गया। इससे मौके पर करंट फैलने का खतरा पैदा हो गया। वाहन में गैस सिलेंडर भरे होने के कारण स्थिति और भी संवेदनशील हो गई थी।

हादसे के बाद स्थानीय लोगों ने तत्काल बिजली विभाग को सूचना दी। विभाग की टीम मौके पर पहुंची और बिजली आपूर्ति से संबंधित स्थिति को संभाला। स्थानीय लोगों का कहना है कि घटनास्थल के एक ओर पेट्रोल पंप और दूसरी ओर बिजली का खंभा होने से बड़ा खतरा पैदा हो सकता था। समय रहते सूचना मिलने से संभावित हादसा टल गया। फिलहाल चालक और चारों बच्चे सुरक्षित हैं। घटना के बाद मौके पर लोगों की भीड़ जुट गई।

निबंध प्रतियोगिता के विजेताओं को 3 नवंबर को किया जाएगा पुरस्कृत

-संवाददाता-

अम्बिकापुर,30 अक्टूबर 2026 (घटती-घटना)।

अभिरुचि केंद्र में सेवा किटी समूह की बैठक वरिष्ठ सदस्य श्रीमती संतोष पांडे की उपस्थिति में आयोजित की गई। बैठक में वर्ष 2026 की 'स्वतंत्र भारत में युवा आक्रोश : कारण एवं निदान' विषय पर आयोजित निबंध प्रतियोगिता के विजेताओं को पुरस्कृत करने का

निर्णय लिया गया। समूह की संयोजिका वंदना दत्ता ने बताया कि प्रतियोगिता के विजेताओं को आगामी 3 नवंबर, मंगलवार को दोपहर 3:30 बजे से अलंकार ग्रीन्स, ब्रह्म रोड में आयोजित कार्यक्रम में अतिथियों की उपस्थिति में पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। पुरस्कार वितरण की जिम्मेदारी दीपमाला सिंह,सुनीता दास एवं स्मिता तिवारी को सौंपी गई है। बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि दीपावली के पश्चात अभिरुचि केंद्र में नियमित प्रशिक्षण कार्यक्रम पुनः प्रारंभ किए जाएंगे। उल्लेखनीय है कि अक्टूबर माह में केंद्र में रंगोली निर्माण, केक निर्माण एवं स्व-श्रृंगार का प्रशिक्षण नियमित रूप से संचालित किया गया।

शराब पीकर वाहन चलाने और नाबालिग को गाड़ी देने पर 45 हजार का जुर्माना

सरगुजा पुलिस की यातायात नियमों के उल्लंघन पर कार्रवाई,ड्रिंक एंड ड्राइव के दो और अंडरएज ड्राइविंग का एक मामला न्यायालय में पेश

-संवाददाता-

अम्बिकापुर,30 अक्टूबर 2026 (घटती-घटना)।

सड़क दुर्घटनाओं पर अंकुश लगाने और यातायात नियमों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने के लिए सरगुजा पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है। इसी क्रम में यातायात पुलिस ने शराब पीकर वाहन चलाने और नाबालिग को वाहन चलाने देने के तीन मामलों में कार्रवाई करते हुए प्रकरण न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किए। न्यायालय ने तीनों मामलों में कुल 45 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया है। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, ड्रिंक एंड ड्राइव के पहले मामले में पटपरिया, थाना गांधीनगर निवासी 40 वर्षीय मनोज तिर्की को वाहन क्रमांक CG-01-F-0304 शराब के नशे में चलाते पकड़ा गया। न्यायालय ने इस मामले में 10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया। वहीं, दूसरे मामले में जरहाडीह, थाना लुंड्रा निवासी 34 वर्षीय दिलीप गुप्ता उर्फ सोनू गुप्ता वाहन क्रमांक CG-15-GP-2003 को नशे की हालत में चलाते पाए गए। इस प्रकरण में भी न्यायालय ने 10 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया। इसी तरह अंडरएज ड्राइविंग के मामले में नवागढ़, थाना कोतवाली अम्बिकापुर निवासी 45 वर्षीय अरुण सिंह के विरुद्ध कार्रवाई की गई। उन पर अपने नाबालिग बच्चे को वाहन क्रमांक CG-15-EE-6127 चलाने के लिए देने का आरोप था। प्रकरण न्यायालय में प्रस्तुत किए जाने पर न्यायालय ने वाहन स्वामी एवं अभिभावक पर 25 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया। सरगुजा पुलिस ने आम नागरिकों से अपील की है कि शराब अथवा किसी भी प्रकार के नशे की हालत में वाहन न चलाएं। अभिभावक अपने नाबालिग बच्चों को किसी भी परिस्थिति में दोपहिया या चारपहिया वाहन चलाने की अनुमति न दें। यातायात नियमों का उल्लंघन करने पर वाहन चालक के साथ-साथ जिम्मेदार अभिभावकों के विरुद्ध भी वैधानिक कार्रवाई की जा सकती है।

CMYK

कोसम में बदले आयोजन के चेहरे, लेकिन नहीं थमी सफलता की रफ्तार,योगेश गुप्ता और रुद्र मिश्रा की मेहनत चर्चा में...

मंच पर कौन दिखा,आयोजन किसने संभाला?

कोसम के चौथे संस्करण ने छेड़ी श्रेय की बहस

कोसम में चेहरे बदले,सोशल मीडिया की तस्वीर भी बदली,मेहनत करने वालों की पहचान पर उठा सवाल...

मंच पर कौन दिखा,आयोजन किसने संभाला? कोसम के चौथे संस्करण ने छेड़ी श्रेय की बहस

पुराने चर्चित चेहरों के बिना भी सफल हुआ कोसम,योगेश गुप्ता और रुद्र मिश्रा की मेहनत चर्चा में...

तस्वीरों से परे आयोजन की कहानी, कोसम ने दिखाई अभिव्यक्ति के दूसरे सदस्यों की ताकत

चार साल में पहचान बना चुके कोरिया साहित्य महोत्सव के चतुर्थ संस्करण ने बदली तस्वीर

पहले सोशल मीडिया पर छाए रहते थे कुछ खास चेहरे,इस बार पर्दे के पीछे मेहनत करने वालों की भूमिका पर उठी चर्चा...

-रवि सिंह -

बैकुण्ठपुर,30 अक्टूबर 2026 (घटती-घटना)।

किसी भी बड़े आयोजन की सफ्लता केवल मंच की भव्यता,अतिथियों की मौजूदगी,दर्शकों की भीड़ या सोशल मीडिया पर वायरल होती तस्वीरों से तय नहीं होती,असली परीक्षा तब होती है,जब आयोजन से जुड़े चर्चित चेहरे सामने न हों और फिर भी पूरी व्यवस्था उसी उत्साह के साथ आगे बढ़े,कोरिया साहित्य महोत्सव यानी कोसम का चतुर्थ संस्करण इसी लिहाज से कई सवालों और चर्चाओं को जन्म देकर संपन्न हुआ, कई दिनों की तैयारी,व्यवस्थाओं की भागदौड़,साहित्यकारों और कलाकारों से समन्वय तथा दो दिनों तक चले कार्यक्रमों के बाद महोत्सव समाप्त हो गया,लेकिन इस बार आयोजन की सफ्लता के साथ उसके बदलते चेहरे और श्रेय की चर्चा भी जिले में होती रही,टीम अभिव्यक्ति द्वारा आयोजित कोसम के इस संस्करण में दो नाम विशेष रूप से चर्चा में रहे– योगेश गुप्ता और रुद्र मिश्रा।

आयोजन की तैयारियों और व्यवस्थाओं में इनकी सक्रिय भूमिका को लेकर लोगों के बीच चर्चा हुई,इस बार कुछ ऐसे चेहरे मंच और सोशल मीडिया पर पहले की तरह प्रमुखता से दिखाई नहीं दिए,जिन्हें पिछले वर्षों में कोसम की पहचान के साथ जोड़कर देखा जाता रहा था, इसके बावजूद आयोजन संपन्न हुआ,अतिथियों ने सहभागिता की, साहित्यकारों और कलाकारों ने प्रस्तुतियां दीं और कार्यक्रम को सराहना भी मिली,यहीं से इस संस्करण की सबसे बड़ी चर्चा शुरू होती है की क्या किसी आयोजन की सफ्लता कुछ चर्चित चेहरों पर निर्भर होती है,या फिर संस्था के दूसरे सदस्य भी जिम्मेदारी संभालकर उसे आगे बढ़ा सकते हैं? कोसम के चतुर्थ संस्करण ने कम से कम यह दिखाया कि आयोजन की निरंतरता के लिए सामूहिक प्रयास और जिम्मेदारी उठाने वाले सदस्यों की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण होती है।

चार साल पहले शुरू हुआ सफर, कुछ चेहरे बन गए थे पहचान...

कोरिया साहित्य महोत्सव की शुरुआत के साथ ही साहित्य,कविता,लोककला,संस्कृति और वैचारिक विमर्श को एक मंच पर लाने का प्रयास किया गया,समय के साथ इस आयोजन ने जिले में अपनी पहचान बनाई और हर नए संस्करण के साथ इसकी गतिविधियों का दायरा बढ़ता गया, पहले तीन वर्षों में कुछ चेहरे लगातार सक्रिय दिखाई दिए,मंचीय कार्यक्रमों, अतिथियों के साथ तस्वीरों और सोशल मीडिया पोस्ट के माध्यम से उनकी मौजूदगी आयोजन की सार्वजनिक पहचान का हिस्सा बनती गई, धीरे-धीरे लोगों के बीच ऐसी धारणा बनने लगी कि कोसम की सफ्लता में इन्हीं चेहरों की भूमिका सबसे प्रमुख है, किसी बड़े आयोजन में ऐसा होना असामान्य नहीं है, जो लोग लगातार सामने दिखाई देते हैं, उनकी पहचान बनती है और सार्वजनिक चर्चा में उनका योगदान अधिक नजर आने लगता है, लेकिन किसी आयोजन की पूरी कहानी केवल उन्हीं लोगों तक सीमित नहीं होती, जो मंच पर दिखाई देते हैं या जिनकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर अधिक साझा होती हैं, किसी भी बड़े कार्यक्रम के पीछे कई दिनों की तैयारी, संपर्क, समन्वय, संसाधनों की व्यवस्था और लगातार काम करने वाली टीम होती है, इनमें से अनेक लोग ऐसे होते हैं, जिनका नाम सार्वजनिक चर्चा में कम आता है,लेकिन उनकी जिम्मेदारियों के बिना कार्यक्रम को व्यवस्थित ढंग से पूरा करना मुश्किल हो सकता है,कोसम का चतुर्थ संस्करण इसी अंतर को सामने लाने वाला रहा। इस बार कुछ पुराने चर्चित चेहरे पहले की तरह दिखाई नहीं दिए, लेकिन आयोजन की गतिविधियां नहीं रुकीं, कार्यक्रम अपनी निर्धारित रूपरेखा के अनुसार आगे बढ़ा और सफ्लतापूर्वक संपन्न हुआ।

सोशल मीडिया पर कौन दिखा और किसकी मेहनत पीछे रह गई?

इस बार आयोजन को लेकर एक महत्वपूर्ण चर्चा सोशल मीडिया पर दिखाई देने वाली तस्वीरों और वास्तविक आयोजन-प्रक्रिया के बीच के अंतर को लेकर भी रही,पिछले वर्षों में कुछ चेहरे कार्यक्रम से जुड़ी तस्वीरों और पोस्ट में लगातार नजर आते थे, अतिथियों के साथ उनकी तस्वीरें, मंचीय गतिविधियां और आयोजन से संबंधित पोस्ट सार्वजनिक चर्चा में प्रमुखता से दिखाई देती थीं,इससे लोगों के बीच यह छवि बनती थी कि कोसम की सफ्लता का बड़ा श्रेय उन्हीं चेहरों को जाता है, इसके विपरीत,इस बार आयोजन को सफ्ल बनाने के लिए सक्रिय रूप से काम करने वाले सदस्यों की मेहनत के अनुरूप सोशल मीडिया पर उनकी उपस्थिति और चर्चा उतनी प्रमुखता से सामने नहीं आई,नतीजतन,कार्यक्रम देखने वालों के बीच यह सवाल भी उठा कि आखिर इस दो दिवसीय महोत्सव की तैयारी और व्यवस्थाओं को संभालने में किन लोगों की वास्तविक भूमिका रही,योगेश गुप्ता और रुद्र मिश्रा की सक्रियता को लेकर हुई चर्चा ने इस सवाल को और महत्वपूर्ण बना दिया,आयोजन की सफ्लता के पीछे मेहनत करने वालों को सार्वजनिक पहचान मिलना भी जरूरी है,क्योंकि किसी संस्था की मजबूती तभी बढ़ती है,जब उसके सदस्यों के योगदान को उचित स्थान मिले, हालांकि,सोशल मीडिया पर किसी व्यक्ति की तस्वीर कम दिखाई देने से उसके योगदान का पूरा आकलन नहीं किया जा सकता,इसी तरह, किसी की तस्वीर अधिक दिखाई देना अपने आप में यह प्रमाण नहीं है कि आयोजन की सारी जिम्मेदारी उसी ने निभाई,लेकिन जब सार्वजनिक छवि कुछ चेहरों के इर्द-गिर्द केंद्रित हो जाए और पर्दे के पीछे काम करने वाले सदस्य चर्चा से दूर रह जाएं, तो आयोजन की वास्तविक तस्वीर अधूरी रह जाती है,कोसम के इस संस्करण ने यही सवाल सामने रखा कि आयोजन का श्रेय तय करने में तस्वीरों और सार्वजनिक उपस्थिति की कितनी भूमिका होती है और वास्तविक मेहनत को पहचानने के लिए किस तरह की दृष्टि जरूरी है।

योगेश गुप्ता और रुद्र मिश्रा की भूमिका क्यों बनी चर्चा का विषय?

किसी साहित्यिक महोत्सव को सफ्ल बनाना केवल मंच सजाने या कार्यक्रम की शुरुआत और समापन तक सीमित नहीं होता,कोसम जैसे आयोजन में साहित्यकारों,कवियों,कलाकारों, अतिथियों और स्थानीय प्रतिभाओं की भागीदारी सुनिश्चित करना, कार्यक्रमों के बीच समन्वय बनाना तथा अलग-अलग व्यवस्थाओं को संभालना पड़ता है,इस बार योगेश गुप्ता और रुद्र मिश्रा की सक्रिय भूमिका को लेकर चर्चा हुई, आयोजन की तैयारियों और कार्यक्रम को सफ्लतापूर्वक संपन्न कराने में उनकी मेहनत को महत्वपूर्ण माना गया,इससे अभिव्यक्ति के दूसरे सदस्यों की क्षमता भी चर्चा में आई,जो इस आयोजन को आगे बढ़ाने के लिए जिम्मेदारियां संभालते नजर आए,इस पहलू का महत्व इसलिए भी है कि किसी संस्था में कुछ लोगों का लगातार सक्रिय रहना स्वाभाविक रूप से उन्हें पहचान दिलाता है,लेकिन संस्था की दीर्घकालिक मजबूती इस बात से तय होती है कि कितने सदस्य जिम्मेदारी संभालने के लिए तैयार हैं,यदि आयोजन की पूरी व्यवस्था कुछ ही लोगों पर निर्भर रहे, तो भविष्य में उनके अनुपस्थित होने पर कठिनाई पैदा हो सकती है,इसके विपरीत, जब दूसरे सदस्य आगे आते हैं,तो संस्था के पास नेतृत्व और कार्यक्षमता के अधिक विकल्प उपलब्ध होते हैं,कोसम के चतुर्थ संस्करण ने इस संभावना को सामने रखा कि अभिव्यक्ति के भीतर जिम्मेदारियां संभालने की क्षमता केवल कुछ पुराने चर्चित चेहरों तक सीमित नहीं है,हालांकि,आयोजन की प्रत्येक जिम्मेदारी किसने संभाली, इसका पूरा विवरण सार्वजनिक रूप से सामने आना भी जरूरी है,ताकि सभी योगदानकर्ताओं की भूमिका स्पष्ट हो सके।

अतिथियों की सहभागिता और कार्यक्रमों ने भी बढ़ाया आयोजन का महत्व

कोसम का चतुर्थ संस्करण केवल आयोजकों के बदलते समीकरणों के कारण ही चर्चा में नहीं रहा, बल्कि इसमें साहित्य,संस्कृति और वैचारिक विमर्श से जुड़े कई कार्यक्रम भी आयोजित हुए,पहले दिन छत्तीसगढ़ शासन के स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने महोत्सव का शुभारंभ किया और साहित्य की सामाजिक भूमिका पर विचार व्यक्त किए,उन्होंने साहित्य को समाज की दिशा निर्धारित करने वाला महत्वपूर्ण माध्यम बताया,दूसरे दिन छत्तीसगढ़ राजभाषा आयोग के अध्यक्ष प्रभात मिश्रा शामिल हुए,उन्होंने कोरिया की साहित्यिक विरासत का उल्लेख करते हुए कहा कि महोत्सव इस परंपरा को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है,विभिन्न क्षेत्रों से आए साहित्यकारों और कलाकारों ने काव्यपाठ,सांस्कृतिक प्रस्तुतियों और अन्य गतिविधियों में भाग लिया,आयोजकों के अनुसार,दो दिवसीय महोत्सव में कुल 147 कलाकारों एवं साहित्यकारों और 16 समाजसेवियों का सम्मान किया गया,दिल्ली से आए रचनाकार मुरारी मंडल सहित विभिन्न क्षेत्रों के कवियों की प्रस्तुतियों ने श्रोताओं को आकर्षित किया,संगीत,लोककला और परिचर्चाओं के माध्यम से कार्यक्रम में विविधता बनी रही,इन गतिविधियों ने यह भी दिखाया कि आयोजन की सफ्लता का मूल्यांकन केवल मंच पर कौन दिखाई दिया या सोशल मीडिया पर किसकी तस्वीर अधिक साझा हुई, इसके आधार पर नहीं किया जा सकता,कार्यक्रम की विषयवस्तु, प्रतिभागियों की सहभागिता,दर्शकों की रुचि और व्यवस्थाओं की गुणवत्ता भी उसके महत्व के प्रमुख आधार होते हैं।

पुराने चर्चित चेहरे क्यों नहीं दिखे? सवाल कायम, कारण स्पष्ट नहीं

इस बार कुछ ऐसे चेहरे आयोजन में पहले की तरह प्रमुखता से दिखाई नहीं दिए,जिन्हें पिछले वर्षों में कोसम के साथ जोड़कर देखा जाता रहा था, उनकी अनुपस्थिति लोगों के बीच चर्चा का विषय बनी रही,कुछ लोगों के मन में सवाल उठे कि क्या उन्हें आमंत्रित नहीं किया गया था,क्या उन्होंने स्वयं आयोजन से दूरी बनाई या फिर इसके पीछे कोई अन्य कारण था? इन सवालों का स्पष्ट उत्तर फ्लिहाल उपलब्ध नहीं है,किसी व्यक्ति का कार्यक्रम में दिखाई नहीं देना अपने आप में उसके अलग होने या किसी विवाद का प्रमाण नहीं होता है, फिर भी,यह तथ्य चर्चा के योग्य है कि जिन चेहरों को पहले आयोजन की पहचान का हिस्सा माना जाता था,उनकी कम मौजूदगी के बावजूद कोसम का चौथा संस्करण संपन्न हुआ,इस घटनाक्रम ने आयोजन की सफ्लता और व्यक्तिगत पहचान के बीच संबंध पर विचार करने का अवसर दिया,यदि पुराने सहयोगियों का योगदान रहा है,तो उसका सम्मान अपनी जगह महत्वपूर्ण है, वहीं,नए या कम चर्चित सदस्यों की मेहनत को भी उचित पहचान मिलनी चाहिए,संस्था का विकास तभी संतुलित तरीके से हो सकता है,जब पुराने अनुभव और नए प्रयास एक-दूसरे के विरोध में खड़े होने के बजाय आयोजन को आगे बढ़ाने में सहयोग करें।

अभिव्यक्ति के सामने अब सामूहिक नेतृत्व को मजबूत करने का अवसर

चार संस्करण पूरे करना किसी भी सांस्कृतिक आयोजन के लिए एक महत्वपूर्ण पड़ाव है, लेकिन आयोजन की पहचान बनाए रखना और उसे लगातार बेहतर करना उससे भी बड़ी चुनौती है, कोसम के सामने अब यह अवसर है कि वह अपने अनुभवों से सीखकर ऐसी कार्यप्रणाली विकसित करे,जिसमें आयोजन की सफ्लता किसी एक या दो चेहरों पर निर्भर न रहे,इसके लिए जिम्मेदारियों का स्पष्ट बंटवारा,नए सदस्यों को अवसर,पुराने सहयोगियों के अनुभव का उपयोग और आयोजन के पीछे काम करने वाली पूरी टीम को उचित पहचान देना महत्वपूर्ण होगा, सोशल मीडिया पर भी केवल मंचीय तस्वीरों तक सीमित रहने के बजाय उन सदस्यों के काम को सामने लाया जा सकता है,जो व्यवस्थाओं को संभालने में सक्रिय भूमिका निभाते हैं,ऐसा करने से आयोजन के प्रति पारदर्शिता बढ़ेगी और संस्था के भीतर सामूहिक जिम्मेदारी की भावना मजबूत होगी,इससे उन लोगों को भी प्रोत्साहन मिलेगा,जो बिना अधिक प्रचार के काम करते हैं,किसी संस्था की पहचान तभी स्थायी होती है,जब वह व्यक्तिगत लोकप्रियता से आगे बढ़कर सामूहिक उपलब्धि को महत्व देती है,यह भी जरूरी है कि पुराने और नए सदस्यों के योगदान को आमने-सामने खड़ा करके न देखा जाए,पहले के संस्करणों में जिन लोगों ने मेहनत की,उनका योगदान महत्वपूर्ण हो सकता है,वहीं,इस बार जिम्मेदारियां संभालने वाले सदस्यों की भूमिका भी उतनी ही गंभीरता से सामने आनी चाहिए, संस्था के लिए सबसे उपयोगी रास्ता यही होगा कि अनुभव और नई ऊर्जा को साथ लेकर चला जाए।

चेहरों की चर्चा से आगे बढ़कर मेहनत को पहचानने की जरूरत

कोरिया साहित्य महोत्सव का चतुर्थ संस्करण संपन्न हो चुका है,आयोजन के दौरान और उसके बाद कुछ पुराने चर्चित चेहरों की अनुपस्थिति,सोशल मीडिया पर दिखाई देने वाली तस्वीरों और योगेश गुप्ता तथा रुद्र मिश्रा की सक्रिय भूमिका को लेकर चर्चाएं होती रहीं,इन चर्चाओं के बीच एक महत्वपूर्ण सवाल उभरकर आया–किसी आयोजन की सफ्लता का वास्तविक श्रेय किसे मिलना चाहिए? क्या उन लोगों को,जो मंच पर दिखाई देते हैं और जिनकी तस्वीरें सार्वजनिक चर्चा में रहती हैं? या उन सदस्यों को भी, जो कई दिनों तक तैयारी और व्यवस्थाओं में जुटे रहते हैं,लेकिन जिनकी मेहनत को उतनी सार्वजनिक पहचान नहीं मिलती? मंच पर मौजूदगी और पर्दे के पीछे की मेहनत,दोनों आयोजन का हिस्सा हैं,अंतर सिर्फ इतना है कि मंच पर दिखाई देने वाली गतिविधियां आसानी से नजर आ जाती हैं,जबकि व्यवस्थाओं के पीछे किया गया काम अक्सर चर्चा से बाहर रह जाता है,कोसम का चतुर्थ संस्करण इस मायने में याद रखा जा सकता है कि इसने अभिव्यक्ति के भीतर जिम्मेदारियां संभालने वाले दूसरे सदस्यों की भूमिका को चर्चा में लाया, आयोजन संपन्न हुआ,अतिथियों ने सराहना की और साहित्यकारों तथा कलाकारों को मंच मिला,इससे यह संदेश जरूर निकला कि संस्था की कार्यक्षमता किसी एक चेहरे तक सीमित नहीं होनी चाहिए, आखिरकार,किसी आयोजन की असली पहचान तस्वीरों में दिखाई देने वाले चेहरों से नहीं, बल्कि उन सभी लोगों की मेहनत से बनती है,जो उसे सफ्ल बनाने में अपना समय,श्रम और जिम्मेदारी लगाते हैं,चेहरे बदल सकते हैं,श्रेय की चर्चा बदल सकती है,लेकिन संस्था की व्यवस्था तभी मजबूत होती है, जब सफ्लता का सम्मान सामूहिक रूप से किया जाए।

CMYK

मृत किसान के नाम पर ऋण ! दो बार रकम जमा,अब हस्ताक्षरों पर संग्राम

मृत किसान के नाम पर ऋण,शिकायत हुई तो रकम जमा,अब हस्ताक्षरों का रहस्य !, ऋण किसने निकाला,रकम किसने जमा की? मृत किसान के मामले में हस्ताक्षरों का पेच...

मृत किसान के नाम पर ऋण से शिकायत वापसी तक सवाल-सोनपुर समिति का हिसाब कौन देगा?

सोनपुर सहकारी समिति में 10 मई 2021 को मृत्यु,जून में ऋण स्वीकृति का आरोप,पहले 1.29 लाख,फिर 69,175 जमा-लेकिन पैसा किसने निकाला,

किसने जमा किया और हस्ताक्षर किसके? शिकायतकर्ता ने जितवेश श्रीवास्तव पर लगाए गंभीर आरोप, कलेक्टर और उप पंजीयक सहकारिता से जांच की मांग

-ओंकार पाण्डेय-

सूरजपुर/ भैयाथान,30 अक्टूबर 2026 (घटती-घटना)।

सहकारिता व्यवस्था में कागजों का अपना एक अलग संसार होता है, कहीं ऋण स्वीकृत हो जाता है,कहीं खाते से रकम निकल जाती है,फिर वसूली का नोटिस जारी होता है,शिकायत होती है तो रकम जमा होने का विवरण सामने आता है और जब मामला दोबारा उठता है,तो शिकायत वापसी का पत्र भी सामने आ जाता है, लेकिन जब शिकायतकर्ता ही कहने लगे कि जमा पर्ची और शिकायत वापसी के दस्तावेज पर उसके हस्ताक्षर नहीं हैं,तब सवाल केवल खाते के हिसाब का नहीं रह जाता–पूरी प्रक्रिया की विश्वसनीयता जांच के घेरे में आ जाती है।

आदिम जाति सेवा सहकारी समिति मर्यादित, सोनपुर से जुड़ा मृत किसान हरिप्रसाद के नाम पर कथित KCC ऋण का मामला अब इसी मोड़ पर पहुंच गया है, मृतक के पुत्र देवी प्रसाद ने 28 अक्टूबर 2026 को कलेक्टर सूरजपुर और उप पंजीयक सहकारिता के समक्ष आवेदन देकर आरोप लगाया है कि 17 अक्टूबर को उनकी जानकारी और सहमति के बिना उनके नाम से कथित फर्जी हस्ताक्षर कर ?69,175 ऋण खाते में जमा किए गए, उनका यह भी आरोप है कि 21 अक्टूबर को उनके नाम से शिकायत वापसी का पत्र उच्च कार्यालय को भेजा गया,जबकि उन्होंने शिकायत वापस लेने की सहमति नहीं दी थी,इससे पहले भी यह मामला 'दैनिक घटती-घटना' में प्रकाशित हो चुका है,अब नई शिकायत के बाद सवाल और गंभीर हो गए हैं,शिकायतकर्ता के अनुसार, उनके पिता की मृत्यु के बाद उनके नाम पर ऋण स्वीकृत हुआ,खाते से रकम निकली,बकाया ऋण का नोटिस आया,शिकायत के बाद ?1.29 लाख जमा हुए और फिर अक्टूबर 2026 में ?69,175 जमा होने का विवरण सामने आया,अब विवाद जमा पर्ची और शिकायत वापसी के पत्र पर दर्ज हस्ताक्षरों को लेकर है,सवाल सीधा है–क्या ऋण खाते में रकम जमा हो जाने से यह पता चल जाता है कि मूल ऋण किसने लिया,रकम किसने निकाली और पूरी प्रक्रिया नियमों के अनुसार हुई थी?

10 मई को मृत्यु,फिर 25 मई को निकासी-खाते की पहली पहेली

शिकायतकर्ता द्वारा दिए गए विवरण के अनुसार,हरिप्रसाद की मृत्यु 10 मई 2021 को हुई थी,इसके बाद 25 मई 2021 को उनके खाते से ?17,000 की निकासी दर्ज होने का उल्लेख है,फिर 1 जून 2021 को ?75,000 और 11 जून 2021 को ?54,000 का KCC ऋण स्वीकृत होने का दावा किया गया है, दोनों ऋणों की कुल राशि ?1,29,000 बताई गई है, शिकायत में ऋण की रकम से संबंधित निकासी का विवरण भी दिया गया है, ?75,000 के ऋण में से 3 जून को ?49,000 और 4 जून को ?26,000 निकाले जाने का उल्लेख है,वहीं ?54,000 के ऋण में से 17 जून को ?49,000 और 21 जून को ?5,000 निकाले जाने का विवरण दिया गया है, इसके अतिरिक्त 23 अगस्त 2021 को ?18,500 की निकासी का भी उल्लेख है,यदि मृत्यु प्रमाणपत्र और बैंक रिकॉर्ड में दर्ज तारीखें सही हैं, तो जांच का पहला सवाल यही है कि मृत्यु के बाद ऋण आवेदन किसने प्रस्तुत किया? ऋण स्वीकृति के लिए किसान की पहचान और पात्रता का सत्यापन किसने किया? दस्तावेजों पर हस्ताक्षर किसके थे? ऋण स्वीकृति किस अधिकारी या कर्मचारी ने दी? और खाते से रकम निकालने के लिए किसने दस्तावेज प्रस्तुत किए? 25 मई और 23 अगस्त की निकासी को जून में स्वीकृत ऋणों से सीधे जुड़ रहा है,इन प्रविष्टियों का वास्तविक आधार बैंक के मूल लेजर और संबंधित वाउचर से ही स्पष्ट करना चाहिए,यह कोई ऐसा हिसाब नहीं है जिसे केवल एक अंतिम शेष राशि देखकर समझ लिया जाए,ऋण स्वीकृति से लेकर हर निकासी तक की कड़ी सामने आनी चाहिए,आखिर बैंक के रिकॉर्ड में दर्ज रकम का वास्तविक लाभार्थी कौन था?

मृत्यु के बाद ऋण का खेल? दो बार रकम जमा,फिर शिकायत वापसी पर सवाल

शिकायत के बाद 1.29 लाख, फिर 69,175 जमा... अब हस्ताक्षर किसके?

खाते में रकम जमा,पर हिसाब अब भी बाकी! सोनपुर केसीसी प्रकरण में नया मोड़

सोनपुर केसीसी प्रकरणः तारीख और रकम की पूरी कड़ी...रकम का हिसाबः क्या स्पष्ट है,क्या नहीं?

तारीख	रकम/घटनाक्रम	तथ्य की स्थिति
10 मई 2021	हरिप्रसाद की मृत्यु	शिकायत में उल्लिखित
25 मई 2021	₹17,000 की निकासी	उपलब्ध विवरण में दर्ज; मूल बैंक रिकॉर्ड से पुष्टि जरूरी
1 जून 2021	₹75,000 का KCC ऋण स्वीकृत होने का दावा	शिकायत में उल्लिखित
3 जून 2021	₹49,000 की निकासी	उपलब्ध विवरण में दर्ज
4 जून 2021	₹26,000 की निकासी	उपलब्ध विवरण में दर्ज
11 जून 2021	₹54,000 का KCC ऋण स्वीकृत होने का दावा	शिकायत में उल्लिखित
17 जून 2021	₹49,000 की निकासी	उपलब्ध विवरण में दर्ज
21 जून 2021	₹5,000 की निकासी	उपलब्ध विवरण में दर्ज
23 अगस्त 2021	₹18,500 की निकासी	उपलब्ध विवरण में दर्ज
वर्ष 2024	₹1,72,860 बकाया ऋण का नोटिस मिलने का दावा	शिकायतकर्ता के आवेदन के अनुसार
22 जुलाई 2024	कलेक्टर जनदर्शन में शिकायत	आवेदन में उल्लिखित
26 जुलाई 2024	₹1,29,000 ऋण खाते में जमा होने का दावा	शिकायतकर्ता के विवरण के अनुसार; जमा करने वाले की पहचान स्पष्ट नहीं
7 अक्टूबर 2026	₹64,512 बकाया ऋण जमा करने का नोटिस	शिकायत में उल्लिखित
14 अक्टूबर 2026	दोबारा शिकायत किए जाने का उल्लेख	नए विवरण के अनुसार; मूल आवेदन की तारीख से मिलान जरूरी
15 अक्टूबर 2026	बैंक शाखा ले जाने और हस्ताक्षर कराने के दबाव का आरोप	शिकायतकर्ता का आरोप
17 अक्टूबर 2026	₹69,175 ऋण खाते में जमा	शिकायत में उल्लिखित; शिकायतकर्ता का आरोप है कि उनकी सहमति के बिना जमा किया गया
21 अक्टूबर 2026	शिकायत वापसी का पत्र उच्च कार्यालय को भेजे जाने का आरोप	शिकायतकर्ता का कहना है कि उन्होंने इसकी सहमति नहीं दी
26 अक्टूबर 2026	कलेक्टर को शिकायत दिनांकित	उपलब्ध शिकायत पर दर्ज तारीख
28 अक्टूबर 2026	कलेक्टर कार्यालय की प्राप्ति मुहर; उप पंजीयक सहकारिता को भी शिकायत देने का विवरण	उपलब्ध दस्तावेज/आपके दिए विवरण के अनुसार

वसूली का नोटिस आया,तब मृतक के नाम पर ऋण की जानकारी मिलने का दावा

शिकायतकर्ता का कहना है कि वर्ष 2024 में उन्हें अपने दिवंगत पिता के नाम पर ?1,72,860 का बकाया ऋण जमा करने के लिए समिति से नोटिस मिला, उनके अनुसार,इसी नोटिस के बाद उन्हें कथित ऋण की जानकारी हुई,इसके बाद 22 जुलाई 2024 को उन्होंने कलेक्टर सूरजपुर के जनदर्शन में लिखित शिकायत प्रस्तुत की,यहां सहकारिता व्यवस्था से सवाल पूछा जाना जरूरी है,यदि ऋण की स्वीकृति और भुगतान की प्रक्रिया नियमों के अनुसार हुई थी,तो वसूली का नोटिस जारी करने से पहले ऋण आवेदन,स्वीकृति आदेश और संबंधित रिकॉर्ड का सत्यापन किस आधार पर किया गया? यदि ऋण के संबंध में विवाद था,तो उसकी जांच किस स्तर पर हुई? उसी तरह शिकायतकर्ता का आरोप भी अपने आप ऋण को फर्जी सिद्ध नहीं करता,लेकिन मृत्यु की तारीख और ऋण स्वीकृति की तारीखों के बीच जो सवाल खड़े होते हैं,उनका उत्तर दस्तावेजों से मिलना चाहिए।

पहली शिकायत के चार दिन बाद 1.29 लाख जमा-लेकिन जमा किसने किए?

शिकायतकर्ता के विवरण के अनुसार,22 जुलाई 2024 को जनदर्शन में शिकायत किए जाने के बाद 26 जुलाई 2024 को ?1,29,000 ऋण खाते में जमा किए गए। शिकायतकर्ता का आरोप है कि इसके बाद शिकायत वापसी से संबंधित दस्तावेज भी सामने आया,लेकिन इस घटनाक्रम में सबसे अहम सवाल यह है कि ?1.29 लाख किसने जमा किए? रकम कहां से आई? क्या शिकायतकर्ता ने स्वयं भुगतान किया था या किसी दूसरे व्यक्ति ने? बैंक की जमा पर्ची पर किसके हस्ताक्षर हैं? और शिकायत वापसी के पत्र पर दर्ज हस्ताक्षर किसने किए? शिकायतकर्ता ने अब हस्ताक्षरों को लेकर आपत्ति जताई है,इसलिए जमा पर्ची और शिकायत वापसी के दस्तावेजों की मूल प्रतियां सामने आना जरूरी है, यदि शिकायतकर्ता के हस्ताक्षर वास्तविक हैं,तो जांच में उसका आधार स्पष्ट होना चाहिए,यदि वे उनके हस्ताक्षर नहीं हैं,तो इसकी पुष्टि सक्षम जांच से होनी चाहिए,व्यंग्य अपनी जगह, लेकिन सवाल गंभीर है–शिकायत के बाद रकम जमा हो गई, तो क्या इससे ऋण स्वीकृति और निकासी की मूल प्रक्रिया अपने आप सही साबित हो जाती है?

'दैनिक घटती-घटना' ने पहले उठाया मामला, अब नए आवेदन पर प्रशासन की परीक्षा

'दैनिक घटती-घटना' इस मामले को पहले भी प्रकाशित कर चुका है, अब 28 अक्टूबर के नए आवेदन में शिकायतकर्ता ने जमा वाउचर और शिकायत वापसी के पत्र पर कथित फर्जी हस्ताक्षर की आपत्ति उठाई है,इससे मामला फिर प्रशासन के सामने आ गया है,अब कलेक्टर और सहकारिता विभाग से अपेक्षा है कि वे यह स्पष्ट करें कि 2024 की शिकायत पर क्या कार्रवाई हुई,ऋण खाते की जांच किस स्तर पर की गई, 2026 के नोटिस में बकाया राशि कैसे तय हुई और शिकायत वापसी के पत्र की प्रामाणिकता की पुष्टि की गई या नहीं,साथ ही, शिकायतकर्ता के घर छोड़कर जाने संबंधी दावे की भी पुष्टि कराई जानी चाहिए,यदि उन्होंने दबाव या खतरे के कारण घर छोड़ा,तो उस पहलू को केवल वित्तीय जांच के पीछे छूटने नहीं देना चाहिए।

2026 में फिर बकाया नोटिस- पुराना विवाद दोबारा सामने

शिकायतकर्ता के नए आवेदन के अनुसार,7 अक्टूबर 2026 को उन्हें ?64,512 बकाया ऋण जमा करने का नोटिस दिया गया। शिकायतकर्ता ने बताया कि इसके बाद उन्होंने दोबारा शिकायत की, आपके उपलब्ध विवरण में दूसरी शिकायत की तारीख 14 अक्टूबर बताई गई है,जबकि पूर्व में साझा सामग्री में 15 अक्टूबर का भी उल्लेख आया है, इस तारीख की मूल आवेदन से पुष्टि जरूरी है,यहां फिर वही सवाल उठता है–यदि 2024 में 1.29 लाख जमा किए गए थे,तो 2026 में बकाया राशि किस आधार पर दिखाई गई? क्या मूलधन,ब्याज और अन्य देय राशि का पूरा हिसाब दिया गया था? क्या 2024 के भुगतान का समुचित समायोजन हुआ था? या बैंक रिकॉर्ड में कोई विसंगति थी? इन सवालों का उत्तर ऋण खाते के प्रमाणित विवरण से ही मिल सकता है,केवल नोटिस की राशि और बाद में जमा रकम को देखकर किसी अनियमितता का अंतिम निष्कर्ष निकालना उचित नहीं होगा।

17 अक्टूबर को 69,175 जमा- शिकायतकर्ता ने सहमति से इनकार किया

नए आवेदन में शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया है कि 17 अक्टूबर 2026 को उनकी जानकारी और सहमति के बिना उनके नाम से कथित फर्जी हस्ताक्षर कर ?69,175 ऋण खाते में जमा किए गए, उन्होंने यह भी कहा है कि जमा वाउचर पर दर्ज हस्ताक्षर उनके नहीं हैं,यह आरोप अब जांच का महत्वपूर्ण बिंदू है,बैंक रिकॉर्ड से स्पष्ट होना चाहिए कि ?69,175 किसने जमा किए, किस खाते या माध्यम से राशि आई,किसने वाउचर तैयार किया और भुगतान के समय शिकायतकर्ता की पहचान तथा सहमति की पुष्टि की गई थी या नहीं,यदि जमा पर्ची पर शिकायतकर्ता के हस्ताक्षर होने का दावा किया गया है और वही व्यक्ति हस्ताक्षर से इनकार कर रहा है,तो केवल दस्तावेज में हस्ताक्षर मौजूद होने से विवाद समाप्त नहीं हो जाता,मूल पर्ची,संबंधित बैंक प्रविष्टि और शिकायतकर्ता के निर्विवाद हस्ताक्षरों का मिलान आवश्यक है, लेकिन जांच से पहले यह भी निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता कि हस्ताक्षर फर्जी ही हैं, शिकायतकर्ता का आरोप गंभीर है,और उसका निष्पक्ष परीक्षण होना चाहिए।

21 अक्टूबर को शिकायत वापसी का पत्र-किसकी सहमति से गया?

इस मामले में दूसरा बड़ा विवाद 21 अक्टूबर 2026 को उच्च कार्यालय को भेजे गए कथित शिकायत वापसी पत्र को लेकर है, शिकायतकर्ता का आरोप है कि उन्होंने शिकायत वापस लेने की सहमति नहीं दी,फिर भी उनके नाम से हस्ताक्षर करके पत्र भेज दिया गया,28 अक्टूबर 2026 को कलेक्टर सूरजपुर और उप पंजीयक सहकारिता को दिए गए आवेदन में देवी प्रसाद ने कहा है कि उनकी मूल शिकायत,ऋण जमा वाउचर और शिकायत वापसी के पत्र पर दर्ज हस्ताक्षर अलग-अलग प्रतीत होते हैं, उन्होंने इन दस्तावेजों की जांच कराने की मांग की है,यहां सवाल केवल हस्ताक्षरों का नहीं,बल्कि पूरी प्रक्रिया का है,पत्र किसने तैयार किया? किसने कार्यालय में प्रस्तुत किया? प्राप्ति किस तारीख को दर्ज हुई? क्या शिकायतकर्ता से सीधे संपर्क कर यह पुष्टि की गई कि वह वास्तव में शिकायत वापस लेना चाहते हैं? क्या शिकायत वापसी से पहले मूल आरोपों की जांच हुई थी? यदि शिकायतकर्ता ने पत्र दिया ही नहीं,तो उसकी प्रामाणिकता का सवाल गंभीर हो जाता है,यदि उन्होंने पत्र दिया था,तो उनकी सहमति और परिस्थितियों की पुष्टि भी जरूरी है,किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले मूल दस्तावेजों की जांच होनी चाहिए।

शिकायतकर्ता को परेशान करने और घर छोड़कर जाने का दावा भी जांच के दायरे में

इस प्रकरण में शिकायतकर्ता की परेशानी का पहलू भी महत्वपूर्ण है,आपने बताया है कि शिकायतकर्ता को कथित रूप से इतना परेशान किया गया कि उन्हें अपना घर छोड़कर भागना पड़ा, यह दावा गंभीर है और इसे खबर में नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए, हालांकि,उपलब्ध दस्तावेजों से इस घटना की स्वतंत्र पुष्टि अभी स्पष्ट नहीं है, यदि शिकायतकर्ता को धमकी, दबाव या उत्पीड़न का सामना करना पड़ा और इसी कारण उन्हें घर छोड़ना पड़ा,तो प्रशासन को इस आरोप की भी अलग से जांच करनी चाहिए, शिकायतकर्ता ने किन परिस्थितियों में घर छोड़ा, किससे खतरा होने की बात कही,क्या उन्होंने पुलिस या किसी अन्य अधिकारी से संपर्क किया और क्या इस संबंध में कोई लिखित शिकायत या गवाह उपलब्ध हैं–इन बिंदुओं का सत्यापन आवश्यक है, किसी नागरिक को शिकायत करने के कारण असुरक्षित महसूस करना पड़े, तो यह केवल ऋण खाते का मामला नहीं रह जाता, यह शिकायतकर्ता की सुरक्षा और निष्पक्ष सुनवाई का विषय भी बन जाता है,इसलिए प्रशासन को उनकी सुरक्षा संबंधी आशंका को गंभीरता से सुनना चाहिए और आवश्यक होने पर नियमानुसार कदम उठाने चाहिए।

अब आठ सवाल,जिनका जवाब जरूरी है...

1. हरिप्रसाद की मृत्यु 10 मई 2021 को हुई थी,तो जून 2021 में उनके नाम पर केसीसी ऋण स्वीकृत होने का आधार क्या था? 2. 25 मई और 23 अगस्त की निकासी सहित सभी लेनदेन का वास्तविक आधार क्या था? 3. ऋण की रकम किसने निकाली और वास्तविक लाभार्थी कौन था । 4. 2024 में 1.29 लाख किसने जमा किए और जमा पर्ची पर हस्ताक्षर किसके हैं। 5. 2026 में 69,175 किसने जमा किए और क्या शिकायतकर्ता की सहमति की पुष्टि की गई? 6. 21 अक्टूबर को शिकायत वापसी का पत्र किसने प्रस्तुत किया और क्या उस पर दर्ज हस्ताक्षर वास्तविक हैं? 7. शिकायतकर्ता को कथित रूप से परेशान किए जाने और घर छोड़कर जाने के दावे की जांच कौन करेगा? 8. क्या सहकारिता विभाग ऋण खाते की अंतिम राशि देखने के साथ-साथ पूरी स्वीकृति, निकासी, भुगतान और शिकायत वापसी की प्रक्रिया की भी जांच करेगा?

जितवेश श्रीवास्तव पर आरोप,लेकिन जांच का दायरा पूरे रिकॉर्ड तक हो...

शिकायतकर्ता ने सोनपुर सहकारी समिति के पदस्थ कर्मचारी जितवेश श्रीवास्तव पर आरोप लगाए हैं,उन्होंने मामले की जांच और दोषी पाए जाने पर कार्रवाई की मांग की है, इन आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि अभी बाकी है,संबंधित कर्मचारी, समिति प्रबंधन और बैंक का आधिकारिक पक्ष भी सामने आना चाहिए,जांच केवल एक व्यक्ति के बयान तक सीमित नहीं रहनी चाहिए,ऋण आवेदन किसने तैयार किया,सत्यापन किसने किया,स्वीकृति किसने दी, रकम निकालने के दस्तावेज किसने प्रस्तुत किए,भुगतान किसे हुआ,बकाया नोटिस किस रिकॉर्ड पर जारी हुआ और बाद में जमा हुई रकम किसने जमा की–इन सभी बिंदुओं का रिकॉर्ड से मिलान होना चाहिए,किसी व्यक्ति की भूमिका केवल उसके पद के आधार पर तय नहीं की जा सकती,जिम्मेदारी दस्तावेजों,बैंक प्रविष्टियों, हस्ताक्षरों,संबंधित बयानों और लागू प्रक्रिया की जांच के बाद ही निर्धारित होनी चाहिए।

रकम जमा होना अंतिम जवाब नहीं- मूल प्रक्रिया की जांच जरूरी

इस प्रकरण में सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या ऋण खाते में रकम जमा हो जाने से मूल वित्तीय प्रक्रिया पर उठे सवाल समाप्त हो जाते हैं? यदि ऋण स्वीकृति वैध थी,तो उसके दस्तावेज सामने आने चाहिए। यदि रकम खाते से निकली थी,तो निकासी का आधार और वास्तविक लाभार्थी स्पष्ट होना चाहिए,यदि शिकायत वापसी का पत्र वास्तविक है,तो उसकी पुष्टि होनी चाहिए,और यदि शिकायतकर्ता के हस्ताक्षरों का कथित दुरुपयोग हुआ है, तो इसकी निष्पक्ष जांच आवश्यक है,व्यंग्यात्मक भाषा में कहें तो खाते में रकम वापस जमा कर देने से यह पता नहीं चल जाता कि रकम पहले निकली कैसे थी,लेकिन इस मामले में वास्तव में क्या हुआ,यह जांच से ही तय होगा, किसी को पहले से दोषी ठहराना उचित नहीं, मगर दस्तावेजों और शिकायतों से उठे सवालों को अनदेखा करना भी उचित नहीं है, 'दैनिक घटती-घटना' का सवाल है–मृत किसान के नाम पर ऋण स्वीकृति,खाते से निकासी,वसूली के नोटिस,दो बार रकम जमा होने और शिकायत वापसी के दस्तावेजों तक फैले इस पूरे घटनाक्रम की जांच होगी या केवल खाते में जमा अंतिम राशि देखकर मामला समाप्त मान लिया जाएगा? कलेक्टर और उप पंजीयक सहकारिता को मूल ऋण आवेदन,स्वीकृति आदेश,बैंक लेजर, निकासी वाउचर,दोनों जमा पर्चियां, शिकायत वापसी का पत्र और संबंधित शिकायतों का रिकॉर्ड मंगाकर जांच करनी चाहिए, यदि आरोप प्रमाणित होते हैं,तो नियमानुसार कार्रवाई हो,यदि नहीं, तो जांच रिपोर्ट में उसका दस्तावेजी आधार स्पष्ट किया जाए, फिलहाल शिकायतकर्ता के आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि और संबंधित कर्मचारी,समिति तथा बैंक का आधिकारिक पक्ष सामने आना बाकी है,इस मामले में अंतिम निष्कर्ष दस्तावेजों की जांच और संबंधित पक्षों को सुनने के बाद ही निकाला जाना चाहिए।

CMYK

साई पल्लवी के सीता बनने पर क्यों छिड़ी बहस?

पहले भी लुक और मेकअप को लेकर उठ चुके हैं सवाल

नितेश तिवारी के निर्देशन में बनी रामायण जल्द ही वर्ल्डवाइड सिनेमाघरों में रिलीज होने जा रही है। मूवी में जहां रणबीर भगवान राम, तो यश लंकापति रावण और साई पल्लवी माता सीता के किरदार में दिखाई देंगी।एक तरफ साउथ स्टार यश को जहां रावण के किरदार के लिए वाहवाही मिल रही है,तो वहीं साई पल्लवी को लेकर लगातार माता सीता की भूमिका के लिए आलोचना झेलनी पड़ रही हैं। क्यों कुछ लोग लगातार मां सीता के रूप में एक्ट्रेस को ट्रोल कर रहे हैं और खुद साई पल्लवी का इस पर क्या कहना है।

क्यों साई पल्लवी को सही च्वाइस नहीं मान रहे लोग?

जब से लोगों के सामने रामायण पार्ट 1 का ट्रेलर आया था,तब से सोशल मीडिया पर एक वर्ग लगातार उन्हें मां सीता के रूप में गलत च्वाइस बता रहा था। इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक,उनकी हिंदी से ज्यादा ट्रोलर्स ने एक्ट्रेस के घुंघराले बालों,चेहरे की बनावट और एक्ट्रेस के फेस पर मुहासों को लेकर आपत्ति जताई थी। ट्रोल करने वाले कई लोगों का ये कहना था कि उन्होंने टीवी और किताबों में मां सीता की जो छवि देखी है,साई पल्लवी उनसे जरा भी मेल नहीं खाती हैं। इसके साथ ही आलोचकों ने ये एक्ट्रेस को ट्रोल करते हुए ये भी कहा कि माता सीता को देख एक डिवाइन ब्यूटी का एहसास होता है, लेकिन साई पल्लवी को लेकर ऐसा बिल्कुल भी महसूस नहीं हो रहा है।

बिना मेकअप पहली बार परदे पर आई थीं साई पल्लवी

ये पहली बार नहीं है जब साई पल्लवी को उनके साधारण लुक और चेहरे पर मुहासे चर्चा का विषय बने हैं। साल 2015 में जब तमिलनाडु के कोयंबटूर में जन्मी एक्ट्रेस ने मलयालम फिल्म प्रेमम से एक्टिंग की दुनिया में कदम रखा था, तो उन्हें ये डर था कि उनके चेहरे पर मुहासों के लिए लोग उन्हें जज करेंगे। एक्ट्रेस ने इंटरव्यू में कहा था,जब प्रेमम आई थी तो मुझे ये डर था कि लोग मेरे बिना मेकअप वाले लुक के लिए ट्रोल करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और उन्होंने मलयालम सिनेमा में तहे दिल से अपनाया।

मेरे भी अपने डर हैं-साईं पल्लवी

साई पल्लवी ने एक अन्य इंटरव्यू में कहा,प्रेम में तो बिना मेकअप रह गई,लेकिन उसके बाद कई निर्देशक ने उनसे चेहरे पर थोड़ा मेकअप लगाने के लिए कहा। हालांकि,जब वह उनके सामने आई, तो निर्देशक ने ये बोला कि बिल्कुल भी नहीं लग रहा है कि मैंने मेकअप किया है। जब गुस्से वाले सीन में मेरे गाल लाल हो जाते थे,तो वही शॉर्ट में लगता था। मुझे लगता है कि खूबसूरती कभी भी बाहरी लुक से डिफाइन नहीं किया जा सकता है,बल्कि आप अंदर से कैसे हैं, वो खूबसूरती को परिभाषित करता है।

किस चीज का दर्शकों पर पड़ता है असर?

साई पल्लवी ने उनके लुक पर पूछे जाने पर ये साफ बताया था कि उन्हें सिर्फ आंखों में आइलाइनर लगाने का शौक है,क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि उससे आंखे बड़ी लगती हैं। उसके अलावा मुझे ऐसा लगता है कि लोगों को सिर्फ आपके किरदार से असर पड़ता है कि वह कितना प्रभावशाली है। जब मुझसे कोई मेरे मेकअप के बारे में पूछता है तो बिल्कुल समझ नहीं आता क्या बोलूं। मैं एक सिंपल लड़की हूं,जिसके चेहरे पर कील मुहासे हो सकते हैं। उन्होंने कॉस्मेटिक्स के ज्यादा इस्तेमाल की आलोचना करते हुए अपनी ही बहन का उदाहरण देते हुए ये भी कहा था कि वो ज्यादा रंग और खूबसूरती के चक्कर में वो फल फ्रूट भी खाती है, जो उसे कतई पसंद नहीं है। इसलिए साई पल्लवी ने खुद को वैसे ही अपनया है, जैसी वो है। ये उनकी निजी पसंद हैं।

फिल्म 'लव इंक' में सुनील रेड्डी का निगेटिव रोल

अभिनेता सुनील रेड्डी,जिनका अभिनय सूर्या-अभिनीत विश्वनाथ एंड संस में था, निर्देशक मेगाराज डॉस की आगामी रोमांटिक-कॉम लव इंक में खलनायक की भूमिका निभाएंगे,जिसमें अभिनेता राज अयप्पा और डेलना डेविस मुख्य भूमिका में हैं। सूत्रों ने बताया कि सुनील रेड्डी अब फिल्म के सेट पर शामिल हो गए हैं, जबकि यह फिल्म चेन्नई में अपने निर्माण के अंतिम चरण में प्रवेश कर रही है। सूत्रों ने आगे पुष्टि की कि फिल्म में सुनील रेड्डी की भूमिका महत्वपूर्ण होगी। अनजान लोगों के लिए,फिल्म का निर्माण एमआर पिक्चर्स द्वारा किया जा रहा है और ए महेंदीरन द्वारा प्रस्तुत किया जा रहा है। सूत्रों का कहना है कि फिल्म इस साल दिसंबर में स्क्रीन पर आने की संभावना है। सूत्रों ने बताया कि समसामयिक रिश्तों पर केंद्रित,लव इंकआधुनिक रोमांस पर एक मनोरंजक प्रस्तुति होगी, जो सभी आयु वर्ग के दर्शकों को आकर्षित करेगी। फिल्म में राज अयप्पा,डेलना डेविस और सुनील रेड्डी के अलावा आरती,रवि मारिया, माइम गोपी,पट्टीमंद्रम राजा, रामा,सुभाषिनी,विनोथ मुन्ना, केपी विनोथ और मॉरिश जैसे कलाकार भी प्रमुख भूमिकाओं में होंगे। फिल्म की शूटिंग चेन्नई में शुरू हुई और बाद में तिरुवन्नमलाई जिले के चेय्यर में चली गई। टीम अब फिल्मांकन के अंतिम चरण के लिए चेन्नई लौट आई है। शूटिंग पूरी होने के करीब है, निर्माण के अगले चरण पूरी गति से आगे बढ़ रहे हैं क्योंकि निर्माता फिल्म की योजनाबद्ध दिसंबर 2026 रिलीज की तैयारी कर रहे हैं। फिल्म के बारे में बोलते हुए, निर्देशक मेगाराज डॉस ने कहा था,मुझे विश्वास है कि लव इंक निश्चित रूप से आज के जेन जेड दर्शकों की लव प्लेलिस्ट में जगह बनाएगी। इस फिल्म में शामिल सभी लोगों ने बेहद कड़ी मेहनत की है,और मुझे उम्मीद है कि दर्शक हमारे प्रयासों को अपने प्यार और समर्थन के साथ जवाब देंगे। मुझे विश्वास है कि लव इंक न केवल युवा लोगों को पसंद आएगी बल्कि एक ऐसी फिल्म भी बनेगी जिसे परिवार एक साथ बैठ सकते हैं, आनंद ले सकते हैं और जश्न मना सकते हैं। तकनीकी मोर्चे पर, फिल्म में संगीत धरन कुमार का है और छायांकन आई. मारुथा नयागम का है। फिल्म का कला निर्देशन रामू थंगराज का है और संपादन बुवन का है।

घुंघरुओं की खनक,लावणी की थाप,आंखों में आग और चेहरे पर संघर्ष की कहानी

ईठा के ट्रेलर में छा गई श्रद्धा कपूर

श्रद्धा कपूर फिल्म ईथा में मशहूर लावणी और तमाशा कलाकार विठाबाई भाऊ मांग नारायणगांवकर की भूमिका निभा रही हैं। लक्ष्मण उतेकर के निर्देशन में बनी यह फिल्म 4 दिसंबर 2026 को रिलीज होगी। बॉलीवुड अभिनेत्री श्रद्धा कपूर एक बार फिर बड़े पर्दे पर वापसी के लिए तैयार हैं, लेकिन इस बार उनका अंदाज पहले से बिल्कुल अलग होने वाला है। हॉरर-कॉमेडी फिल्म स्त्री में दर्शकों को डराने और हंसाने वाली श्रद्धा अब महाराष्ट्र की लोककला और संस्कृति के रंग में रंगी नजर आएंगी। उनकी आने वाली फिल्म ईठा का ट्रेलर 30 अक्टूबर को रिलीज कर दिया गया है। इससे पहले टीजर रिलीज किया गया था जिसे भी लोगों ने काफी पसंद किया था। यह फिल्म महाराष्ट्र की मशहूर तमाशा और लावणी कलाकार विठाबाई भाऊ मांग नारायणगांवकर की जिंदगी पर आधारित बायोपिक है। ट्रेलर में श्रद्धा का बिल्कुल नया अवतार देखने को मिल रहा है। रंगीन मंच, पारंपरिक नृत्य, संगीत और संघर्ष से भरी एक कलाकार की जिंदगी की झलक फिल्म को लेकर उत्सुकता बढ़ाती है। फिल्म में रणदीप हुड्डा और मोहम्मद जीशान अय्यूब भी अहम भूमिकाओं में नजर आएंगे।

स्त्री से बिल्कुल अलग है श्रद्धा कपूर का अंदाज

ईठा के ट्रेलर में श्रद्धा कपूर को विठाबाई के किरदार में पेश किया गया है। उनका यह लुक और अंदाज उनकी पिछली फिल्मों से काफी अलग है। जहां स्त्री में वह हॉरर और कॉमेडी के बीच नजर आई थीं,वहीं इस फिल्म में उन्हें एक भावुक,ऊर्जावान और कला के प्रति समर्पित महिला का किरदार निभाते देखा जा सकता है। ट्रेलर में श्रद्धा का लावणी डांस,पारंपरिक परिधान और मंच पर उनकी अदाएं खास आकर्षण हैं। वह अपने किरदार के जरिए महाराष्ट्र की लोकसंस्कृति को पर्दे पर उतारने की कोशिश करती दिखाई देती हैं। कहानी में विठाबाई के शुरुआती संघर्ष से लेकर लोकनाट्य की दुनिया में उनकी पहचान बनाने तक का सफर दिखाया जाएगा। एक महिला कलाकार के रूप में उन्हें किन चुनौतियों का सामना करना पड़ा, इसकी झलक भी ट्रेलर में मिलती है।

लावणी और तमाशा की दुनिया दिखाएगी फिल्म

ईठा की खासियत सिर्फ इसकी कहानी नहीं,बल्कि महाराष्ट्र की पारंपरिक लोककलाओं को बड़े पर्दे पर पेश करने का प्रयास भी है। लावणी महाराष्ट्र का लोकप्रिय लोकनृत्य है,जिसमें तेज लय, भावपूर्ण अदाएं और संगीत का खास मेल देखने को मिलता है। वहीं,तमाशा महाराष्ट्र की पारंपरिक लोकनाट्य शैली है,जिसमें नृत्य,संगीत,अभिनय और कहानी कहने की कला शामिल होती है। विठाबाई नारायणगांवकर ने इन दोनों कलाओं को अपनी जिंदगी समर्पित कर दिया था। उन्होंने अपने प्रदर्शन के दम पर लोककला की दुनिया में अलग पहचान बनाई और उन्हें तमाशा सम्राज्ञी के नाम से जाना जाने लगा। फिल्म में उनके कलात्मक सफर के साथ निजी जिंदगी के संघर्षों को भी जगह मिलने की उम्मीद है।

पलक तिवारी और इब्राहिम अली खान के ब्रेकअप की चर्चा तेज

बॉलीवुड के चर्चित स्टार किड्स पलक तिवारी और इब्राहिम अली खान एक बार फिर अपनी निजी जिंदगी को लेकर सुर्खियों में आ गए हैं। लंबे समय से दोनों के अफेयर की खबरें सामने आती रही हैं,लेकिन अब इनके कथित ब्रेकअप की चर्चा तेज हो गई है। ताजा मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक,पलक और इब्राहिम ने करीब तीन साल से अधिक समय तक एक-दूसरे को डेट करने के बाद अपनी राहें अलग कर ली हैं। बताया जा रहा है कि दोनों ने आपसी सहमति से अलग होने का फैसला किया है। इतना ही नहीं, दोनों को लेकर पहले से निर्धारित कुछ जॉइंट शूट भी कथित तौर पर रद्द कर दिए गए हैं या फिलहाल रोक दिए गए हैं।

हालांकि, इस पूरे मामले में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि पलक तिवारी और इब्राहिम अली खान ने न तो कभी सार्वजनिक तौर पर अपने रिश्ते की पुष्टि की थी और न ही अब ब्रेकअप की खबरों पर कोई आधिकारिक बयान दिया है। पलक तिवारी और इब्राहिम अली खान के बीच कथित तौर पर पिछले तीन वर्षों से अधिक समय से नजदीकियां थीं। रिपोर्ट में सूत्रों के हवाले से दावा किया गया है कि दोनों ने अब अपने रिश्ते को समाप्त करने का फैसला किया है। बताया गया है कि यह फैसला बिना किसी सार्वजनिक विवाद के लिया गया।एक सूत्र के अनुसार, दोनों अपनी निजी जिंदगी को लेकर सार्वजनिक चर्चा नहीं चाहते हैं और फिलहाल अपने-अपने फिल्मी करियर पर ध्यान देना चाहते हैं।हालांकि, दोनों के अलग होने की वास्तविक वजह सामने नहीं आई है। यह भी स्पष्ट नहीं है कि उनके बीच किसी तरह का मतभेद हुआ था या फिर व्यक्तिगत कारणों से दोनों ने अलग होने का निर्णय लिया।ऐसे में ब्रेकअप से संबंधित दावे फिलहाल मीडिया रिपोर्ट्स और अज्ञात सूत्रों की जानकारी पर आधारित हैं।

35 हजार फीट की ऊंचाई पर परिणीति ने तोड़ा करवा चौथ का व्रत

बॉलीवुड अभिनेत्री परिणीति चोपड़ा ने इस साल करवा चौथ का त्योहार बेहद अनोखे और रोमांटिक अंदाज में मनाया। जहां देशभर में सुहागिन महिलाओं ने चांद का दीदार कर अपने पति के हाथों से पानी पीकर व्रत खोला,वहीं परिणीति चोपड़ा ने जमीन से करीब 35 हजार फीट की ऊंचाई पर आसमान में करवा चौथ की रस्में पूरी कीं। अभिनेत्री अपने पति और राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा के साथ हवाई सफर कर रही थीं। फ्लाइट में देरी होने के कारण दोनों समय पर घर नहीं पहुंच सके। ऐसे में परिणीति ने विमान की खिड़की से चांद का दीदार किया और पति राघव चड्ढा के हाथों से पानी पीकर अपना व्रत खोला। इस खास पल का वीडियो अभिनेत्री ने सोशल मीडिया पर साझा किया है,जो तेजी से चर्चा में आ गया है। 29 अक्टूबर 2026 को देशभर में करवा चौथ का त्योहार मनाया गया।

खेल- समाचार

अर्शदीप सिंह ने रचा इतिहास

टी20 आई में 150 विकेट चटकाने वाले पहले भारतीय

ऑकलैंड,30 अक्टूबर 2026। भारत के तेज़ गेंदबाज़ अर्शदीप सिंह ने इतिहास रच दिया है। शुक्रवार को ईडन पार्क में न्यूज़ीलैंड के खिलाफ चौथे मैच के दौरान,उन्होंने टी 20 आई क्रिकेट में अपने 150 विकेट पूरे किए। ऐसा करने वाले वे पहले भारतीय खिलाड़ी बन गए हैं। अर्शदीप ने यह उपलब्धि तब हासिल की जब उन्होंने पहली पारी के 19वें ओवर में न्यूज़ीलैंड के कप्तान मिशेल सैंटनर को आउट किया।

कार्यालय कार्यपालन अभियंता
लोक निर्माण विभाग (भ/स) संभाग अम्बिकापुर

-:: अनुसूची ::-

जिला	तहसील	ग्राम/प.ह.न.	भूमि का विवरण		धारा 12 द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण
1	2	3	4	5	6	7
सरगुजा	किशुनपुर	लुण्ड्रा/2	खसरा क्रमांक	रकबा (हे.मे.)	कार्यपालन अभियंता लोक निर्माण विभाग (भ/स) संभाग अम्बिकापुर	रघुनाथपुर, लुण्ड्रा, धौरपुर मार्ग (पार्ट -2) लंबाई कि.मी. 27 से 41 कुल 15 कि. मी. सड़क निर्माण हेतु ।
			263/19	0.018		
			416/7	0.030		
			316/2	0.050		
			273	0.075		
			416/3	0.038		
			263/20	0.040		
			418	0.042		
			263/38	0.042		
			417	0.009		

कुल खसरा क्रमांक 09 कुल रकबा 0.344 हेक्टेयर

कार्यपालन अभियंता
लोक निर्माण विभाग (भ/स)
संभाग अम्बिकापुर

जी0नं0 -262704244/1

मनीषा भानवाला ने रचा इतिहास

भारत से पहली बार कोई महिला पहलवान बनीं वर्ल्ड चैंपियन, 0-6 से पिछड़कर मारी बाजी

नई दिल्ली,30 अक्टूबर 2026। भारतीय कुश्ती के इतिहास में एक नया और स्वर्णिम अध्याय जुड़ गया है। 29 वर्षीय भारतीय महिला रेसलर मनीषा भानवाला ने अस्ताना में आयोजित वर्ल्ड कुश्ती चैंपियनशिप के 59 किग्रा भारवर्ग में इतिहास रचते हुए गोल्ड मेडल अपने नाम कर लिया है। वह विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीतने वाली भारत की पहली महिला पहलवान बन गई हैं। सुशील कुमार के बाद विश्व चैंपियनशिप में देश को स्वर्ण पदक दिलाने वाली मनीषा महज दूसरी भारतीय रेसलर बनी हैं। उनकी इस ऐतिहासिक उपलब्धि ने भारतीय कुश्ती को विश्व पटल पर एक नई और गौरवान्वित पहचान दिलाई है।

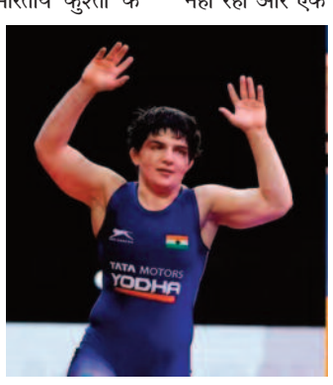

0-6 से पिछड़ने के बाद किया जोरदार पलटवार

फाइनल मुकाबला मनीषा के लिए बिल्कुल भी आसान नहीं रहा और एक समय वह दबाव में नजर आ रही थीं। पैन अमेरिकन चैंपियन अमेरिका की एबिगेल एलिजाबेथ नेटे के खिलाफ खिताबी मुकाबले में मनीषा 0-6 से पीछे चल रही थीं। हालांकि,भारतीय स्टार ने हार नहीं मानी और गजब का जज्बा दिखाते हुए जोरदार वापसी की। लगातार अंक बटोरते हुए मनीषा ने अमेरिकी रेसलर को 8-6 से मात देकर पोडियम पर टॉप स्थान हासिल किया। इससे पहले सेमीफाइनल में भी मनीषा ने कजाकिस्तान की अल्तिन शगायेवा को 10-0 से करारी शिकस्त देकर पिनफॉल के जरिए फाइनल का टिकट कटाया था।

न्यायालय नजूल अधिकारी अम्बिकापुर,जिला-सरगुजा,
रा.प्र.क्र./अ-20(1)/2025-26
ईश्तहार

एतद् द्वारा सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि आवेदक/ आवेदिका बसंत गुप्ता आ0/ पति मथुरा प्रसाद गुप्ता जाति निवासी देवीगंज रोड़ अम्बिकापुर, तहसील अम्बिकापुर, जिला सरगुजा छ0ग0 के द्वारा आवेदन प्रस्तुत किया गया है कि मोहल्ला-सत्तीपारा, शीट नम्बर-2 नगर अम्बिकापुर स्थित नजूल प्लाट नम्बर 589/1,590/1 रकबा 0.02, 0.05 एकड़ भूमि का लीज अवधि दिनांक 31.3.2026 को समाप्त हो गई है। जिस कारण आवेदक / आवेदिका द्वारा लीज अवधि बढ़ाने हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है।

अतः उक्त के संबंध में यदि किसी व्यक्ति अथवा संस्था को कोई दावा अथवा आपत्ति हो तो अपना लिखित दावा / आपत्ति स्वयं अथवा अपने अधिवक्ता के माध्यम से दिनांक-11.11.26 तक इस न्यायालय में उपस्थित होकर प्रस्तुत कर सकते है। नियत तिथि के बाद प्राप्त दावा / आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेंगा।

आज दिनांक-26.10.26 को मेरे हस्ताक्षर एंव न्यायालीन पदमुद्रा से जारी ।

सील — **नजूल अधिकारी ,अंबिकापुर**

न्यायालय नजूल अधिकारी अम्बिकापुर,जिला-सरगुजा,
रा.प्र.क्र./अ-20(1)/2025-26
ईश्तहार

एतद् द्वारा सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि आवेदक / आवेदिका रमेश गुप्ता आह्व / पति स्व. मथुरा प्रसाद गुप्ता जाति निवासी देवीगंज रोड़ अम्बिकापुर,तहसील अम्बिकापुर, जिला सरगुजा छ0ग0 के द्वारा आवेदन प्रस्तुत किया गया है कि मोहल्ला - देवीगंज रोड़,शीट नम्बर-2 नगर अम्बिकापुर स्थित नजूल प्लाट नम्बर 377/1, 428/1,430/1 रकबा 1500 वर्गफीट भूमि का लीज अवधि दिनांक 31.3.2026 को समाप्त हो गई है। जिस कारण आवेदक/आवेदिका द्वारा लीज अवधि बढ़ाने हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है।

अतः उक्त के संबंध में यदि किसी व्यक्ति अथवा संस्था को कोई दावा अथवा आपत्ति हो तो अपना लिखित दावा/आपत्ति स्वयं अथवा अपने अधिवक्ता के माध्यम से दिनांक-05.11.2026 तक इस न्यायालय में उपस्थित होकर प्रस्तुत कर सकते है। नियत तिथि के बाद प्राप्त दावा / आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेंगा।

आज दिनांक- 16.10.2026 को मेरे हस्ताक्षर एंव न्यायालीन पदमुद्रा से जारी ।

सील — **नजूल अधिकारी ,अंबिकापुर**

न्यायालय नजूल अधिकारी अम्बिकापुर,जिला-सरगुजा,
रा.प्र.क्र./अ-20(1)/2025-26
ईश्तहार

एतद् द्वारा सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि आवेदक / आवेदिका सुरेश कुमार गुप्ता आ0/पति स्व. मथुरा प्रसाद गुप्ता जाति, निवासी देवीगंज रोड़ अम्बिकापुर, तहसील अम्बिकापुर, जिला सरगुजा छ0ग0 के द्वारा आवेदन प्रस्तुत किया गया है कि मोहल्ला - सत्तीपारा, शीट नम्बर-2 नगर अम्बिकापुर स्थित नजूल प्लाट नम्बर 589 /2, 590/2 रकबा 0.02, 0.05 एकड़ भूमि का लीज अवधि दिनांक 31.3.2026 को समाप्त हो गई है। जिस कारण आवेदक / आवेदिका द्वारा लीज अवधि बढ़ाने हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है।

अतः उक्त के संबंध में यदि किसी व्यक्ति अथवा संस्था को कोई दावा अथवा आपत्ति हो तो अपना लिखित दावा/आपत्ति स्वयं अथवा अपने अधिवक्ता के माध्यम से दिनांक-11.11.26 तक इस न्यायालय में उपस्थित होकर प्रस्तुत कर सकते है। नियत तिथि के बाद प्राप्त दावा/आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेंगा।

आज दिनांकः-26.10.26 को मेरे हस्ताक्षर एंव न्यायालीन पदमुद्रा से जारी ।

सील — **नजूल अधिकारी ,अंबिकापुर**

न्यायालय तहसीलदार अम्बिकापुर,जिला-सरगुजा,छ0ग0
रा0प्र0क्र0-/अ-6/2026-27
ईश्तहार

एतद् द्वारा सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि आवेदक अनिल पाण्डेय आ0स्व0 एस.एस.पाण्डेय जाति ब्राम्हण निवासी नावापारा अम्बिकापुर तहसील अम्बिकापुर जिला सरगुजा छ0ग0 के द्वारा ग्राम नमनाकला स्थित भूमि खसरा नंबर 157 / 223 रकबा 0.387 हे0 मेसे रकबा 0.222 हे0 भूमि के राजस्व अभिलेखो में पंजीबद्ध विक्रय पत्र दिनांक 23.05.2023 के माध्यम से नामांतरण किये जाने हेतु आवेदन पेश किया गया है। उक्त संबंध में यदि किसी व्यक्ति अथवा संस्था को कोई आपत्ति हो तो सुनवाई दिनांक 11.11.2026 के पूर्व स्वयं अथवा अपने प्रतिनिधि अथवा अभिषाक के माध्यम से इस न्यायालय में उपस्थित होकर अपना दावा-आपत्ति प्रस्तुत कर सकते है। समय-सीमा के बाद प्राप्त दावा-आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेंगा ।

आज दिनांक- 28/10 /2026 को मेरे हस्ताक्षर एंव न्यायालीन पदमुद्रा से जारी ।

सील — **तहसीलदार अंबिकापुर,सरगुजा**

न्यायालय तहसीलदार अम्बिकापुर,जिला-सरगुजा,छ0ग0
रा0प्र0क्र0-/अ-6/2026-27
ईश्तहार

एतद् द्वारा सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि आवेदक बेबी देवी पति स्व. मनोज कुमार सोनी उर्फ मनोज कुमार व अन्य निवासी मोची टोला जानी बाजार सासाराम जिला रोहतास बिहार अधिकारग्रहिता अमन राज आ0स्व0 मनोज सोनी निवासी जानी बाजार सासा राम जिला रोहतास बिहार के द्वारा ग्राम अम्बिकापुर स्थित भूमि खसरा नंबर 1690 /2 रकबा 0.012 हे0 भूमि राजस्व अभिलेखो से मृत खातेदार मनोज कुमार सोनी उर्फ मनोज कुमार आ0 शिवनाथ सेठ का नाम विलोपित कर फौती नामांतरण दर्ज किये जाने हेतु आवेदन पेश किया गया है। उक्त संबंध में यदि किसी व्यक्ति अथवा संस्था को कोई आपत्ति हो तो सुनवाई दिनांक 25.11.2026 के पूर्व स्वयं अथवा अपने प्रतिनिधि अथवा अभिषाक के माध्यम से इस न्यायालय में उपस्थित होकर अपना दावा-आपत्ति प्रस्तुत कर सकते है। समय-सीमा के बाद प्राप्त दावा-आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेंगा ।

आज दिनांकः-28/10/2026 को मेरे हस्ताक्षर एंव न्यायालीन पदमुद्रा से जारी।

सील — **तहसीलदार अंबिकापुर,सरगुजा**

नाम परिवर्तन सूचना

मैं श्वेता आ0 बिजेन्द्र प्रसाद उम्र 19 वर्ष, निवासी ग्राम ओदारी पोस्ट बरतीकला तहसील वाड्रफनगर जिला - बलरामपुर रा0गंज (छ0ग0) उपरोक्त पते का निवासी हूँ। यह कि मेरा आधार क्रमांक 236058271912 में नाम श्वेता पटेल (SHABETA PATEL) तकनिकी त्रुटिवष गलत दर्ज हो गया है। मेरा नाम श्वेता पटेल (SHABETA PATEL) आधार कार्ड में त्रुटि है अन्य दस्तावेज में सही है। मेरा शैक्षणिक अंकसूची प्रमाण पत्र के अनुसार सही नाम श्वेता पटेल (SHWETA PATEL) पिता का नाम दिजेन्द्र प्रसाद एवं जन्म तिथि 26/07/2007 है ।

मेरा नाम श्वेता पटेल (SHABETA PATEL) त्रुटि व गलत है। जिसका सही नाम जन्म प्रमाण पत्र एवं शैक्षणिक अकसूची प्रमाण पत्र के अनुसार सही नाम श्वेता पटेल (SHWETA PATEL) पिता बिजेन्द्र प्रसाद है।

मेरा नाम श्वेता पटेल (SHABETA PATEL) पिता बिजेन्द्र प्रसाद को आधार कार्ड से विलोपित करते हुए जन्म प्रमाण पत्र एवं शैक्षणिक अंकसूची प्रमाण पत्र के अनुसार वास्तविक नाम श्वेता पटेल (SHWETA PATEL) पिता बिजेन्द्र प्रसाद है जो सही है एंव गलत नाम को सुधार करने के संबंध में स्वयं का शपथ पत्र प्रस्तुत है जो सत्य एवं सही है।

सपथकर्ता
श्वेता पटेल

न्यायालय अतिरिक्त तहसीलदार अंबिकापुर-2,जिला-सरगुजा(छ0ग0)
रा0प्र0क्र0-/अ-6/2025-26
ईश्तहार

एतद् द्वारा सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि आवेदक शुभक कुमार सूर्यवंशी आ. रामशरण सूर्यवंशी, जाति चेरवा, निवासी ग्राम खलिबा, तहसील अम्बिकापुर जिला सरगुजा छ0ग0 द्वारा ग्राम खलिबा स्थित भूमि खसरा नंबर 60/3,389/4,800/9, 1042/1,1047/41,1051/35 कुल खसरा नंबर 06 कुल रकबा 0.385 हे भूमि को दानकर्ता शरण आठ पुनीस, जाति चेरवा, निवासी ग्राम खलिबा, तहसील अम्बिकापुर, जिला सरगुजा छ0ग0 द्वारा दिनांक 10.03.2026 को पंजीबद्ध दान पत्र के माध्यम से कय किया गया है। आवेदक द्वारा पंजीबद्ध दान पत्र के आधार पर विक्रेता का नाम विलोपित कराकर अपना से नामांतरण बावत् आवेदन पेश किया गया है ।

उक्त संबंध में किसी व्यक्ति अथवा संस्था को कोई आपत्ति हो तो पेशी दिनांक 13/11/2026 को न्यायालय में स्वंय अथवा अपने अभिभाषक के माध्यम से उपस्थित होकर दावा आपत्ति प्रस्तुत कर सकते है । समय सीमा के बाद प्राप्त दावा आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जायेगा ।

आज दिनांक 23/10/2026 को मेरे हस्ताक्षर एंव न्यायालीन पदमुद्रा से जारी ।

सील — अतिरिक्त तहसीलदार अंबिकापुर-2

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 24वीं किस्त जारी

मुख्यमंत्री साय ने कहा...किसानों की समृद्धि ही विकसित भारत की मजबूत आधारशिला

रायपुर,30 अक्टूबर 2026। राजधानी रायपुर के इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय परिसर स्थित स्वामी विवेकानंद सभागार में पीएम किसान उत्सव दिवस कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने किसानों की आवश्यकताओं को समझते हुए उनके हित में अनेक दूरगामी निर्णय लिए हैं। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना इसका सशक्त उदाहरण है। इस योजना के माध्यम से किसानों को मिलने वाली आर्थिक सहायता उनकी खेती संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने में मददगार साबित हो रही है।

उल्लेखनीय है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात के बनासकांठा में आयोजित पीएम किसान उत्सव दिवस कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 24वीं किस्त के रूप में देश के 9 करोड़ 34 लाख से अधिक किसानों के बैंक खातों में 18 हजार 690 करोड़ रुपए से अधिक की राशि प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के माध्यम से अंतरित की। मुख्यमंत्री साय ने कहा कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना किसानों को खेती-किसानी की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए नियमित आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने वाली महत्वपूर्ण योजना है। विशेष रूप से छोटे और सीमांत किसानों को इस योजना से आर्थिक संबल मिल रहा है। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कहा कि किसानों के हितों की रक्षा करना राज्य सरकार की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है।

छत्तीसगढ़ के 24.59 लाख से अधिक किसानों को मिले 498.48 करोड़ रुपए : मुख्यमंत्री

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कहा कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 24वीं किस्त के अंतर्गत छत्तीसगढ़ के 24 लाख 59 हजार 707 किसानों के बैंक खातों में 498 करोड़ 48 लाख रुपए की राशि अंतरित की गई है। इससे प्रदेश के लाखों किसान परिवारों को खेती-किसानी की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए आर्थिक सहायता प्राप्त हुई है। मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत छत्तीसगढ़ के किसानों को अब तक 24 किस्तों में 11 हजार 776 करोड़ 50 लाख रुपए से अधिक की राशि प्रदान की जा चुकी है। यह राशि किसानों के बैंक खातों में सीधे अंतरित की गई है, जिससे सहायता वितरण की प्रक्रिया पारदर्शी और सुगम बनी है। मुख्यमंत्री साय ने कहा कि किसानों को बीज, खाद, उर्वरक और खेती से जुड़ी अन्य आवश्यकताओं के लिए समय पर आर्थिक सहायता उपलब्ध होना अत्यंत महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना किसानों की इन्हीं आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर प्रारंभ की गई है। इस योजना से विशेष रूप से छोटे और सीमांत किसानों को अपनी कृषि गतिविधियों के संचालन में सहायता मिल रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अन्नदाताओं की छोटी-छोटी आवश्यकताओं को समझकर उन्हें आर्थिक रूप से सशक्त बनाने की दूरदर्शी पहल की है।

चक्रवात 'अर्नब' के कारण प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में फसलों को हुए नुकसान को सरकार ने गंभीरता से लिया है। प्रभावित किसानों को समय पर राहत उपलब्ध कराने के लिए सभी जिला कलेक्टरों को फसल क्षति का तत्काल सर्वेक्षण कराने के निर्देश दिए गए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि सर्वेक्षण के आधार पर प्रभावित किसानों को आर.बी.सी. 6-4 के प्रावधानों एवं निर्धारित मानदंडों के अनुसार आवश्यक सहायता राशि उपलब्ध कराई जाएगी। इसके लिए जिला प्रशासन को प्राथमिकता के साथ कार्यवाही सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि प्राकृतिक आपदा की इस चुनौतीपूर्ण घड़ी में राज्य सरकार प्रत्येक प्रभावित किसान के साथ मजबूती से खड़ी है। किसानों की मेहनत और उनके हितों की रक्षा के लिए राहत एवं सहायता उपलब्ध कराने में कोई कमी नहीं रहने दी जाएगी।

15 नवंबर से शुरू होगी धान खरीदी,किसानों के लिए खुलेंगे 360 नए उपार्जन केंद्र

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार किसानों की आय बढ़ाने और उनकी उपज का उचित मूल्य सुनिश्चित करने के लिए पूरी प्रतिबद्धता से कार्य कर रही है। प्रदेश में किसानों से 3 हजार 100 रुपए प्रति क्विंटल की दर से अधिकतम 21 क्विंटल प्रति एकड़ धान खरीदी की व्यवस्था की गई है। यह दर देश में धान खरीदी के लिए दी जाने वाली सर्वाधिक दरों में शामिल है। मुख्यमंत्री ने बताया कि खरीफ विपणन वर्ष 2026-27 के अंतर्गत प्रदेश में 15 नवंबर से धान खरीदी प्रारंभ की जाएगी। किसानों को अपनी उपज बेचने के लिए अधिक दूरी तय न करनी पड़े और उपार्जन केंद्रों में उन्हें बेहतर सुविधाएं उपलब्ध हों, इसके लिए राज्य सरकार द्वारा 360 नए धान खरीदी केंद्र स्थापित किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि नए उपार्जन केंद्रों के खुलने से किसानों को अपनी उपज बेचने में सुविधा होगी। धान खरीदी की प्रक्रिया को अधिक सुगम, पारदर्शी और व्यवस्थित बनाने के लिए आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जा रही हैं। मुख्यमंत्री साय ने कहा कि राज्य सरकार का प्रयास है कि किसी भी अन्नदाता को धान बेचने में अनावश्यक परेशानी का सामना न करना पड़े।

डीएमएफ घोटाला...सतपाल सिंह छाबड़ा समेत 16 नए आरोपी

टेंडर दिलाने के बदले 30% तक कमीशन लिया,7 हजार पन्नों की सप्लीमेंट्री चार्जशीट पेश

रायपुर,30 अक्टूबर 2026। प्रवर्तन निदेशालय (प्रवर्तन निदेशालय) ने छत्तीसगढ़ के 575 करोड़ से ज्यादा के डीएमएफ (जिला खनिज न्यास) घोटाला केस में सप्लीमेंट्री प्रॉसिक्यूशन कंप्लेंट (चार्जशीट) पेश की है। इसमें कारोबारी सतपाल सिंह छाबड़ा समेत 16 नए लोगों को आरोपी बनाया गया है। प्रवर्तन निदेशालय ने कोर्ट में 214 पन्नों की शिकायत पेश की है। इसके साथ करीब 7,500 पन्नों के दस्तावेज भी अटैच किए हैं। प्रवर्तन निदेशालय के मुताबिक, इस मामले में पहले भी प्रॉसिक्यूशन कंप्लेंट दाखिल की गई थी, जिसमें रानू साहू समेत अन्य लोगों को आरोपी बनाया गया था। अब जांच के अगले चरण में 16 और लोगों की भूमिका सामने आने के बाद उनके खिलाफ सप्लीमेंट्री शिकायत पेश की गई है। प्रवर्तन निदेशालय की जांच में सामने आया है कि डीएमएफ की राशि से होने वाले कामों के टेंडर दिलाने में बिचौलियों की अहम भूमिका थी। सतपाल सिंह छाबड़ा और उससे जुड़े लोग सरकारी अधिकारियों और टेंडर हासिल करने वाली निजी कंपनियों के बीच संपर्क का काम करते थे। आरोप है कि ये लोग कमीशन लेकर अपनी पसंद की पार्टियों को बड़े-बड़े टेंडर दिलवाते थे। इसके बदले करीब 20 से 30 प्रतिशत तक कमीशन लिया जाता था।

काम किए बिना पूरा भुगतान लेने का आरोप

प्रवर्तन निदेशालय के अनुसार, जांच में सबसे गंभीर बात यह सामने आई कि डीएमएफ फंड से जिन कार्यों के लिए टेंडर आवंटित किए गए, उनमें से कई काम वास्तव में किए ही नहीं गए, जबकि उनके एवज में पूरा भुगतान प्राप्त कर लिया गया। जांच एजेंसी ने इस पूरे नेटवर्क की पड़ताल की है।

बैंक ट्रांजैक्शन और वित्तीय लेन-देन की जांच

प्रवर्तन निदेशालय ने बताया कि जांच के दौरान बैंक खातों के लेन-देन और वित्तीय दस्तावेजों को खंगाला गया। इन दस्तावेजों के आधार पर आरोपियों के आपसी संबंधों और घोटाले में उनकी भूमिका का पता लगाने का प्रयास किया गया है। एजेंसी का आरोप है कि सतपाल सिंह छाबड़ा टेंडर आवंटन समिति और टेंडर हासिल करने वाली पार्टियों के बीच कड़ी का काम करता था। वह कमीशन लेकर अपनी पसंद की कंपनियों को टेंडर दिलवाने में भूमिका निभाता था।

फंड खर्च के नियमों को बदला गया

जांज एजेंसी के मुताबिक इससे पहले ये भी सामने आया था कि डिस्ट्रिक मिनरल फंड (डीएमएफ) घोटाला मामले में कलेक्टर को 40%, सीईओ 5%, एसडीओ 3% और सब इंजीनियर को 2% कमीशन मिला। डीएमएफ के वर्क प्रोजेक्ट में करप्शन के लिए फंड खर्च के नियमों को बदला गया था। फंड खर्च के नए प्रावधानों में मटेरियल सप्लाई, ट्रेनिंग, कृषि उपकरण, खेल सामग्री और मेडिकल उपकरणों की कैटेगरी को जोड़ा गया था, ताकि संशोधित नियमों के सहारे डीएमएफ के तहत जरूरी डेवलपमेंट वर्क को दरकिनार कर अधिकतम कमीशन वाले प्रोजेक्ट को अप्रूव किया जा सके। यह खुलासा कोरबा में 575 करोड़ रुपए से ज्यादा के हुए डीएमएफ स्कैम की जांच में हुआ है। इसकी पुष्टि रायपुर कोर्ट में एंटी करप्शन ब्यूरो (एसीबी) द्वारा पेश किए गए 6 हजार पेज के चालान से हुई है।

छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट को मिलेंगे 6 नए जज...सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने दी नियुक्ति प्रस्ताव को मंजूरी

रायपुर,30 अक्टूबर 2026। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में न्यायाधीशों की नियुक्ति को लेकर बड़ी खबर सामने आई है। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने 30 अक्टूबर को हुई बैठक में छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के न्यायाधीश के रूप में 6 लोगों की नियुक्ति के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इनमें 4 अधिवक्ता और 2 न्यायिक अधिकारी शामिल हैं। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम की ओर से जारी आधिकारिक बयान के अनुसार, अधिवक्ता वर्ग से आनंद शुक्ला, रत्न निधि पुष्टि उर्फ आरएन पुष्टि उर्फ रतन पुष्टि, शशांक ठाकुर और सौरभ शर्मा के नामों को मंजूरी दी गई है। वहीं, न्यायिक अधिकारियों की श्रेणी से रजनीश श्रीवास्तव और बलराम प्रसाद वर्मा को छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट का न्यायाधीश नियुक्त किए जाने के प्रस्ताव पर सहमति जताई गई है। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम की इस मंजूरी के बाद अब छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में इन छह नामों की नियुक्ति की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। इससे हाईकोर्ट में न्यायिक व्यवस्था को मजबूती मिलने की उम्मीद है।

नशीली कैप्सूल बेचने वाले 3 आरोपियों को 20-20 साल कैद

रायपुर में ग्राहक तलाशते पकड़ा गया था मुख्य आरोपी

रायपुर,30 अक्टूबर 2026। रायपुर में नशीली कैप्सूल बेचने के मामले में विशेष एनडीपीएस कोर्ट ने तीन आरोपियों को दोषी ठहराते हुए 10 से 20 साल तक के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट ने दो आरोपियों को 20-20 साल और एक आरोपी को 10 साल की सजा दी है। तीनों पर कुल 5 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। यह फैसला विशेष न्यायाधीश (एनडीपीएस एक्ट) श्रीमती किरण थवाईत ने सुनाया है। पूरे मामले की जानकारी सरकारी वकील भुवन लाल साहू ने दी। अभियोजन के मुताबिक, 19 मई 2025 को देवेंद्र नगर पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि पारस नगर ब्रिज के पास एक व्यक्ति सफेद झिल्ली में प्रतिबंधित नशीली कैप्सूल रखकर बेचने के लिए ग्राहक तलाश रहा है। सूचना मिलने के बाद पुलिस ने इसे रोजनामचा में दर्ज किया और वरिष्ठ अधिकारियों को जानकारी दी। इसके बाद पुलिस ने दो स्वतंत्र गवाह सचिन बेहरा और तुलेश यादव को साथ लिया। पुलिस टीम ने मौके पर पहुंचकर घेराबंदी की और मुखबिर के बताए हुलिए के आधार पर संदेही को पकड़ लिया। पूछताछ में उसने अपना नाम संजय उर्फ सोनू सूर्यवंशी बताया। पुलिस ने तलाशी से पहले आरोपी को एनडीपीएस एक्ट की धारा 50 के तहत नोटिस दिया। इसके बाद उसके पास रखे सफेद कार्टननुमा झिल्ली की तलाशी ली गई। इसमें नशीली कैप्सूल मिलीं। इलेक्ट्रॉनिक तराजू से तौल करने पर 19 पत्तों में 8-8 कैप्सूल, यानी कुल 152 कैप्सूल मिले। इनका स्ट्रिप सहित वजन 119 ग्राम और बिना स्ट्रिप वजन 91.2 ग्राम था। पुलिस ने कैप्सूल को जब्त कर सीलबंद किया और संजय उर्फ सोनू को गिरफ्तार कर लिया। उसके खिलाफ देवेंद्र नगर थाने में मामला दर्ज किया गया। जांच के दौरान पुलिस ने संजय उर्फ सोनू का मेमोरेंडम कथन दर्ज किया। इसके आधार पर पुलिस टीम ओडिशा के केसिंगा पहुंची। यहां से पूर्णचंद साहू और वासुदेव पाण्डेय उर्फ बाबू को गिरफ्तार किया गया।

छत्तीसगढ़ के 6 जिलों में ईओडब्ल्यू-ईडी की रेड

रायपुर में शराब घोटाले में अनवर ढेबर के घर दबिश,कोरबा में नपा अध्यक्ष के यहां छापा

रायपुर,30 अक्टूबर 2026। छत्तीसगढ़ में शराब,कोल और डीएमएफ घोटालों की जांच के सिलसिले में ईडी, ईओडब्ल्यू और एसीबी की टीमें रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर, राजनांदगांव, गरियाबंद और कोरबा में छापेमारी की हैं। कारोबारियों और अन्य लोगों के घरों और दफ्तरों पर कार्रवाई जारी है। रायपुर में ईडी की टीम शराब घोटाले के मामले में अनवर ढेबर के घर जांच कर रही है। वहीं, ईओडब्ल्यू की टीम वीआईपी स्टेट स्थित रियल एस्टेट कारोबारी सुदर्शन शर्मा के घर दस्तावेज खंगाल रही है।

राजनांदगांव में कारोबारी वैभव गोलछा और जय बग्गा के ठिकानों पर भी जांच जारी है। दुर्ग जिले के भिलाई में ट्रांसपोर्टर जितेंद्र सिंह के घर ईओडब्ल्यू-एसीबी की टीम कार्रवाई कर रही है। बताया जा रहा है कि यह कार्रवाई उनके साले संतोष सिंह के ऑयल और ट्रांसपोर्ट कारोबार से जुड़े मामले में है। बिलासपुर में कोल कारोबारी शाजिद खान के उसलापुर स्थित अलका एवेन्यू निवास पर एसीबी-ईओडब्ल्यू की टीम जांच कर रही है। गरियाबंद जिले के गोबरा नवापारा और राजिम में कारोबारी विमल पारख और राजा पारख के प्रतिष्ठानों शांति विजय और नवकार ज्वेलर्स के साथ राजा पारख के निवास पर भी कार्रवाई जारी है। वहीं, कोरबा जिले के कटघोरा में डीएमएफ घोटाले की जांच के सिलसिले में नगर पालिका अध्यक्ष राज जायसवाल और नगर सैनिक दिलीप केंवट के ठिकानों पर ईओडब्ल्यू की टीमें दस्तावेजों की जांच और पूछताछ कर रही हैं।

रायपुर में अनवर ढेबर और सुदर्शन शर्मा के घर जांच : रायपुर में ईओडब्ल्यू की टीम ने शराब कारोबारी अनवर ढेबर के घर छापा मारा। वहीं, वीआईपी स्टेट स्थित रियल एस्टेट कारोबारी सुदर्शन शर्मा के घर भी टीम पहुंची है। यहां दस्तावेजों और अन्य जानकारियों की जांच की जा रही है। सुदर्शन शर्मा के ठिकाने पर कार्रवाई शराब घोटाले से जुड़ी बताई जा रही है। रायपुर में तीन से चार जगहों पर कार्रवाई की जानकारी सामने आई है।

राजनांदगांव में वैभव गोलछा और जय बग्गा के ठिकानों पर रेड

राजनांदगांव में रायपुर से पहुंची करीब 20 अधिकारियों की टीम ने दो कारोबारियों के घर और व्यावसायिक परिसरों में एक साथ दबिश दी। ईओडब्ल्यू की एक टीम ने सनसिटी के बी-ब्लॉक स्थित कारोबारी वैभव गोलछा के मकान में छापा मारा। दूसरी टीम ने लालबाग में कारोबारी जय बग्गा के घर और व्यावसायिक परिसर में जांच शुरू की। दोनों को पूर्व आबकारी मंत्री कवासी लखमा का करीबी बताया जा रहा है। टीम दस्तावेजों, वित्तीय लेन-देन और मोबाइल-लैपटॉप जैसे डिजिटल डिवाइस खंगाल रही है।

भिलाई में ट्रांसपोर्टर जितेंद्र सिंह के घर छापा

भिलाई-3 के वसुंधरा नगर में ट्रांसपोर्टर जितेंद्र सिंह के घर सुबह करीब 8 बजे ईओडब्ल्यू और एसीबी की टीम पहुंची। कार्रवाई उनके साले संतोष सिंह को लेकर हो रही है, जो इसी घर में रहते हैं और ऑयल और ट्रांसपोर्ट का कारोबार संभालते हैं।

बिलासपुर में कोल कारोबारी शाजिद खान के घर दबिश

बिलासपुर के उसलापुर स्थित अलका एवेन्यू में कोल कारोबारी शाहबाज खान के घर पर ईओडब्ल्यू और एसीबी की टीम ने छापा मारा। कोल लेवी स्कैम से जुड़े मामले में उनके घर और अन्य ठिकानों पर जांच की जा रही है। टीमों की ओर से अभी तक कार्रवाई में मिली सामग्री या दस्तावेजों को लेकर आधिकारिक जानकारी जारी नहीं की गई है।

बिलासपुर-कांग्रेस नेता संजू त्रिपाठी हत्याकांड के सभी 22 आरोपी बरी

हत्या का षड्यंत्र साबित नहीं कर पाई पुलिस,भाई से था प्रॉपर्टी विवाद

बिलासपुर,30 अक्टूबर 2026। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में कांग्रेस नेता संजू त्रिपाठी हत्याकांड के सभी 22 आरोपियों को बरी कर दिया गया है। शुक्रवार को जिला कोर्ट ने यह फैसला सुनाया। बचाव पक्ष के वकील ने बताया कि पुलिस हत्या का षड्यंत्र साबित करने में असफल रही, जिसके कारण सभी आरोपी बरी हो गए। हिस्ट्रीशीटर और कांग्रेस नेता संजू त्रिपाठी का अपने भाई कपिल त्रिपाठी से प्रॉपर्टी को लेकर विवाद था।

14 दिसंबर 2022 को दिनदहाड़े गोली मारकर संजू त्रिपाठी की हत्या कर दी गई थी। पुलिस जांच में सामने आया था कि उनके भाई ने ही हत्या की साजिश रची थी। इस केस में कपिल त्रिपाठी भी बरी हो गया है। आरोपियों में यूपी के शूटर भी शामिल थे।

भाई ने रची थी हत्या की साजिश : संजू त्रिपाठी और कपिल त्रिपाठी,दोनों भाइयों का नाम आपराधिक गतिविधियों में जुड़ा रहता था। दोनों शहर की विवादित जमीनों का सौदा कराते थे और इससे लाखों रुपए की कमाई करते थे। दोनों के बीच संपत्ति को लेकर विवाद था।

यूपी से शूटर बुलवाए गए : पुलिस जांच में सामने आया था कि संजू त्रिपाठी की हत्या की साजिश उनके भाई कपिल त्रिपाठी ने रची थी। उसने उत्तर प्रदेश के शूटरों को हत्या की सुपारी दी थी।

फार्म हाउस में हत्या की प्लानिंग हुई : कपिल त्रिपाठी ने अपने पास तीन पिस्टल और करीब 20 कारतूस रखे थे। इसी दौरान शूटरों के साथ मिलकर संजू की हत्या की साजिश रची गई। 14 दिसंबर 2022 को सभी लोग अलग-अलग चार गाड़ियों में सवार होकर कपिल त्रिपाठी के फार्म हाउस से सकरी बाइपास के लिए निकल गए। प्रसीन गुप्ता सफेद रंग की कार में सवार था, जिसमें भरत तिवारी, आशीष तिवारी और राजेंद्र ठाकुर बैठे थे। नीले रंग की पुरानी बलेनो कार विनय द्विवेदी उर्फ गुरुजी चला रहा था।

भाजपा विधायक डोमनलाल कोर्सेवाड़ा का निधन...लंबे समय से बीमार थे,हैदराबाद में चल रहा था इलाज,78 की उम्र में ली अंतिम सांस

दुर्ग-भिलाई,30 अक्टूबर 2026। दुर्ग जिले की अहिवारा विधानसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के विधायक डोमनलाल कोर्सेवाड़ा का निधन हो गया है। वे पिछले कुछ दिनों से अस्वस्थ चल रहे थे। वे फेफड़े की बीमारी से पीड़ित थे। उनका हैदराबाद के यशोदा अस्पताल में उपचार चल रहा था। 78 साल की उम्र में उन्होंने अंतिम सांस ली। उनके निधन की खबर से अहिवारा विधानसभा क्षेत्र सहित दुर्ग-भिलाई और प्रदेश के राजनीतिक गलियारों में शोक का माहौल है। छत्तीसगढ़ विष्णुदेव साय समेत अन्य दिग्गज नेताओं ने शोक व्यक्त किया है। डोमनलाल कोर्सेवाड़ा छत्तीसगढ़ भाजपा के वरिष्ठ नेताओं में शामिल थे। उनका राजनीतिक जीवन लंबा रहा है। उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में भी अपनी सेवाएं दी थीं। वर्ष 1998 में व्याख्याता पद से रिटायर होने के बाद उन्होंने सक्रिय राजनीति में कदम रखा। वर्ष 1999 में वे दुर्ग लोकसभा क्षेत्र के तत्कालीन सांसद के निजी सहायक के रूप में भी कार्य कर चुके थे।

रायपुर के आसमान में सारंग की उड़ान...5 हेलीकॉप्टरों की गड़गड़ाहट से गूंजा शहर

रायपुर,30 अक्टूबर 2026। रायपुर के आसमान में शुक्रवार को भारतीय वायुसेना की प्रसिद्ध हेलीकॉप्टर एरोबेटिक टीम 'सारंग' ने उड़ान भरी। पांच हेलीकॉप्टर शहर के अलग-अलग इलाकों के ऊपर से गुजरे। उनकी गड़गड़ाहट सुनकर लोग घरों की छतों और ऊंची इमारतों से प्रदर्शन देखते रहे।

कलेक्ट्रेट की मल्टीलेवल पार्किंग की छत पर कलेक्टर, जिला प्रशासन के अधिकारी और बड़ी संख्या में युवा भी मौजूद रहे। जानकारी के मुताबिक, सारंग टीम का रूट और उड़ान की ऊंचाई पहले से तय थी। इस वजह से हेलीकॉप्टरों ने शहर के ऊपर सीमित चक्कर लगाए। कुछ युवाओं का कहना था कि अगर रूट शहर के और करीब से गुजरता तो लोग इस प्रदर्शन को और नजदीक से देख पाते।

सारंग टीम स्वदेशी ध्रुव हेलीकॉप्टरों के जरिए हवाई करतब और आपसी तालमेल का प्रदर्शन करती है।

2003 में हुआ था टीम का गठन : भारतीय वायुसेना की सारंग टीम का गठन साल 2003 में किया गया था। फरवरी 2004 में सिंगापुर के एशियन एयरोस्पेस एयर शो में टीम ने पहली बार अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रदर्शन किया था। इसके बाद सारंग टीम देश-विदेश के कई एयर शो में अपने हवाई करतब दिखा चुकी है। इससे पहले गुरुवार को राज्यपाल रमेन डेका से लोक भवन में एयर कमोडोर-एयर ऑफिसर कमांडिंग, हेडक्वार्टर एंटी नक्सल टास्क फोर्स नंदा कुमार बाला ने मुलाकात की। इस दौरान कैप्टन वैभव विशाल, जीपी कैप्टन अभिजीत कुमार, सीडीआर प्रियांशु, स्क्वाड्रन लीडर अंकिता सिंह, स्क्वाड्रन लीडर विनय पाठक, लेफ्टिनेंट शशांक और लेफ्टिनेंट साई अक्षय भी मौजूद रहे।

स्वदेशी ध्रुव हेलीकॉप्टरों से करती है प्रदर्शन

सारंग टीम में भारत में विकसित एडवांस्ड लाइट हेलीकॉप्टर ध्रुव का इस्तेमाल किया जाता है। इन हेलीकॉप्टरों के जरिए टीम समूह में उड़ान, तेज मोड़ और आपसी तालमेल के साथ कई हवाई करतब दिखाती है। हेलीकॉप्टरों पर मोर से प्रेरित रंग और डिजाइन भी सारंग टीम की खास पहचान हैं।

टीम में 5 हेलीकॉप्टर होते हैं...

सारंग टीम में 5 हेलीकॉप्टर शामिल होते हैं। आमतौर पर 4 हेलीकॉप्टर हवाई करतब दिखाते हैं, जबकि पांचवें को बैकअप के रूप में रखा जाता है। प्रदर्शन के दौरान हेलीकॉप्टर एक साथ उड़ान भरते हुए आसमान में अलग-अलग आकृतियां बनाते हैं। इस दौरान पायलटों को गति, दिशा और एक-दूसरे से दूरी का विशेष ध्यान रखना पड़ता है। सारंग टीम के प्रदर्शन का प्रमुख आकर्षण फॉर्मेशन फ्लाइंग होता है। इसमें कई हेलीकॉप्टर एक निश्चित दूरी बनाए रखते हुए आपसी तालमेल के साथ उड़ान भरते हैं। इसके अलावा एक साथ दिशा बदलना, तेजी से ऊपर की ओर उड़ान भरना और आसमान में अलग-अलग आकृतियां बनाना जैसे करतब भी दिखाए जाते हैं।

प्रकाशक,मुद्रक,स्वामी अविनाश कुमार सिंह के द्वारा सांई ऑफसेट प्रिंटर्स,नमनाकला,संत हरकेवल विद्यापीठ के पास,अम्बिकापुर से मुद्रित एवं प्रकाशित। संपादक-अविनाश कुमार सिंह* (पी.आर.बी.कानून के अनुसार संपूर्ण संपादकीय दायित्व के लिए जिम्मेदार)
RNI Reg.No.CHHHIN/2004/15050,डॉक रजिस्टर्ड क्र.:-13/सरगुजा/डीएन/2026-2028-मो. 94062-23001,98265-32611,Email:ghatatighatana11@ gmail.com,Website:www.ghatatighatana.com, (सभी विवादों का न्याय क्षेत्र अम्बिकापुर न्यायालय मान्य होगा)